



सत्यमेव जयते

# विनियोग लेखे

2019-20



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार

# विनियोग लेखे

**2019-20**

**झारखण्ड सरकार**



# विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
● विषय सूची	i - ii
● प्रस्तावना	iii
● विनियोग लेखे का सारांश	iv - xvi
● भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र	xvii - xviii
<b>विनियोग लेखे -</b>	
1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1 - 21
2. कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	22 - 36
3. भवन निर्माण विभाग	37 - 42
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	43 - 45
5. राज्यपाल सचिवालय	46 - 47
6. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	48 - 49
7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	50
8. परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	51 - 54
9. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	55 - 60
10. ऊर्जा विभाग	61 - 71
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	72 - 74
12. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	75 - 79
13. ब्याज संदाय	80 - 83
14. ऋण की वापसी/अदायगी	84 - 88
15. पेंशन	89 - 93
16. योजना-सह-वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)	94
17. वाणिज्यकर विभाग	95 - 96
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	97 - 109
19. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	110 - 120
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	121 - 141
21. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	142 - 149
22. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	150 - 162
23. उद्योग विभाग	163 - 173
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	174 - 177
25. योजना-सह-वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)	178
26. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	179 - 188
27. विधि विभाग	189 - 192
28. झारखण्ड उच्च न्यायालय	193 - 194

29. खान एवं भूतत्व विभाग	195 - 196
30. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	197 - 202
31. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)	203
32. विधान सभा	204 - 205
33. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	206 - 207
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग	208
35. योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	209 - 213
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	214 - 219
37. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)	220
38. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	221 - 222
39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	223 - 230
40. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	231 - 237
41. पथ निर्माण विभाग	238 - 245
42. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	246 - 263
43. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	264 - 267
44. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	268 - 269
45. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	270 - 273
46. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	274 - 278
47. परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	279 - 283
48. नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	284 - 297
49. जल संसाधन विभाग	298 - 307
50. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	308 - 314
51. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	315 - 334
52. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	335 - 342
53. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	343 - 348
54. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	349 - 356
55. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	357 - 366
56. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	367 - 374
57. नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	375 - 376
58. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	377 - 389
59. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	390 - 395
60. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	396 - 420
परिशिष्ट	421

## प्रस्तावना

वर्ष 2019-20 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

2. इन लेखों में :

- “मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।
- “अनुपूरक” अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।
- “पुनर्वि०” सक्षम प्रधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्यर्पण का द्योतक होता है।  
प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(र हजार में)		(र हजार में)	
1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)				
दत्तमत	33,73,76,93	1,14,60,00	20,62,06,69	61,75,87
2. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)				
दत्तमत	2,73,65,58	10,00,00	2,12,65,30	5,06,58
3. भवन निर्माण विभाग				
दत्तमत	1,19,69,75	6,77,17,00	91,04,04	4,58,51,04
4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)				
दत्तमत	66,17,59	00	42,13,71	00
5. राज्यपाल सचिवालय				
प्रभारित	12,51,72	00	10,11,00	00
6. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग				
दत्तमत	4,02,14,29	00	3,48,16,29	00
7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)				
दत्तमत	33,19,74	00	32,78,08	00
8. परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)				
दत्तमत	27,25,84	35,16,00	19,26,20	3,41,49
9. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)				
दत्तमत	2,65,00,25	83,50,00	66,08,92	47,97,78
10. ऊर्जा विभाग				
दत्तमत	44,59,41,51	17,90,13,00	30,59,09,91	89,32,22
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग				
दत्तमत	42,05,80	12,73,67	33,31,82	2,73,67

सारांश			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

13,11,70,24	52,84,13	00	00
61,00,28	4,93,42	00	00
28,65,71	2,18,65,96	00	00
24,03,88	00	00	00
2,40,72	00	00	00
53,98,00	00	00	00
41,66	00	00	00
7,99,64	31,74,51	00	00
1,98,91,33	35,52,22	00	00
14,00,31,60	17,00,80,78	00	00
8,73,98	10,00,00	00	00



विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
12. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)				
दत्तमत	80,43,23	78,24,77	58,76,55	54,51,97
13. ब्याज संदाय				
प्रभारित	51,87,07,04	00	53,07,71,21	00
14. ऋण की वापसी/आदायगी				
प्रभारित	2,80,16,00	42,54,36,92	00	42,31,40,29
15. पेंशन				
दत्तमत	58,11,92,05	00	60,04,59,69	00
16. योजना-सह-वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग)				
दत्तमत	3,25,44	00	2,62,50	00
17. वाणिज्यकर विभाग				
दत्तमत	98,10,53	8,23	84,20,33	8,23
18. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोगता मामले विभाग				
दत्तमत	15,40,92,56	10,00,00	11,34,34,72	37,59
19. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग				
दत्तमत	10,00,86,65	00	7,14,44,21	00
20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग				
दत्तमत	38,18,52,71	7,63,30,17	27,80,61,31	3,47,68,80
21. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)				
दत्तमत	17,58,44,80	00	14,47,55,13	00
22. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)				
दत्तमत	54,50,75,69	11,03,31,73	52,56,74,00	8,08,22,93

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
21,66,68	23,72,80	00	00
00	00	1,20,64,17	00
		(1,20,64,16,948)	
2,80,16,00	22,96,63	00	00
00	00	1,92,67,64	00
		(1,92,67,63,970)	
62,94	00	00	00
13,90,20	00	00	00
4,06,57,84	9,62,41	00	00
2,86,42,44	00	00	00
10,37,91,40	4,15,61,37	00	00
3,10,89,67	00	00	00
1,94,01,69	2,95,08,80	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
23. उद्योग विभाग				
दत्तमत	4,42,97,67	10,99,00	2,72,46,91	4,00,00
24. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग				
दत्तमत	2,04,01,26	15,30,00	1,92,36,59	8,81,37
25. योजना-सह-वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग)				
दत्तमत	1,00,40	00	74,37	00
26. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग				
दत्तमत	2,83,29,46	1,41,69,33	1,42,88,03	18,36,03
27. विधि विभाग				
दत्तमत	4,40,24,19	00	3,60,98,45	00
28. झारखण्ड उच्च न्यायालय				
प्रभारित	1,16,08,29	00	97,53,67	00
29. खान एवं भूतत्व विभाग				
दत्तमत	78,89,07	5,50,00	57,45,71	00
30. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)				
दत्तमत	2,52,99	1,02,24,00	2,25,75	57,62,74
31. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)				
दत्तमत	1,66,88	00	1,05,00	00
32. विधान सभा				
दत्तमत	99,25,92	0	91,43,11	00
प्रभारित	61,58	0	50,99	00
33. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)				
दत्तमत	34,64,20	0	29,63,98	00

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
1,70,50,76	6,99,00	00	00
11,64,67	6,48,63	00	00
26,03	00	00	00
1,40,41,43	1,23,33,30	00	00
79,25,74	00	00	00
18,54,62	00	00	00
21,43,36	5,50,00	00	00
27,24	44,61,26	00	00
61,88	00	00	00
7,82,81	00	00	00
10,59	00	00	00
5,00,22	00	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(र हजार में)		(र हजार में)	
34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग प्रभारित	16,17,72	0	14,71,39	00
35. योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) दत्तमत	3,39,93,33	5,00	2,70,39,19	00
36. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग दत्तमत	18,40,06,40	7,51,00,00	6,41,45,62	5,38,72,79
37. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग) दत्तमत	25,18,24	00	24,64,81	00
38. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) दत्तमत	35,25,07	00	24,90,00	00
39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) दत्तमत	11,26,69,70	00	4,37,42,26	00
40. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार) प्रभाग) दत्तमत	7,71,78,80	68,00,05	5,23,63,48	60,05,72
41. पथ निर्माण विभाग दत्तमत	4,28,28,40	47,50,00,00	2,47,05,15	36,74,32,82
42. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) दत्तमत	69,47,09,86	5,40,49,51	44,52,58,45	4,16,39,70
43. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) दत्तमत	3,25,76,60	2,60,00,00	2,29,94,31	2,26,19,92

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
1,46,33	00	00	00
69,54,14	5,00	00	00
11,98,60,78	2,12,27,21	00	00
53,43	00	00	00
10,35,07	00	00	00
6,89,27,44	00	00	00
2,48,15,32	7,94,33	00	00
1,81,23,25	10,75,67,18	00	00
24,94,51,41	1,24,09,81	00	00
95,82,29	33,80,08	00	00

विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
44. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग दत्तमत	7,26,70	00	6,28,84	00
45. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग दत्तमत	1,92,27,25	20,01,00	1,46,53,01	7,03,89
46. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग) दत्तमत	91,71,92	92,50,00	72,81,85	44,45,75
47. परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग) दत्तमत	3,04,24,75	22,01,00	1,77,31,47	9,20,26
48. नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) दत्तमत	33,59,84,24	38,64,76	25,35,14,57	23,58,84
49. जल संसाधन विभाग दत्तमत	4,08,67,94	19,40,04,00	3,18,54,04	11,69,93,31
50. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) दत्तमत	1,11,91,32	5,80,36,00	75,33,06	1,58,84,85
51. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) दत्तमत	17,37,07,95	1,64,00,00	12,10,70,93	1,07,73,40
52. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग) दत्तमत	86,31,35	52,20,00	70,26,01	24,89,27
53. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) दत्तमत	73,10,42	54,26,20	58,68,82	38,67,18
54. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग) दत्तमत	2,43,41,42	2,00,00	58,79,45	00

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
97,86	00	00	00
45,74,24	12,97,11	00	00
18,90,07	48,04,25	00	00
1,26,93,28	12,80,74	00	00
8,24,69,67	15,05,92	00	00
90,13,90	7,70,10,69	00	00
36,58,26	4,21,51,15	00	00
5,26,37,02	56,26,60	00	00
16,05,34	27,30,73	00	00
14,41,60	15,59,02	00	00
1,84,61,97	2,00,00	00	00



विनियोग लेखे का				
अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
55. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग) दत्तमत	21,01,08,42	21,95,80,00	9,50,56,12	15,74,71,52
56. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) दत्तमत	28,53,98,39	6,00,00	24,82,11,04	00
57. नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग) दत्तमत	7,15,22	00	47,48	00
58. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग) दत्तमत	21,18,91,45	56,00,00	14,57,62,25	00
59. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग) दत्तमत	76,37,19,43	00	64,00,53,97	00
60. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग दत्तमत	49,26,46,49	35,46,50	39,11,59,85	86,39
कुल दत्तमत	6,83,14,84,04	1,65,82,80,92	5,13,87,13,33	1,00,44,13,92
कुल प्रभारित	56,12,62,35	42,54,36,92	54,30,58,26	42,31,40,29
कुल जोड़	7,39,27,46,39	2,08,37,17,84	5,68,17,71,59	1,42,75,54,21

सारांश - क्रमशः			
कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
11,50,52,30	6,21,08,48	00	00
3,71,87,35	6,00,00	00	00
6,67,74	00	00	00
6,61,29,20	56,00,00	00	00
12,36,65,46	00	00	00
10,14,86,64	34,60,11	00	00
1,71,20,38,35	65,38,67,00	1,92,67,64	00
3,02,68,26	22,96,63	1,20,64,17	00
1,74,23,06,61	65,61,63,63	3,13,31,81	00

## विनियोग लेखे का सारांश-क्रमांत

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है :-

**राजस्व प्रभाग :**

15 पेंशन

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग में अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है :-

**राजस्व प्रभाग :**

13 ब्याज संदाय

चूँकि अनुदान और विनियोग, व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है :-

	दत्तमत		प्रभारित	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	5,13,87,13,33	1,00,44,13,92	54,30,58,26	42,31,40,29
घटाएँ -				
कुल वसूलियाँ	3,61,08,60	00	00	00
निवल कुल व्यय	5,10,26,04,73	1,00,44,13,92	54,30,58,26	42,31,40,29
जैसा कि वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दिखाया गया है।				

उपर्युक्त में संदर्भित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और सवितरणों के लेखाओं सहित के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं का सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।



इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले झारखण्ड सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

### अतिमहत्वपूर्ण बातें

मैं निम्नलिखित अर्थपूर्ण विषयों/मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि इन लेखाओं की शुद्धता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा लोक वित्त पर विधायी नियंत्रण बनाए रखते हैं।

1. वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य विधानमंडल के द्वारा कुल अनुदान अथवा विनियोग तथा व्यय के मध्य महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं, जिसके परिणामस्वरूप नौ अनुदानों (1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, 10-ऊर्जा विभाग, 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, 36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, 41-पथ निर्माण विभाग, 42- ग्रामीण विकास विभाग, 55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग), 59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग) के अन्तर्गत ₹ 15,263.32 करोड़ की बचत हुई है, जिसके कारणों को विनियोग लेखे में उचित तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा, इन अनुदानों के अन्तर्गत विगत चार वर्षों के दौरान प्रत्येक में से कम से कम ₹ 6,184.28 करोड़ की कुल बचत हुई थी।

2. वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 313.32 करोड़ अनुदान/विनियोग पर अधिक संवितरण हुआ। ₹ 3,015.37 करोड़ की राशि, जो कि वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक से सम्बन्धित है, को अनुदान/विनियोग पर अधिक संवितरण किया गया, का राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 205 का उल्लंघन है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा अधिक अनुदानों के विनियमितिकरण के लिए प्रदत्त है। यह बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण की पद्धति को निष्फल करता है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितता को प्रोत्साहित करता है।

उपरोक्त मामलों पर लेखापरीक्षा अवलोकनों को 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तारपूर्वक दर्शाया गया है।

दिनांक : 8 मार्च 2021

नई दिल्ली



( गिरीश चंद्र मुर्मू )

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



## अनुदान संख्या 1 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( कृषि प्रभाग )

( मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय )

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	32,30,58,97	33,73,76,93	20,62,06,69	(-) 13,11,70,24
अनुपूरक	1,43,17,96			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

13,11,50,84

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	1,14,60,00	1,14,60,00	61,75,87	(-) 52,84,13
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

52,84,13

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹13,11,70.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹ 46,90.57 लाख), जनवरी 2020 (₹11,14.45 लाख) एवं मार्च 2020 (₹85,12.94 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,43,17.96 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।



**अनुदान संख्या - 1 क्रमशः**

- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹13,11,50.84 लाख), अंतिम बचत (₹13,11,70.24 लाख) से ₹19.40 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2401-00.108.B1- उद्यान विकास की योजना (राज्य स्कीम) एवं 2401-00.796.B1- उद्यान विकास की योजना (राज्य स्कीम) के अंतर्गत (₹1,60.61 लाख एवं ₹1,90.39 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹22,50.00 लाख एवं ₹45,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00) लाख अथवा प्रावधान के 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.102.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,44.00	1,07.90	1,07.90	0.00	₹36.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.10				
2401-00.102.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	96.00	61.93	61.93	0.00	₹34.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.07				
2401-00.102.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	10,80.00	5,34.53	5,34.53	0.00	₹14,19.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	8,73.60				
	पुनर्वि.	(-)14,19.07				
2401-00.102.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	7,20.00	4,10.82	4,10.82	0.00	₹8,90.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2009)।
	अनुपूरक	5,81.40				
	पुनर्वि.	(-)8,90.58				
2401-00.102.AJ- डबल क्रॉपिंग राईस फैलो स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	4,82.04	4,82.04	0.00	₹1,17.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,17.96				

**अनुदान संख्या - 1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2401-00.102.AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,80.00	60.94	60.94	0.00	₹1,19.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,19.06				
2401-00.102.AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,20.00	40.63	40.63	0.00	₹79.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)79.37				
2401-00.102.AU- कन्वर्सन ऑफ फैलो लैंड इंटू क्रॉप एरिया (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	1,06.26	1,06.26	0.00	₹43.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43.74				
2401-00.103.01- बीज संवर्धन फार्म (स्थापना व्यय)	मूल	5,15.67	3,46.62	3,46.59	(-)0.03	₹1,69.08 लाख की कुल बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,69.05				
2401-00.104.BF- कृषकों को स्मार्ट फोन वितरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	2,40.18	2,40.18	0.00	₹59.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)59.82				
2401-00.105.B2- जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	24,00.00	20,85.61	20,85.61	0.00	₹3,14.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,14.39				

**अनुदान संख्या - 1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2401-00.107.09- पौधा संरक्षण योजना (स्थापना व्यय)	मूल	9,42.17	7,87.42	7,87.42	0.00	₹1,54.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,54.75				
2401-00.109.01- प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	73,47.08	61,99.18	61,93.53	(-)5.65	₹12,03.55 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)11,97.90				
2401-00.109.08- क्षेत्र परीक्षणात्मक सेवा की योजना (स्थापना व्यय)	मूल	1,76.91	90.62	90.62	0.00	₹86.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86.29				
2401-00.109.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	11,25.00	4,22.07	4,22.07	0.00	₹7,02.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,63.00				
	पुनर्वि.	(-)7,02.93				
2401-00.109.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,00.00	8,12.85	8,12.85	0.00	₹5,37.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	7,50.00				
	पुनर्वि.	(-)5,37.15				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2401-00.109.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	9,00.00	13,46.44	13,46.44	0.00	₹7,57.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	12,03.88				
	पुनर्वि.	(-)7,57.44				
2401-00.109.AX- कृषि मेला,कार्यशाला प्रदर्शनी प्रशिक्षण इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	6,72.00	4,06.36	4,06.36	0.00	₹2,65.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,65.64				
2401-00.109.B0- सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना एवं मोबाईल वेस्ट ई-सोल्यूसन (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	3,76.57	3,76.57	0.00	₹2,23.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,23.43				
2401-00.113.BA- कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	9,79.25	9,79.25	0.00	₹20,20.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,20.75				
2401-00.119.05- सब्जी विकास योजना (रोग मुक्त प्रमाणित आलू बीज योजना) (स्थापना व्यय)	मूल	2,67.87	1,96.62	1,96.62	0.00	₹71.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71.25				

**अनुदान संख्या - 1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.119.94- राज्य बागवानी मिशन गैर क्रियान्वित जिला (राज्य स्कीम)	मूल	14,70.00	12,93.29	12,93.29	0.00	₹1,76.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,76.71				
2401-00.789.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,75.00	1,40.69	1,40.69	0.00	₹2,34.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,34.31				
2401-00.789.94- राज्य बागवानी मिशन गैर क्रियान्वित जिला (राज्य स्कीम)	मूल	2,20.00	1,86.36	1,86.36	0.00	₹33.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.64				
2401-00.789.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	48.00	8.55	8.55	0.00	₹39.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.45				
2401-00.789.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.से. स्कीम)	मूल	3,60.00	1,84.25	1,84.25	0.00	₹1,75.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,75.75				
2401-00.789.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,40.00	1,04.35	1,04.35	0.00	₹1,35.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,35.65				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2401-00.789.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,00.00	1,43.19	1,43.19	0.00	₹4,56.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,56.81				
2401-00.789.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,00.00	84.09	84.09	0.00	₹3,15.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,15.91				
2401-00.789.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,00.00	3,87.07	3,87.07	0.00	₹62.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,50.00				
	पुनर्वि.	(-)62.93				
2401-00.789.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,00.00	6,27.91	6,27.91	0.00	₹73.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,01.30				
	पुनर्वि.	(-)73.39				
2401-00.789.AJ- डबल क्रापिंग राईस फैलो स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,40.75	1,40.75	0.00	₹59.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)59.25				
2401-00.789.AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	60.00	20.31	20.31	0.00	₹39.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.69				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.789.AX- कृषि मेला, कार्यशाला प्रदर्शनी प्रशिक्षण इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	2,24.00	74.96	74.96	0.00	₹1,49.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,49.04				
2401-00.789.B0- सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना एवं मोबाईल वेस्ट ई-सोल्यूसन (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,01.32	1,01.32	0.00	₹98.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)98.68				
2401-00.789.B2- जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	6,86.32	6,86.32	0.00	₹1,13.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,13.68				
2401-00.789.BA- कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	3,22.37	3,22.37	0.00	₹6,77.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,77.63				
2401-00.789.BF- कृषकों को स्मार्ट फोन वितरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	68.26	68.26	0.00	₹31.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.74				
2401-00.796.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	22,50.00	8,44.14	8,44.14	0.00	₹14,05.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,05.86				

**अनुदान संख्या - 1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2401-00.796.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	21,60.00	17,85.11	17,85.11	0.00	₹21,22.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	17,47.20				
	पुनर्वि.	(-)21,22.09				
2401-00.796.A1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	14,40.00	11,68.21	11,48.82	(-)19.39	₹14,53.98 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	11,62.80				
	पुनर्वि.	(-)14,34.59				
2401-00.796.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	36,00.00	11,29.07	11,29.07	0.00	₹24,70.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,70.93				
2401-00.796.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	24,00.00	7,22.88	7,22.88	0.00	₹16,77.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,77.12				
2401-00.796.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	12,00.00	19,18.67	19,13.51	(-)5.16	₹7,86.49 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	15,00.00				
	पुनर्वि.	(-)7,81.33				
2401-00.796.AG- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	18,00.00	33,57.97	33,48.57	(-)9.40	₹8,59.19 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	24,07.76				
	पुनर्वि.	(-)8,49.79				



**अनुदान संख्या - 1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2401-00.796.AJ- डबल क्रापिंग राइस फैलो योजना (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	8,01.32	8,01.32	0.00	₹3,98.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,98.68				
2401-00.796.AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,60.00	1,21.88	1,21.88	0.00	₹2,38.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,38.12				
2401-00.796.AS- परंपरागत कृषि विकास योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,40.00	81.25	81.25	0.00	₹1,58.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,58.75				
2401-00.796.AU- कन्वर्सन ऑफ फैलो लैण्ड इन्टू क्रॉप्ड एरिया (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	2,28.63	2,28.63	0.00	₹71.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71.37				
2401-00.796.AW- बीज, निवियम वितरण एवं बीज उत्पादन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	4,86.09	4,86.09	0.00	₹7,13.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,13.91				
2401-00.796.AX- कृषि मेला, कार्यशाला प्रदर्शनी प्रशिक्षण इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	13,44.00	10,02.83	10,02.83	0.00	₹3,41.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,41.17				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2401-00.796.B0- सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना वेस्ट ई-सोल्यूसन (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	7,89.68	7,89.68	0.00	₹4,10.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,10.32				
2401-00.796.B2- जैविक प्रमाणिकरण एवं जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	48,00.00	41,87.93	41,87.93	0.00	₹6,12.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,12.07				
2401-00.796.B3- इंटरैस्ट सबभेंसन (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	1,35.18	1,35.18	0.00	₹10,64.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,64.82				
2401-00.796.BA- कृषकों, महिला अव्यं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	60,00.00	20,27.91	20,27.91	0.00	₹39,72.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39,72.09				
2401-00.796.BE- मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना (राज्य स्कीम)	मूल	12,00,00.00	5,00,00.00	5,00,00.00	0.00	₹7,00,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,00,00.00				
2401-00.796.BF- कृषकों को स्मार्ट फोन वितरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	3,31.50	3,31.50	0.00	₹2,68.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,68.50				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.800.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	18,00.00	8,87.40	8,74.81	(-)12.59	₹9,25.19 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,12.60				
2401-00.800.AF- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	12,00.00	5,28.17	5,28.17	0.00	₹6,71.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,71.83				
2402-00.102.04- क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	12,74.97	11,24.23	11,24.23	0.00	₹1,56.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5.73				
	पुनर्वि.	(-)1,56.47				
2402-00.102.11- जल निधि (राज्य स्कीम)	मूल	45,00.00	4,15.69	4,15.69	0.00	₹40,84.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40,84.31				
2402-00.789.11- जल निधि (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	1,61.85	1,61.85	0.00	₹13,38.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,38.15				
2402-00.796.11- जल निधि (राज्य स्कीम)	मूल	90,00.00	14,74.48	14,74.48	0.00	₹75,25.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75,25.52				

**अनुदान संख्या - 1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2415-01.004.02- मिट्टी जाँच प्रयोगशाला (स्थापना व्यय)	मूल	1,20.45	43.92	43.92	0.00	₹76.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)76.53				
2415-01.277.02- प्रसार प्रशिक्षण केंद्र (स्थापना व्यय)	मूल	2,10.36	1,45.65	1,45.65	0.00	₹64.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.71				
2415-80.796.04- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	37,00.00	37,00.00	37,00.00	0.00	₹10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2415-80.796.17- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	1,47.00	1,47.00	0.00	₹1,53.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,53.00				
2435-01.102.14- मिट्टी जाँच से संबंधित भुगतान (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	1,20.00	1,20.00	0.00	₹4,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,80.00				
2435-01.789.14- मिट्टी जाँच से संबंधित भुगतान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	38.38	38.38	0.00	₹1,61.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,61.62				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2435-01.796.14- मिट्टी जाँच से संबंधित भुगतान (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	1,95.99	1,95.99	0.00	₹10,04.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,04.01				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.104.BD- सूक्ष्म सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	0.00	0.00	0.00	₹15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,00.00				
2401-00.105.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ साइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,26.00	0.00	0.00	0.00	₹1,26.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,26.00				
2401-00.105.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ साइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	84.00	0.00	0.00	0.00	₹84.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)84.00				

**अनुदान संख्या - 1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2401-00.105.B7- मृदा सुधार एवं मृदा प्रबंधन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2401-00.109.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,50.00	0.00	0.00	0.00	₹7,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,50.00				
2401-00.113.AT- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	90.00	0.00	0.00	0.00	₹90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.00				
2401-00.113.AT- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2401-00.115.B9- असहाय कृषकों तथा कृषि हेल्पलाइन के लिए आकस्मिकता कोष (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2401-00.195.B3- इंटरैस्ट सबभेंसन (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	₹6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2401-00.789.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,50.00	0.00	0.00	0.00	₹2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				
2401-00.789.AT- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2401-00.789.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	42.00	0.00	0.00	0.00	₹42.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.00				
2401-00.789.B3- इंटरैस्ट सबभेंसन (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

**अनुदान संख्या - 1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2401-00.789.B7- मृदा सुधार एवं मृदा प्रबंधन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2401-00.789.B9- असहाय कृषकों तथा कृषि हेल्पलाईन के लिए आकस्मिकता कोष (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2401-00.789.BD- सूक्ष्म सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2401-00.796.28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	15,00.00	0.00	0.00	0.00	₹15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,00.00				
2401-00.796.A0- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,88.00	0.00	0.00	0.00	₹2,88.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,88.00				



**अनुदान संख्या - 1 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2401-00.796.A0- नेशन मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,92.00	0.00	0.00	0.00	₹1,92.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,92.00				
2401-00.796.AT- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनइजेशन (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,80.00	0.00	0.00	0.00	₹1,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,80.00				
2401-00.796.AT- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनइजेशन (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,20.00	0.00	0.00	0.00	₹1,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.00				
2401-00.796.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ ऐंड फर्टिलिटी (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,52.00	0.00	0.00	0.00	₹2,52.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,52.00				
2401-00.796.AV- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ ऐंड फर्टिलिटी (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,68.00	0.00	0.00	0.00	₹1,68.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,68.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2401-00.796.B7- मृदा सुधार एवं मृदा प्रबंधन की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	₹6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2401-00.796.B9- असहाय कृषकों तथा कृषि हेल्पलाईन के लिए आकस्मिकता कोष (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2401-00.796.BD- सूक्ष्म सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	0.00	0.00	0.00	₹30,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,00.00				
2435-01.102.11- कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2435-01.796.11- कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				

अनुदान संख्या - 1 क्रमशः

पूजी:

(5) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4401-00.101.12- आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,20.00	7.89	7.89	0.00	₹1,12.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,12.11				
4402-00.203.01- बंजर भूमि एवं राइस फैलो विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	33,18.00	18,73.00	18,73.00	0.00	₹14,45.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,45.00				
4402-00.789.01- बंजर भूमि एवं राइस फैलो विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	11,06.00	5,61.16	5,61.16	0.00	₹5,44.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,44.84				
4402-00.796.01- बंजर भूमि एवं राइस फैलो विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	66,36.00	37,33.82	37,33.82	0.00	₹29,02.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)29,02.18				

अनुदान संख्या - 1 क्रमांत

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4401-00.789.12- आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
4401-00.796.12- आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,40.00	0.00	0.00	0.00	₹2,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,40.00				

## अनुदान संख्या 2 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( पशुपालन प्रभाग )

( मुख्य शीर्ष - 2403-पशुपालन, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय )

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	2,68,21,83	2,73,65,58	2,12,65,30	(-) 61,00,28
अनुपूरक	5,43,75			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
( मार्च 2020)

60,11,10

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	10,00,00	10,00,00	5,06,58	(-) 4,93,42
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
( मार्च 2020)

4,93,42

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹61,00.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹65.92 लाख), जनवरी 2020 (₹4,67.83 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 10.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹5,43.75 लाख अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹60,11.10 लाख), अंतिम बचत (₹61,00.28 लाख) से ₹89.18 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 2 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2403-00.001.01- अधीक्षण जिला प्रभार (स्थापना व्यय), 2403-00.101.03- अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना (स्थापना व्यय) एवं 2403-00.102.06- पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना (प्रमाणित सांदो के ग्राम्य क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय विस्तार प्रखण्डों में वितरण सहित) के अंतर्गत ₹1,00.57 लाख, ₹2,79.07 लाख एवं ₹1,82.62 की बचत जो क्रमशः ₹13,04.70 लाख, ₹ 78,96.57 लाख एवं ₹ 20,76.29 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.001.02- अधीक्षण-प्रमण्डल प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	2,15.52	1,93.95	1,93.95	0.00	₹21.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21.57				
2403-00.001.03- निदेशालय एवं क्षेत्रीय प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	1,25.00	32.11	32.11	0.00	₹92.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)92.89				
2403-00.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	1,46.93	1,26.37	1,26.37	0.00	₹0.12 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई थी। ₹20.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.56				
2403-00.101.24- अस्पताल, औषधालय तथा अन्य स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	4,10.00	3,28.52	3,28.52	0.00	₹81.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)81.48				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2403-00.101.30- इपिडेमिओलौजिकल एवं अनुश्रवण कोषांग (राज्य स्कीम)	मूल	1,69.00	53.16	53.16	0.00	₹1,15.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,15.84				
2403-00.101.67- पशुधन रोग नियंत्रण (पी.पी.आर. नियंत्रण कार्यक्रम) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	98.40	40.53	40.53	0.00	₹57.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.87				
2403-00.101.67- पशुधन रोग नियंत्रण (पी.पी.आर. नियंत्रण कार्यक्रम) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	65.60	25.71	25.71	0.00	₹39.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.89				
2403-00.101.98- फूट एण्ड माउथ डिसीस कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्डर लाईभस्टोक हेल्थ एण्ड डिसीस कन्ट्रोल स्कीम (एल.एच. एण्ड डी.सी.) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,76.00	25.30	25.30	0.00	₹2,50.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.70				

**अनुदान संख्या - 2 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2403-00.101.98- फूट एण्ड माउथ डिसीस कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्डर लाईभस्टोक हेल्थ एण्ड डिसीस कन्ट्रोल स्कीम ( एल.एच. एण्ड डी.सी. ) ( के.प्रा. स्कीम-राज्यांश )	मूल	1,84.00	13.98	13.98	0.00	₹1,70.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,70.02				
2403-00.101.A0- विशेष पशु चिकित्सा शिविर ( राज्य स्कीम )	मूल	2,00.00	1,62.61	1,62.61	0.00	₹37.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.39				
2403-00.105.02- बेकन फैक्टरी एवं बाजार यूनिट स्थापना की योजना ( स्थापना व्यय )	मूल	1,61.92	1,31.51	1,31.51	0.00	₹30.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.41				
2403-00.106.37- राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र ( राज्य स्कीम )	मूल	2,90.00	1,52.45	1,52.45	0.00	₹1,37.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,37.55				
2403-00.109.34- प्रशिक्षण ( राज्य स्कीम )	मूल	50.00	2.87	2.87	0.00	₹47.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.13				



अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2403-00.109.86- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	1,55.00	54.45	54.45	0.00	₹1,00.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.55				
2403-00.789.67- पशुधन रोग नियंत्रण (पी०पी०आर० नियंत्रण कार्यक्रम) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	48.00	10.80	10.80	0.00	₹37.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.20				
2403-00.789.67- पशुधन रोग नियंत्रण (पी०पी०आर० नियंत्रण कार्यक्रम) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	32.00	7.76	7.76	0.00	₹24.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24.24				
2403-00.789.98- फूट एण्ड माउट डिसीस कन्ट्रोल प्रोग्राम अन्डर लाईभस्टोक हेल्थ एण्ड डिसीस कन्ट्रोल स्कीम (एल.एच. एण्ड डी.सी.) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	80.00	42.81	42.81	0.00	₹37.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.19				
2403-00.796.03- निदेशालय एवं क्षेत्रीय प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	52.38	52.38	0.00	₹97.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)97.62				

**अनुदान संख्या - 2 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2403-00.796.24- अस्पताल, औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	3,33.00	2,54.15	2,54.15	0.00	₹78.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.85				
2403-00.796.26- प्रसार एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	1,25.00	40.86	40.86	0.00	₹84.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)84.14				
2403-00.796.37- राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र (राज्य स्कीम)	मूल	5,30.00	3,97.05	3,97.05	0.00	₹1,32.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,32.95				
2403-00.796.A0- विशेष पशु चिकित्सा शिविर (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	1,22.22	1,22.22	0.00	₹27.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27.78				
3454-01.001.03- पशुगणना (के०से०स्कीम)	मूल	3,00.00	1,63.52	1,63.52	0.00	₹1,36.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,36.48				
3454-01.789.03- पशुगणना (के०से०स्कीम)	मूल	2,13.00	9.28	9.28	0.00	₹2,03.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,03.72				

**अनुदान संख्या - 2 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
3454-01.796.03- पशुगणना (के०से०स्कीम)	मूल	0.00	2,63.62	1,84.45	(-)79.17	₹79.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,63.62				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2403-00.101.02- पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	50.40	0.00	0.00	0.00	₹50.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.40				
2403-00.101.02- पशु रोग नियंत्रण (सूकर ज्वर एवं खुरहा चपका) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	33.60	0.00	0.00	0.00	₹33.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.60				
2403-00.101.04- पशुओं की बीमारी के रोकथाम एवं नियंत्रण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2403-00.101.A3- आर० के० वी० वाई० अन्तर्गत ब्रूसेला नियंत्रण कार्यक्रम (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	39.00	0.00	0.00	0.00	₹39.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2403-00.101.A3- आर० के० वी० वाई० अन्तर्गत ब्रूसेला नियंत्रण कार्यक्रम (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	26.00	0.00	0.00	0.00	₹26.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26.00				
2403-00.101.A4- आर० के० वी० वाई० अन्तर्गत पशुपालकों के लिए घर के समीप पशु चिकित्सा व्यवस्था के लिए चलन पशु चिकित्सा सेवा (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	72.00	0.00	0.00	0.00	₹72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				
2403-00.101.A4- आर० के० वी० वाई० अन्तर्गत पशुपालकों के लिए घर के समीप पशु चिकित्सा व्यवस्था के लिए चलन पशु चिकित्सा सेवा (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	₹48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2403-00.102.04- झारखण्ड स्टेट इम्प्लेमेंटिंग एजेंसी फॉर कैटल एवं बुफैलो डेव्लपमेंट हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2403-00.102.90- नेशनल मिशन फॉर बोभाइन प्रोडक्टीविटी (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	42.00	0.00	0.00	0.00	₹42.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.00				
2403-00.102.90- नेशनल मिशन फॉर बोभाइन प्रोडक्टीविटी (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	28.00	0.00	0.00	0.00	₹28.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.00				
2403-00.103.96- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टीविटी प्रोजेक्ट फॉर लॉ इनपुट टेक्नोलॉजी बोर्ड्स (आई.पी.टी.बर्ड्स) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	72.00	0.00	0.00	0.00	₹72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				
2403-00.103.96- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टीविटी प्रोजेक्ट फॉर लॉ इनपुट टेक्नोलॉजी बोर्ड्स (आई.पी.टी.बर्ड्स) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	₹48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2403-00.103.97- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टीविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रोईलर्स (आई.पी. पी. फॉर ब्रोईलर्स) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	72.00	0.00	0.00	0.00	₹72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2403-00.103.97- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रोईलर्स (आई.पी. पी. फॉर ब्रोईलर्स) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	₹48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2403-00.106.A2- कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा समेकित खेती हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	₹4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2403-00.789.02- पशु रोग नियंत्रण (सुकर रोग एवं खुरहा चपका) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	33.60	0.00	0.00	0.00	₹33.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.60				
2403-00.789.02- पशु रोग नियंत्रण (सुकर रोग एवं खुरहा चपका) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	22.40	0.00	0.00	0.00	₹22.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22.40				

**अनुदान संख्या - 2 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2403-00.789.96- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लॉ इनपुट टेक्नोलॉजी बड्स ( आई.पी.पी.पी. फॉर एल आई.टी.बड्स ) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	₹48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2403-00.789.96- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लॉ इनपुट टेक्नोलॉजी बड्स ( आई.पी.पी.पी. फॉर एल आई.टी.बड्स ) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	32.00	0.00	0.00	0.00	₹32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.00				
2403-00.789.97- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रोईलर्स (आई. पी.पी.पी. फॉर ब्रोईलर्स) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	₹48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2403-00.789.97- इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर ब्रोईलर्स (आई. पी. पी. पी. फॉर ब्रोईलर्स) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3.20	0.00	0.00	0.00	₹32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	28.80				
	पुनर्वि.	(-)32.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2403-00.789.A2- कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा समेकित खेती हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2403-00.789.A4- आर.के.वी.आई. अन्तर्गत पशुपलकों के लिए घर के समीप पशु चिकित्सा व्यवस्था के लिए चलन पशु चिकित्सा सेवा (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	48.00	0.00	0.00	0.00	₹48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.00				
2403-00.789.A4- आर.के.वी.आई. अन्तर्गत पशुपलकों के लिए घर के समीप पशु चिकित्सा व्यवस्था के लिए चलन पशु चिकित्सा सेवा (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	32.00	0.00	0.00	0.00	₹32.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32.00				
2403-00.796.04- पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				



**अनुदान संख्या - 2 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2403-00.796.84- इंटरग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	0.00	0.00	0.00	₹12,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				
2403-00.796.98- फूट एण्ड माउथ डिसीस कंट्रोल प्रोग्राम अन्डर लाईभस्टोक हेल्थ एण्ड डिसीस कंट्रोल स्कीम (एल.एच. एण्ड डी.सी.) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	84.00	0.00	0.00	0.00	₹84.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)84.00				
2403-00.796.98- फूट एण्ड माउथ डिसीस कंट्रोल प्रोग्राम अन्डर लाईभस्टोक हेल्थ एण्ड डिसीस कंट्रोल स्कीम (एल.एच. एण्ड डी.सी.) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	56.00	0.00	0.00	0.00	₹56.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)56.00				
2403-00.796.A2- कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समेकित खेती हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	00.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

अनुदान संख्या - 2 क्रमशः

पूँजी:

(5) बचत (₹ 10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.106.06- पशु पक्षत्रों के सुदृढीकरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	14.81	14.81	0.00	₹85.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.19				
4403-00.109.11- निदेशन तथा प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	8.20	8.20	0.00	₹91.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)91.80				
4403-00.796.06- पशु पक्षत्रों के सुदृढीकरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	23.56	23.56	0.00	₹76.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)76.44				

**अनुदान संख्या - 2 क्रमांत**

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4403-00.101.07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,40.00	0.00	0.00	0.00	₹1,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-1,40.00)				
4403-00.796.07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-1,00.00)				

### अनुदान संख्या 3 - भवन निर्माण विभाग

( मुख्य शीर्ष - 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय )

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	1,19,59,25	1,19,69,75	91,04,04	(-) 28,65,71
अनुपूरक	10,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

28,54,73

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	5,87,17,00	6,77,17,00	4,58,51,04	(-) 2,18,65,96
अनुपूरक	90,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

2,18,66,25

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹28,65.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹10.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹28,54.73 लाख), अंतिम बचत (₹28,65.71 लाख) से ₹10.98 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 3 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2059-80.053.13-गैर आवासीय भवनों की रखरखाव एवं मरम्मती (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹88.76 लाख की बचत जो ₹20,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2059-80.001.01- निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	5,20.42	3,92.03	3,92.03	0.00	₹2.55 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई थी। ₹1,30.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,28.39				
2059-80.001.03- भवन निर्माण- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	8,76.43	5,34.98	5,34.98	0.00	₹3,41.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,41.45				
2059-80.001.04- भवन निर्माण (कार्य सम्पादन) (स्थापना व्यय)	मूल	52,84.82	38,16.64	38,16.74	+0.10	निधि अधिक होने के कारण ₹30.05 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹14,38.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,68.18				
2059-80.001.05- निरूपण (स्थापना व्यय)	मूल	3,57.33	1,90.62	1,90.62	0.00	₹1,66.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,66.71				

अनुदान संख्या - 3 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2059.80.001.06- निदेशन - एच. ई. सी. से लिए गये सचिवालय भवन एवं अन्य भवनों पर व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	1,93.58	1,93.58	0.00	₹1,06.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,06.42				
2059-80.001.12- बाह्य स्रोत से नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक, झांडूकश, रात्री प्रहरी इत्यादि संविदा पर नियुक्त अभियंतागण (राज्य स्कीम)	मूल	5,50.00	2,53.35	2,52.21	(-)1.14	₹3,08.29 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10.50				
	पुनर्वि.	(-)3,07.15				
2216-05.053.04- लोक निर्माण कार्य-आवासीय भवनों का मरम्मत एवं संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	12,87.89	12,79.47	(-) 8.42	₹2,20.53 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,12.11				

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2059-80.053.06- नगर निगम एवं नगर पालिका कर (स्थापना व्यय)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				

**अनुदान संख्या - 3 क्रमशः**

**पूँजी :**

(5) ₹2,18,65.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 में (₹60,00.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹30,00.00 लाख) प्राप्त किया गया ₹90,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(6) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-01.051.58- कार्यालय भवनों/ परिसदन भवन (राज्य स्कीम)	मूल	60,00.00	60,66.91	60,59.85	(-) 7.06	₹9,40.15 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)9,33.09				
4059-01.796.39- कोर्ट भवन/आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादी (केन्द्रांश- 75:राज्यांश-25) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	45,00.00	27,25.86	27,14.08	(-)11.78	₹17,85.92 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,74.14				
4059-01.796.48- प्रशिक्षण/निरूपण/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/ परामर्शी शुल्क (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	21.56	21.56	0.00	₹1,78.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,78.44				
4059-01.796.59- कोर्ट भवन (आवसीय गैर आवासीय) (राज्य स्कीम)	मूल	1,00,00.00	29,41.64	29,41.64	0.00	निधि अधिक होने के कारण ₹25,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹45,58.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70,58.36				

**अनुदान संख्या - 3 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4216-01.106.03- लोक निर्माण कार्य-राज्य में भवन संबंधी लघु निर्माण-कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	8.16	7.84	(-)0.32	₹91.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)91.84				
4216-01.796.14- सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	90,00.00	75,82.71	75,82.71	0.00	निधि अधिक होने के कारण ₹10,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹4,17.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,17.29				
4216-01-700.14- सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	26,00.00	16,93.74	16,93.74	0.00	₹9,06.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,06.26				

(7) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4059-01.051.48- प्रशिक्षण/निरूपण/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला परामर्शी शुल्क (राज्य स्कीम)	मूल	67.00	0.00	0.00	0.00	₹67.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67.00				



**अनुदान संख्या - 3 क्रमांत**

(8) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी अनौचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4059-01.051.39- कोर्ट भवन/आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश- 75 राज्यांश-25) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	30,00.00	10,43.68	10,48.67	+4.99	₹19,56.32 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹4.99 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,56.32				
4059-01.051.39- कोर्ट भवन/आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश- 75: राज्यांश-25) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	45,00.00	89.10	99.20	+10.10	₹44,10.90 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹10.10 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)44,10.90				
4059-01.796.39- कोर्ट भवन/आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि (केन्द्रांश- 75: राज्यांश - 25) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	67,50.00	9,89.36	10,01.14	+11.78	₹57,60.64 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹11.78 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57,60.64				

**अनुदान संख्या 4 - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग  
( मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग )**

( मुख्य शीर्ष - 2013 - मंत्रिपरिषद्, 2052 - सचिवालय - सामान्य सेवाएं, 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2205 - कला एवं संस्कृति )

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	54,35,09	66,17,59	42,13,71	(-) 24,03,88
अनुपूरक	11,82,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

31,52,48

**टीका एवं टिप्पणियाँ:**

- (1) ₹ 24,03.88 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹ 3,65.50 लाख), जनवरी 2020 (₹ 3,32.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 4,85.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,82.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 31,52.48 लाख), अंतिम बचत (₹ 24,03.88 लाख) से ₹ 7,48.60 लाख अधिक था।
- (3) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2013-00.101.01- मंत्रिगण (स्थापना व्यय)	मूल	14,20.07	9,13.63	9,13.63	0.00	₹9,41.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,35.00				
	पुनर्वि.	(-)9,41.44				
2013-00.105.02- मंत्रिगण वैवेकिक अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	8,00.00	5,64.74	5,64.74	0.00	₹2,35.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,35.26				

**अनुदान संख्या - 4 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2013-00.108.02- निजी स्टाफ का यात्रा व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	30.00	6.85	6.85	(-)0.29	₹23.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23.15				
2052-00.090.01- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (मुख्यमंत्री का सचिवालय) (स्थापना व्यय)	मूल	6,05.60	4,37.85	4,37.85	0.00	₹2,50.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	82.50				
	पुनर्वि.	(-)2,50.25				
2052-00.090.24- मंत्रिमंडल सचिवालय (समन्वय एवं प्रोटोकॉल) (स्थापना व्यय)	मूल	6,09.01	6,60.03	6,60.03	0.00	₹2,86.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3,37.50				
	पुनर्वि.	(-)2,86.48				
2052-00.090.25- मंत्रिमंडल सचिवालय (मुख्य सचिव, सचिवालय) (स्थापना व्यय)	मूल	2,56.26	1,71.19	1,71.19	0.00	₹85.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.07				
2070-00.115.01- राज्य अतिथि गृह (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.09	1,77.03	1,77.03	0.00	₹23.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23.06				
2070-00.800.04- पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके निजी कर्मियों को सुविधाएँ (स्थावना व्यय)	मूल	2,42.04	1,88.97	1,88.97	0.00	₹53.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)53.07				

**अनुदान संख्या - 4 क्रमांत**

(4) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामलों में, अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अत्यधिक सिद्ध हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2013-00.108.01- मंत्रिगण का यात्रा व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	30.78	49.38	+18.61	₹1,69.22 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹18.61 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,69.22				
2070-00.115.02- झारखण्ड भवन- स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	8,23.47	0.00	7,29.99	+7,29.99	₹10,70.97 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹7,29.99 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,47.50				
	पुनर्वि.	(-)10,70.97				

## विनियोग संख्या 5 - राज्यपाल सचिवालय

( मुख्य शीर्ष-2012 - राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक )

राजस्व :

प्रभारित :

		कुल विनियोग ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	11,85,99	12,51,72	10,11,00	(-) 2,40,72
अनुपूरक	65,73			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

2,40,72

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (1) ₹ 2,40.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹17.51 लाख) एवं जनवरी 2020 (₹ 48.22 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 65.73 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2012-03.090.01- सचिवालय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	6,09.73	5,68.07	5,68.01	(-)0.06	₹1,03.51 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹0.06 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	61.85				
	पुनर्वि.	(-)1,03.51				
2012-03.103.01- राज्यपाल का घरेलु स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	2,78.08	2,25.83	2,25.83	0.00	₹53.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1.50				
	पुनर्वि.	(-)53.75				

विनियोग संख्या - 5 क्रमांत

शीर्ष			कुल विनियोग ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2012-03.103.02- राज्यपाल के सैन्य सचिव एवं परिसहाय (स्थापना व्यय)	मूल	73.27	36.73	36.78	+0.05	₹36.49 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.54				
2012-03.103.05- बाग एवं उधान (स्थापना व्यय)	मूल	79.94	63.28	63.28	0.00	₹16.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16.66				
2012-03.105.01- अन्य प्रभार (चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति) (स्थापना व्यय)	मूल	30.32	11.52	11.52	0.00	₹18.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18.80				

## अनुदान संख्या 6 - मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

(मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	61,33,14	4,02,14,29	3,48,16,29	(-) 53,98,00
अनुपूरक	3,40,81,15			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

53,73,00

**टीका एवं टिप्पणियाँ :**

- (1) ₹53,98.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹ 3,32,22.23 लाख), जनवरी 2020 (₹ 8,31.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 27.92 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,40,81.15 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 53,73.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 53,98.00 लाख) से ₹ 25.00 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2015-00.102.01-मुख्यालय एवं सामान्य स्थापना (स्थापना व्यय), 2015-00.103.01-बी.एल.ओ. को मानदेय (स्थापना व्यय), 2015-00.103.03-स्वीप कार्यक्रम योजना (स्थापन व्यय), 2015-00.105.01-लोक सभा का आम निर्वाचन (स्थापना व्यय) एवं 2015-00.106.01-राज्य विधानसभा का आम निर्वाचन (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹1,88.96 लाख, ₹1,79.94 लाख, ₹69.59 लाख, ₹12,41.37 लाख तथा ₹13,08.49 लाख के बचत, जो क्रमशः ₹27,38.80 लाख, ₹24,12.84 लाख, ₹27,00.00 लाख, ₹1,43,42.01 लाख तथा ₹1,44,41.22 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2015-00.103.02- मतदाता सूची का मुद्रण (स्थापना व्यय)	मूल	12,00.00	8,20.84	8,20.84	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)3,79.16			
₹ 3,79.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।					

**अनुदान संख्या - 6 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2015-00.105.04- निर्वाचन अवधि में वायुयान/हेलीकॉप्टर पर होने वाले व्यय का भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	0.01	77.50	77.50	0.00	₹9,22.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)9,22.51				
2015-00.106.04- निर्वाचन अवधि में वायुयान/हेलीकॉप्टर पर होने वाले व्यय का भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	0.01	76.48	76.48	0.00	₹9,23.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)9,23.53				
2015-00.108.02- मतदाता पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	3,00.00	1,24.46	1,24.46	0.00	₹1,75.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,75.54				



## अनुदान संख्या 7 - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ( निगरानी प्रभाग )

( मुख्य शीर्ष - 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवा )

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	30,40,91	33,19,74	32,78,08	(-)41,66
अनुपूरक	2,78,83			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(31 मार्च 2020)

41,96

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (1) ₹ 41.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 (₹ 1,26.83 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 1,52.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,78.83 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) शीर्ष 2070-00.104.04- अनुसंधान ब्यूरो (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹ 22.28 लाख की बचत, जो ₹ 29,53.95 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

## अनुदान संख्या 8 - परिवहन विभाग ( नागर विमानन प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष - 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 3053-नागर विमानन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	27,12,84	27,25,84	19,26,20	(-)7,99,64
अनुपूरक	13,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

7,99,64

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	35,01,00	35,16,00	3,41,49	(-)31,74,51
अनुपूरक	15,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

31,74,51

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 7,99.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 में प्राप्त किया गया ₹13.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 8 क्रमशः**

- (2) शीर्ष 3053-80.003.01- प्रशिक्षण तथा शिक्षा (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹ 19.55 लाख की बचत, जो ₹ 5,05.43 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान के 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2070-00.114.01- सरकारी वयुयानों का अनुरक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	21,08.41	14,15.52	14,15.52	0.00	₹7,05.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	13.00				
	पुनर्वि.	(-)7,05.89				
3053-02.102.07- रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आर.सी. एस.) एवं हवाई अड्डों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	10.78	10.78	0.00	₹39.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.22				
3053-02.796.07- रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आर.सी. एस.) एवं हवाई अड्डों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	49.00	14.02	14.02	0.00	₹34.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.98				

**पूंजी :**

- (3) ₹31,74.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 में प्राप्त किया गया ₹15.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 8 क्रमशः**

(4) बचत (₹15.00 लाख अथवा 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5053-02.102.05- विभिन्न जिलों के मुख्यालयों में रनवे का निर्माण एवं विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	1,99.00	32.95	32.95	0.00	₹1,66.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,66.05				
5053-80.003.05- सी.पी.एल. ग्लाइडिंग तथा एयरो मॉडलिंग प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	1,69.75	1,69.75	0.00	₹1,30.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,30.25				
5053-80.796.05- सी.पी.एल. ग्लाइडिंग तथा एयरो मॉडलिंग प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,22.83	1,22.83	0.00	₹77.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77.17				

(5) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5053-02.102.09- देवघर हवाई अड्डा का विकास एवं विस्तारीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	0.00	0.00	0.00	₹25,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,00.00				

**अनुदान संख्या - 8 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
5053-02.796.01- बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
5053-02.796.03- राँची हवाई अड्डे पर राजकीय एयरबेस के निर्माण हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

## अनुदान संख्या 9 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( सहकारिता प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष - 2425- सहकारिता, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	2,64,59,07	2,65,00,25	66,08,92	(-)1,98,91,33
अनुपूरक	41,18			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

1,98,88,01

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	83,50,00	83,50,00	47,97,78	(-)35,52,22
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

35,52,22

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹1,98,91.33 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹41.18 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,98,88.01 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,98,91.33 लाख) से ₹ 3.32 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 9 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2425-00.001.02- अधिक्षण एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में सहकारी समितियों का विकास एवं संगठन (स्थापना व्यय) 2425-00.101.01- अंकेक्षण (स्थापना व्यय) एवं 2425-00.108.01- विशेष सहकारी समितियों का संगठन एवं पर्यवेक्षण (स्थापना व्यय) के अंतर्गत प्रीमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹ 2,71.19 लाख, ₹ 97.23 लाख एवं ₹23.50 लाख की कुल बचत जो क्रमशः ₹38,81.42 लाख, ₹18,80.82 लाख एवं ₹ 4,72.09 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.001.01- निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	1,83.56	1,18.01	1,18.01	0.00	₹65.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.55				
2425-00.108.63- सूचना प्रसार, सेमिनार, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, आलेखन एवं सहकारिता प्रक्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के प्रचार-प्रसार तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,50.00	34.90	34.90	0.00	₹4,15.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,15.10				
2425-00.796.63- सूचना प्रसार, सेमिनार, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, आलेखन एवं सहकारिता प्रक्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के प्रचार-प्रसार तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	7,50.00	59.09	59.09	0.00	₹6,90.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,90.91				

**अनुदान संख्या - 9 क्रमशः**

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2425-00.107.27- फसल बीमा योजना अन्तर्गत प्रिमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	42,00.00	0.00	0.00	0.00	₹42,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42,00.00				
2425-00.107.62- एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	0.00	0.00	0.00	₹9,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,00.00				
2425-00.108.60- मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लैम्स/ पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट और कम्प्यूटरीकरण के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2425-00.789.27- फसल बीमा योजना अन्तर्गत प्रिमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	28,00.00	0.00	0.00	0.00	₹28,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28,00.00				



अनुदान संख्या - 9 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2425-00.789.60- मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लैम्स/ पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कम्प्यूटरीकरण के लिए अनुदान एवं मुख्यालय में कम्प्यूटरीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2425-00.789.62- एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	₹6,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2425-00.789.63- सूचना प्रसार, सेमिनार, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, आलेखन एवं सहकारिता प्रक्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के प्रचार/प्रसार तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	(-)0.00	₹3,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

अनुदान संख्या - 9 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2425-00.796.27- फसल बीमा योजना अन्तर्गत प्रिमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	70,00.00	0.00	0.00	0.00	₹70,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70,00.00				
2425-00.796.60- मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लैम्स/ पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट और कम्प्यूटरीकरण के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2425-00.796.62- एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	0.00	0.00	0.00	₹15,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,00.00				

**अनुदान संख्या - 9 क्रमांत**

**पूँजी :**

(5) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4425-00.108.16- सहकारिता प्रभाग अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहकारी बैंक, शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियों के आधारभूत सरंचना विकास हेतु पूंजीगत परिव्यय (राज्य स्कीम)	मूल	25,05.00	14,46.61	14,46.61	0.00	₹10,58.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,58.39				
4425-00.789.16- सहकारिता प्रभाग अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहकारी बैंक, शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियों के आधारभूत सरंचना विकास हेतु पूंजीगत परिव्यय (राज्य स्कीम)	मूल	16,70.00	9,53.53	9,53.53	0.00	₹7,16.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,16.47				
4425-00.796.16- सहकारिता प्रभाग अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहकारी बैंक, शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियों के आधारभूत सरंचना विकास हेतु पूंजीगत परिव्यय (राज्य स्कीम)	मूल	41,75.00	23,97.64	23,97.64	0.00	₹17,77.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,77.36				

## अनुदान संख्या 10 - ऊर्जा विभाग

( मुख्य शीर्ष -2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059 - लोक निर्माण कार्य, 2801- बिजली, 2810 - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, 3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 6801 - बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज )

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	35,33,08,87	44,59,41,51	30,59,09,91	(-)14,00,31,60
अनुपूरक	9,26,32,64			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

13,79,79,84

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	17,90,13,00	17,90,13,00	89,32,22	(-)17,00,80,78
अनुपूरक	0.00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

17,00,80,78

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹14,00,31.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹3,70,64.00 लाख), जनवरी 2020 (₹5,55,56.64 लाख) एवं मार्च 2020 (₹12.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹9,26,32.64 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹13,79,79.84 लाख), अंतिम बचत (₹14,00,31.60 लाख) से ₹20,51.76 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 10 क्रमशः**

(3) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2059-80.001.10- विद्युत कार्य संपादन (स्थापना व्यय)	मूल	37,04.74	37,86.46	37,98.70	+12.24	₹4,38.04 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5,32.00				
	पुनर्वि.	(-)4,50.28				
2059-80.053.14- विद्युत कार्य प्रमंडल के अंतर्गत पूंजीगत मरम्मती (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	15,64.78	15,64.78	0.00	₹4,35.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,35.22				
2801-05.052.03- पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (राज्य स्कीम)	मूल	26,66.00	13,86.32	13,86.32	0.00	₹12,79.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,79.68				
2801-05.789.03- पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (राज्य स्कीम)	मूल	5,16.00	2,68.32	2,68.32	0.00	₹2,47.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,47.68				
2801-05.796.03- पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (राज्य स्कीम)	मूल	11,18.00	5,81.36	5,81.36	0.00	₹5,36.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,36.64				

अनुदान संख्या - 10 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2801-06.052.04- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे. वाई.) के तहत ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु राज्यांश (राज्य स्कीम)	मूल	6,47,28.00	2,91,26.36	2,91,26.36	0.00	₹3,56,01.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,56,01.64				
2801-06.052.05- 12वीं योजना के अंतर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु जे.बी.भी.एन. एल. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	71,92.00	28,21.62	28,21.62	0.00	₹43,70.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)43,70.38				
2801-06.789.04- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे. वाई.) के तहत ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु राज्यांश (राज्य स्कीम)	मूल	1,25,28.00	56,37.36	56,37.36	0.00	₹68,90.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)68,90.64				
2801-06.789.05- 12वीं योजना के अंतर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु जे.बी.भी.एन. एल. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	13,92.00	5,46.12	5,46.12	0.00	₹8,45.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,45.88				

अनुदान संख्या - 10 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2801-06.796.04- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ( डी.डी.यू.जी.जे. वाई.) के तहत ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु राज्यांश ( राज्य स्कीम )	मूल	2,71,44.00	1,22,14.28	1,22,14.28	0.00	₹1,49,29.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,49,29.72				
2801-06.796.05- 12वीं योजना के अंतर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु जे.बी.भी.एन. एल. को अनुदान ( राज्य स्कीम )	मूल	30,16.00	11,83.26	11,83.26	0.00	₹18,32.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,32.74				
2801-80.004.16- विद्युतिकरण के लिए परामर्शी सेवा, अंकेक्षण शुल्क, प्रचार/प्रसार/सेमिनार एवं गोष्ठी तथा एस.एल.डी.सी एवं अन्य को अनुदान ( राज्य स्कीम )	मूल	30,00.00	7,28.35	7,28.35	0.00	₹22,71.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों की सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,71.65				

अनुदान संख्या - 10 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2801-01.052.10- ग्रामीण विद्युतिकरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,94,50.00	0.00	0.00	0.00	₹2,94,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,94,50.00				
2801-01.789.10- ग्रामीण विद्युतिकरण (राज्य स्कीम)	मूल	57,00.00	0.00	0.00	0.00	₹57,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57,00.00				
2801-01.796.10- ग्रामीण विद्युतिकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,23,50.00	0.00	0.00	0.00	₹1,23,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,23,50.00				
2801-05.052.05- इंटीग्रेटेड पावर डेव्लपमेंट स्कीम के (अंतर्गत आई.पी.डी.एस.) आई.टी.-फेज-II (राज्य स्कीम)	मूल	62,00.00	0.00	0.00	0.00	₹62,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)62,00.00				
2801-05.789.05- इंटीग्रेटेड पावर डेव्लपमेंट स्कीम के (अंतर्गत आई.पी.डी.एस.) आई.टी.-फेज-II (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	0.00	0.00	0.00	₹12,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				



अनुदान संख्या - 10 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2801-05.796.05- इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के ( अंतर्गत आई.पी.डी.एस.) आई.टी.-फेज-II (राज्य स्कीम)	मूल	26,00.00	0.00	0.00	0.00	₹26,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26,00.00				
2801-06.052.01- अटल ग्रामीण ज्योति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2801-06.052.02- तिलका मांझी कृषि पंप योजना (राज्य सकीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2801-80.101.02- झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	4,58.49	0.00	0.00	0.00	₹4,58.49 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,58.49				
2801-80.796.10- जे.एस.ई.आर.सी. को नयी भवन निर्माण हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

**अनुदान संख्या - 10 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2801-80.796.18- उदय योजना के अन्तर्गत जे.बी.भी. एन.एल को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00,00.00				
2801-80.800.20- पी.भी.यू.एन.एल. एवं अन्य पावर प्रोजेक्ट के लिए रैयती भूमि के अधिग्रहण के प्रयोजनार्थ रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हेतु (स्थापना वयय)	मूल	0.00	20,64.00	0.00	(-)20,64.00	₹20,64.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	20,64.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**पूँजी :**

(5) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
6801-00.205.37- झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लि. को संचरण हेतु ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	6,20,46.00	27,70.00	27,70.00	0.00	₹5,92,76.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,92,76.00				
6801-00.789.37- झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लि. को संचरण हेतु ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	1,20,09.00	50,00.61	50,00.61	0.00	₹70,08.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70,08.39				

**अनुदान संख्या - 10 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
6801-00.796.37- झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लि. को संचरण हेतु ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	2,60,19.00	11,61.61	11,61.61	0.00	₹2,48,57.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-2,48,57.39)				

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
6801-00.201.24- प्रदूषण नियंत्रण उपाय (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-5,00.00)				
6801-00.201.36- झारखंड बिजली वितरण निगम लि. को वार्षिक विकास कार्यक्रम एवं अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट हेतु ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	1,70,50.00	0.00	0.00	0.00	₹1,70,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-1,70,50.00)				
6801-00.202.01- कोल ब्लॉक एवं पावर प्लान्ट-नई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	0.00	0.00	0.00	₹15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-15,00.00)				

**अनुदान संख्या - 10 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
6801-00.205.23- री-स्ट्रक्चर ए.पी.डी. आर.पी. भाग-बी. (राज्य स्कीम)	मूल	1,24,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,24,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,24,00.00				
6801-00.205.34- इंटीग्रेटेड पावर डेलिपमेंट स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	1,20,52.00	0.00	0.00	0.00	₹1,20,52.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20,52.00				
6801-00.205.39- झारखंड पावर सिस्टम इमप्रोवमेंट परियोजना के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	62,00.00	0.00	0.00	0.00	₹62,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)62,00.00				
6801-00.789.23- री-स्ट्रक्चर ए.पी.डी. आर.पी. भाग-बी. (राज्य स्कीम)	मूल	24,00.00	0.00	0.00	0.00	₹24,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,00.00				
6801-00.789.34- इंटीग्रेटेड पावर डेलिपमेंट स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	23,33.00	0.00	0.00	0.00	₹23,33.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23,33.00				

**अनुदान संख्या - 10 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6801-00.789.36- झारखंड बिजली वितरण निगम लि. को वार्षिक विकास कार्यक्रम एवं अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट हेतु ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	33,00.00	0.00	0.00	0.00	₹33,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,00.00				
6801-00.789.39- झारखंड पावर सिस्टम इमप्रोवमेंट परियोजना के अंतर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	0.00	0.00	0.00	₹12,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				
6801-00.796.23- री-स्ट्रक्चर ए.पी. डी.आर.पी भाग-बी. (राज्य स्कीम)	मूल	52,00.00	0.00	0.00	0.00	₹52,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)52,00.00				
6801-00.796.34- इंटीग्रेटेड पावर डेलीवमेंट स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	50,54.00	0.00	0.00	0.00	₹50,54.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50,54.00				

**अनुदान संख्या - 10 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति
6801-00.796.36- झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को वार्षिक विकास कार्यक्रम एवं अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट हेतु ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	71,50.00	0.00	0.00	0.00	₹71,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71,50.00				
6801-00.796.39- झारखंड पावर सिस्टम इमप्रोवमेंट परियोजना के अंतर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	26,00.00	0.00	0.00	0.00	₹26,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26,00.00				

## अनुदान संख्या 11 - उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2039 राज्य उत्पाद शुल्क, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	35,51,64	42,05,80	33,31,82	(-) 8,73,98
अनुपूरक	6,54,16			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

8,48,75

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	10,00,00	12,73,67	2,73,67	(-) 10,00,00
अनुपूरक	2,73,67			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

10,00,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(1) ₹8,73.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹2,40.00 लाख), जनवरी 2020 (₹4,09.16 लाख) में प्राप्त किया गया ₹6,54.16 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹8,48.75 लाख) अंतिम बचत (₹8,73.98 लाख) से ₹25.23 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 11 क्रमशः**

(3) बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2039-00.001.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	30,50.61	25,93.15	25,93.06	(-)0.09	₹5,21.76 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹0.09 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	64.30				
	पुनर्वि.	(-)5,21.76				
2039-00.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	3,14.77	4,84.85	4,59.71	(-)25.14	₹70.92 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹25.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,41.00				
	पुनर्वि.	(-)70.92				
2052-00.092.07- स्टाम्प, निबंधन और उत्पाद महानिरीक्षक (स्थापना व्यय)	मूल	1,81.26	1,56.95	1,56.95	0.00	₹26.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2.00				
	पुनर्वि.	(-)26.31				
3604-00.200.03- उत्पाद दुकानों की बंदी के लिए मुआबजा (स्थापना व्यय)	मूल	5.00	1,22.10	1,22.10	0.00	₹2,29.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3,46.86				
	पुनर्वि.	(-)2,29.76				



**अनुदान संख्या - 11 क्रमांत**

**पूंजी :**

- (4) ₹10,00.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2020 में प्राप्त किया गया ₹2,73.67 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (5) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4047-00.796.07- राज्य उत्पाद भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				

## अनुदान संख्या 12 - योजना-सह-वित्त विभाग ( वित्त प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष- 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 2075-विविध सामान्य सेवाएँ, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय एवं 7610-सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	64,53,19	80,43,23	58,76,55	(-) 21,66,68
अनुपूरक	15,90,04			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

21,66,77

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	78,23,77	78,24,77	54,51,97	(-) 23,72,80
अनुपूरक	1,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

23,71,86

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(1) ₹21,66.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹12,37.34 लाख), जनवरी 2020 (₹2,37.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹1,15.70 लाख) में प्राप्त किया गया ₹15,90.04 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 12 क्रमशः**

- (2) शीर्ष 2054-00.095.01- भविष्य निधि लेखा की रखरखाव (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹41.29 लाख की बचत, जो कि ₹5,35.82 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.08- वित्त विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	13,70.91	12,64.90	12,64.90	0.00	₹1,60.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	54.00				
	पुनर्वि.	(-)1,60.01				
2052-00.090.10- भविष्य निधि लेखा स्थापना (मुख्यालय) (स्थापना व्यय)	मूल	74.37	84.36	84.36	0.00	₹15.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	25.62				
	पुनर्वि.	(-)15.63				
2052-00.090.34- वित्त (वित्त वित्तीय नीति एवं विश्लेषण कोषांग) विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	57.50	69.17	69.17	0.00	₹5.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई थी। ₹33.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)38.33				
2052-00.092.05- राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना-मुख्यालय प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	3,64.72	2,52.37	2,52.37	0.00	₹1,21.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	8.72				
	पुनर्वि.	(-)1,21.07				
2052-00.092.06- राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	15,88.03	6,38.46	6,38.46	0.00	₹9,49.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,49.57				

**अनुदान संख्या - 12 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति
2054-00.097.01- कोषागार एवं अन्य उप-कोषागार (स्थापना व्यय)	मूल	17,07.06	20,46.79	20,46.79	0.00	₹2,81.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	6,21.00				
	पुनर्वि.	(-)2,81.27				
2058-00.103.02- झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय (स्थापना व्यय)	मूल	2,82.68	1,42.08	1,42.08	0.00	₹1,40.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,40.60				
2058-00.105.01- सरकारी प्रकाशनों, सहिताओं, नियम पुस्तकों आदि का मुद्रण (स्थापना व्यय)	मूल	40.00	21.97	21.97	0.00	₹18.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18.03				
2070-00.800.08- विविध तथा आकस्मिक व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	5,75.90	5,75.96	+0.06	₹5.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई थी। ₹1,74.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5,50.00				
	पुनर्वि.	(-)1,74.10				

**अनुदान संख्या - 12 क्रमशः**

(3) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2075-00.791.02- राज्य सरकार पर बकाया के समतुल्य रुपये का समायोजन (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

**पूजी :**

(4) शीर्ष 7610-00.201.01- सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹63.21 लाख की बचत, जो कि ₹50,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4070-00.003.85- आई.एफ.एम.एस. भर्सन 2.0 (राज्य स्कीम)	मूल	6,23.77	2,00.09	2,00.09	0.00	₹4,23.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,23.68				
7610-00.201.02- अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	30.00	30.00	0.00	₹4,70.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,70.00				
7610-00.201.03- मंत्रियों/विधानमंडल के सदस्यों को गृह निर्माण अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	34.50	34.50	0.00	₹4,65.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,65.50				

**अनुदान संख्या - 12 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
7610-00.202.01- सरकारी सेवकों को मोटर गाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	7,00.00	2,49.64	2,49.64	0.00	₹4,50.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,50.36				
7610-00.202.02- सरकारी सेवकों को मोटर साइकिल क्रय करने के लिए अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	0.90	0.90	0.00	₹99.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)99.10				

(5) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
7610-00.202.03- मंत्री इत्यादि को मोटरगाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
7610-00.202.04- विधान मंडल के सदस्यों को मोटर गाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

## विनियोग संख्या 13 - ब्याज संदाय

(मुख्य शीर्ष - 2049-ब्याज अदायगियाँ)

राजस्व :

प्रभारित :

		कुल विनियोग ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	15,87,07,04	51,87,07,04	53,07,71,21	+1,20,64,17
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (1) विनियोग से ₹1,20,64,16,948 अधिक व्यय हुआ, अधिक व्यय का विनियमितीकरण अपेक्षित है।
- (2) निम्नलिखित मामलों में व्यय, बजट प्रावधान से अधिक व्यय किया गया:-

शीर्ष		मूल	अनुपूरक	पुनर्वि.	कुल विनियोग ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2049-01.101.01- राज्य विकास ऋण ब्याज देय (स्थापना व्यय)	मूल	27,95,00.00			27,95,00.00	28,07,55.90	+12,55.90	₹12,55.90 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00						
	पुनर्वि.	0.00						
2049-01.200.15- पावर बॉण्ड स्पेशल बॉण्ड (स्थापना व्यय)	मूल	4,73,00.00			4,73,00.00	7,09,05.42	+2,36,05.42	₹2,36,05.42 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00						
	पुनर्वि.	0.00						
2049-04.101.03- एकमुक्त ऋण (स्थापना व्यय)	मूल	32,57.00			32,57.00	73,38.94	+40,81.94	₹40,81.94 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00						
	पुनर्वि.	0.00						

**विनियोग संख्या - 13 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2049-01.200.02- राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (स्थापना व्यय) एवं 2049-04.109.01- 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्त अनुसार समेकित राज्य आयोजन कर्जों पर ब्याज (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹33,66.25 लाख एवं ₹5,07.99 लाख की बचत जो क्रमश ₹5,00,00.00 लाख एवं ₹60,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल विनियोग ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2049-01.115.01- भारतीय रिजर्व बैंक से वेस एंड मीन्स एडवॉन्स पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	4,50.00	4,50.00	3,94.56	(-)55.44	₹55.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-01.200.03- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा केन्द्रीय भंडारगार से लिए गए ऋण पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	4,50.00	4,50.00	3,06.11	(-)1,43.89	₹1,43.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-01.200.08- आवास एवं नगर विकास निगम से लिए गए ऋण पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	1,60,00.00	1,60,00.00	1,04,81.43	(-)55,18.57	₹55,18.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-01.200.11- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.) से लिए गये कर्ज पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	50,00.00	50,00.00	31,86.23	(-)18,13.77	₹18,13.77 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				



विनियोग संख्या - 13 क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2049-03.104.01- सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	2,25,00.00	2,25,00.00	1.13	(-)2,24,98.87	₹2,24,98.87 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-03.108.01- बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	7,00.00	7,00.00	16.90	(-)6,83.10	₹6,83.10 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-04.104.03- अन्य गैर-योजना मद के कर्जे पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	2,02.00	2,02.00	1,53.08	(-)48.92	₹48.92 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-60.701.03- विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	3,50.00	3,09.02	(-)40.98	₹1,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई थी। ₹40.98 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	+1,50.00				

विनियोग संख्या - 13 क्रमांत

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल विनियोग ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2049-03.104.02- ए.आई.एस. भविष्य निधि पर ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-04.101.02- 1989-90 से प्राप्त एकमुश्त ऋण से ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	42,00.00	42,00.00	0.00	(-)42,00.00	₹42,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-60.701.01- ब्याज भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	7,00.00	7,00.00	0.00	(-)7,00.00	₹7,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2049-60.701.06- वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान के विलम्ब से भुगतान पर देय ब्याज (स्थापना व्यय)	मूल	8,00.00	6,50.00	0.00	(-)6,50.00	₹1,50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई थी। ₹6,50.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				

## विनियोग संख्या - 14 ऋण की वापसी/अदायगी

(मुख्य शीर्ष - 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोग, 6003 - राज्य सरकार आंतरिक ऋण, 6004 - केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम)

राजस्व :

प्रभारित :

		कुल विनियोग ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	2,80,16,00	2,80,16,00	0,00	(-) 2,80,16,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

पूंजी :

प्रभारित :

		कुल विनियोग ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	38,44,36,92	42,54,36,92	42,31,40,29	(-) 22,96,63
अनुपूरक	4,10,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(1) निम्नलिखित मामले में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल विनियोग ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2048-00.101.01- निक्षेप निधि में योगदान (स्थापना व्यय)	मूल	2,80,16.00	0.00	0.00	₹2,80,16.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)2,80,16.00			

विनियोग संख्या - 14 क्रमशः

पूँजी :

(2) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.105.01- नाबार्ड के अंतर्गत आर.आई.डी.एफ. से प्राप्त ऋण के मूलधन की वापसी (स्थापना व्यय)	मूल	8,00,00.00	12,10,00.00	12,09,84.60	(-)15.40	₹15.40 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,10,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(3) शीर्ष 6003-00.109.01- हुड्को से कर्ज (स्थापना व्यय) एवं 6004-02.101.01- 1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्जे (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹15,25.51 लाख एवं ₹1,78.56 की बचत जो क्रमशः ₹1,60,00.00 लाख एवं ₹65,15.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.108.01- सहकारिता विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	8,00.00	8,00.00	6,87.01	(-)1,12.99	₹1,12.99 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6003-01.109.08- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.) से लिए गये कर्जे (स्थापना व्यय)	मूल	90,00.00	90,00.00	82,90.59	(-)7,09.41	₹7,09.41 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6004-01.201.01- गृह निर्माण अग्रिम (स्थापना व्यय)	मूल	90.00	90.00	0.75	(-)89.25	₹89.25 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या - 14 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल विनियोग ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.101.77- 7.54 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2019 (स्थापना व्यय)	मूल	5,17,45.00	5,17,45.00	0.00	(-)5,17,45.00	₹5,17,45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6003-00.101.78- 8.01 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2019 (स्थापना व्यय)	मूल	4,74,40.00	4,74,40.00	0.00	(-)4,74,40.00	₹4,74,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6003-00.101.79- 8.37 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2019 (स्थापना व्यय)	मूल	5,99,89.00	5,99,89.00	0.00	(-)5,99,89.00	₹5,99,89.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6003-00.101.80- 8.19 प्रतिशत झारखण्ड राज्य विकास ऋण, 2019 (स्थापना व्यय)	मूल	2,52,24.00	2,52,24.00	0.00	(-)2,52,24.00	₹2,52,24.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या - 14 क्रमशः

(5) निम्नलिखित मामलों में, अधिक व्यय, बिना बजट प्रावधान के किया गया :-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6003-00.101.110- 7.54 प्रतिशत झारखण्ड सरकारी भंडार 2019 (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	5,17,45.00	+5,17,45.00	₹5,17,45.00 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6003-00.101.111- 8.37 प्रतिशत झारखण्ड सरकारी भंडार 2019 (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	4,74,40.00	+4,74,40.00	₹4,74,40.00 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6003-00.101.112- 8.37 प्रतिशत झारखण्ड सरकारी भंडार 2019 (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	5,99,89.00	+5,99,89.00	₹5,99,89.00 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
6003-00.101.113- 8.19 प्रतिशत झारखण्ड सरकारी भंडार 2019 (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	2,52,24.00	+2,52,24.00	₹2,52,24.00 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

विनियोग संख्या - 14 क्रमांत

(6) निम्नलिखित मामले में, बजट प्रावधान से अधिक व्यय किया गया :-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
6004-02.105.01- राज्य योजना संचित ऋण (12वें वित्त आयोग) (स्थापना व्यय)	मूल	1,04,96.00	1,04,96.00	1,08,40.94	+3,44.94	₹3,44.94 लाख का अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

## अनुदान संख्या 15 - पेंशन

(मुख्य शीर्ष - 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	57,61,92,05	58,11,92,05	60,04,59,69	+ 1,92,67,64
अनुपूरक	50,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

**टीका एवं टिप्पणियाँ :**

- (1) अनुदान से ₹1,92,67,63,970 अधिक व्यय का विनियमितीकरण अपेक्षित है।
- (2) ₹1,92,67.64 लाख की अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹50,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (3) शीर्ष 2071-01.101.06- 15.11.2000 से पूर्व पेंशन पानेवाले को भुगतान (स्थापना व्यय) एवं 2071-01.102.04- 15.11.2000 के बाद पेंशन का रूपांतरित मूल्य (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹1,84,33.64 लाख एवं ₹6,09.22 लाख की अंतिम अधिक व्यय जो क्रमशः ₹33,51,59.03 लाख एवं ₹3,00,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2071-01.101.06- 15.11.2000 से पूर्व पेंशन पानेवाले को भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	33,01,59.03	33,51,59.03	35,38,44.26	+1,86,85.23	₹1,86,85.23 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	50,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				



**अनुदान संख्या - 15 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2071-01.101.10- सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए स्थानांतरण अनुदान एवं स्थानांतरण यात्रा भत्ता (स्थापना व्यय)	मूल	10,00.00	10,00.00	13,41.68	+3,41.68	₹3,41.68 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.102.04- 15.11.2000 के बाद पेंशन का रूपांतरित मूल्य (स्थापना व्यय)	मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	3,06,09.22	+6,09.22	₹6,09.22 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.105.05- 15.11.2000 के बाद पारिवारिक पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	1,50,00.00	1,50,00.00	2,37,77.37	+87,77.37	₹87,77.37 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.105.06- झारखण्ड/वनांचल अलग राज्य के गठन हेतु आंदोलनकारियों/ आश्रितों को पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	0.01	0.01	3,49.21	+3,49.20	₹3,49.20 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामले में व्यय, बिना बजट प्रावधान के किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2071-01.101.01- 15.11.2000 से पूर्व पेंशन पानेवाले को भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	0.00	2,61,91.42	+2,61,91.42	₹2,61,91.42 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या - 15 क्रमशः**

- (5) शीर्ष 2071-01.115.03- 15.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश (स्थापना व्यय) एवं 2071-01.117.03- भविष्य निधि अंशदायी पेंशन योजना (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹35,42.10 लाख एवं ₹53,73.13 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹5,00,00.00 लाख एवं ₹5,50,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2071-01.101.05- 15.11.2000 से पूर्व पेंशन पानेवाले को भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	5,00.00	1,53.83	(-)3,46.17	₹3,46.17 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.102.03- 15.11.2000 से पूर्व पेंशन का रूपांतरित मूल्य (स्थापना व्यय)	मूल	60,00.00	60,00.00	51,96.86	(-)8,03.14	₹8,03.14 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.104.04 – 15.11.2000 के पूर्व उपादान (स्थापना व्यय)	मूल	7,00,00.00	7,00,00.00	5,82,96.12	(-)1,17,03.88	₹1,17,03.88 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.105.04- 15.11.2000 के पूर्व पारिवारिक पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	9,00.00	9,00.00	5,02.27	(-)3,97.73	₹3,97.73 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 15 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2071-01.111.01- विधायकों का पेंशन-राज्य विधायक ( स्थापना व्यय )	मूल	40.00	40.00	1.68	(-)38.32	₹38.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.111.02- विधायकों को 15.11.2000 के पूर्व का पेंशन-राज्य विधायक ( स्थापना व्यय )	मूल	3,50.00	3,50.00	81.46	(-)2,68.54	₹2,68.54 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.111.03- विशयकों का 15.11.2000 के बाद का पेंशन-राज्य विधायक ( स्थापना व्यय )	मूल	6,50.00	6,50.00	3,76.84	(-)2,73.16	₹2,73.16 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2071-01.115.02- 15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/ मृत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि ( स्थापना व्यय )	मूल	30,00.00	30,00.00	61.56	(-)29,38.44	₹29,38.44 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 15 क्रमांत

(6) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2071-01.101.09- बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्वों का बंटवारा के तहत बिहार को भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	0.00	(-)1,00,00.00	₹1,00,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

## अनुदान संख्या 16 - योजना-सह-वित्त विभाग ( राष्ट्रीय बचत प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष - 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	3,19,34	3,25,44	2,62,50	(-) 62,94
अनुपूरक	6,10			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

62,94

**टीका एवं टिप्पणियाँ :**

- (1) ₹62.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹6.10 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता है।
- (2) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2047-00.103.02- जिला प्रभार (अल्प बचत प्रचार सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	2,83.59	2,28.89	2,28.89	0.00	₹54.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54.70				

## अनुदान संख्या 17 - वाणिज्यकर विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2040 - बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 5465 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	80,88,22	98,10,53	84,20,33	(-) 13,90,20
अनुपूरक	17,22,31			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

13,89,92

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	0,00	8,23	8,23	0,00
अनुपूरक	8,23			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

शून्य

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (1) ₹13,90.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 (₹17,06.31 लाख) एवं मार्च 2020 (₹16.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹17,22.31 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता है।

**अनुदान संख्या - 17 क्रमांत**

- (2) शीर्ष 2052-00.090.07- वाणिज्य कर विभाग (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹33.73 लाख की बचत जो ₹4,27.94 लाख की प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2040-00.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	16,56.39	12,18.92	12,18.92	0.00	₹4,47.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10.00				
	पुनर्वि.	(-)4,47.47				
2040-00.101.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	59,26.89	67,16.92	67,16.92	0.00	₹8,99.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	16,90.00				
	पुनर्वि.	(-)8,99.97				

## अनुदान संख्या 18 - खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(मुख्य शीर्ष - 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 3456- सिविल पूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ, 4408- खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	13,41,66,38	15,40,92,56	11,34,34,72	(-) 4,06,57,84
अनुपूरक	1,99,26,18			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

4,05,31,28

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	10,00,00	10,00,00	37,59	(-) 9,62,41
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

9,62,41

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व :

- (1) ₹4,06,57.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹18,85.60 लाख), जनवरी 2020 (₹1,80,38.08 लाख) एवं मार्च 2020 (₹2.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,99,26.18 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,05,31.28 लाख) अंतिम बचत (₹4,06,57.84 लाख) से ₹1,26.56 लाख कम था।



**अनुदान संख्या - 18 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 3456-00.102.02- अंत्योदय अन्न योजना (राज्य स्कीम), 3456-00.102.39- पात्र गृहस्थ योजना (राज्य स्कीम), 3456-00.789.39- पात्र गृहस्थ योजना (राज्य स्कीम) 3456-00.796.02- अंत्योदय अन्न योजना (राज्य स्कीम) 3456-00.796.39- पात्र गृहस्थ योजना (राज्य स्कीम), एवं 3456-00.796.48- अंत्योदय/पूर्वविक्रता प्राप्त गृहस्थों को फ्री-फ्लो आयोडिन युक्त नमक वितरण योजना (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹2,15.90 लाख, ₹11,50.00 लाख, ₹4,68.31 लाख, ₹8,44.54 लाख, ₹18,22.05 लाख एवं ₹86.49 लाख की बचत जो क्रमशः ₹46,15.00 लाख, ₹2,25,93.00 लाख, ₹72,20.00 लाख, ₹97,26.00 लाख, ₹2,54,58.00 लाख एवं ₹32,00.59 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख प्रावधान अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गम हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
3451-00.001.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	22,62.49	17,33.57	17,33.15	(-) 0.42	₹5,30.34 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1.00				
	पुनर्वि.	(-)5,29.92				
3456-00.001.53- जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (स्थापना व्यय)	मूल	13,75.24	8,42.52	8,42.02	(-) 0.50	₹5,33.72 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.50				
	पुनर्वि.	(-)5,33.22				
3456-00.001.56- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग (राज्य स्कीम)	मूल	1,84.04	1,96.75	1,87.46	(-) 9.29	₹65.33 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	68.75				
	पुनर्वि.	(-)56.04				
3456-00.102.17- किराशन तेल वितरण हेतु कमीशन (राज्य स्कीम)	मूल	4,53.00	1,11.67	1,11.67	0.00	₹3,41.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,41.33				
3456-00.102.20- मुद्रण (राज्य स्कीम)	मूल	1,85.00	3.06	3.06	0.00	₹1,81.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,81.94				

**अनुदान संख्या - 18 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
3456-00.102.23- मुख्यमंत्री दल-भात योजना (राज्य स्कीम)	मूल	12,95.00	6,19.54	6,19.54	0.00	₹76.87 लाख निधि के अधिक प्रावधान किये जाने के कारण पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹5,98.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,75.46				
3456-00.102.27- कम्प्यूटराइजेशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	23,40.00	20,16.00	20,16.00	0.00	₹3,24.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,24.00				
3456-00.102.41- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शिकायत निवारण (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	32.28	32.28	0.00	₹42.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.72				
3456-00.102.51- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (राज्य स्कीम)	मूल	63,00.00	1,16,45.98	1,16,45.98	0.00	₹27,58.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	81,04.00				
	पुनर्वि.	(-)27,58.02				
3456-00.102.55- पी.टी.जी. डाकिया योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,66.00	1,20.44	1,20.44	0.00	₹45.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.56				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.789.02- अन्त्योदय अन्न योजना (राज्य स्कीम)	मूल	21,44.00	17,55.72	17,55.72	0.00	₹3,88.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,88.28				
3456-00.789.17- किराशन तेल वितरण हेतु कमीशन (राज्य स्कीम)	मूल	1,59.00	20.94	20.94	0.00	₹1,38.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,38.06				
3456-00.789.23- मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,55.00	1,28.92	1,28.92	0.00	₹1,87.63 लाख निधि के अधिक प्रावधान किये जाने के कारण पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹1,38.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,26.08				
3456-00.789.27- कम्प्युटराइजेशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	8,40.00	6,26.77	6,26.77	0.00	₹2,13.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,13.23				
3456-00.789.51- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (राज्य स्कीम)	मूल	19,50.00	26,87.77	26,87.77	0.00	₹12,24.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	19,62.00				
	पुनर्वि.	(-)12,24.23				

**अनुदान संख्या - 18 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
3456-00.789.55- पी.टी.जी. डाकिया योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,33.00	72.16	72.16	0.00	₹60.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.84				
3456-00.796.17- किराशन तेल वितरण हेतु कमीशन (राज्य स्कीम)	मूल	6,13.00	1,36.27	1,36.27	0.00	₹4,76.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4.76.73				
3456-00.796.20- मुद्रण (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	51.26	51.26	0.00	₹1,98.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,98.74				
3456-00.796.23- मुख्यमंत्री दाल-भात योजना (राज्य स्कीम)	मूल	17,50.00	14,12.72	14,12.72	0.00	₹2,64.50 लाख निधि के कम प्रावधान किये जाने के कारण पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि की गई। ₹6,01.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,37.28				
3456-00.796.27- कम्प्यूटराइजेशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	28,20.00	24,69.40	24,69.40	0.00	₹3,50.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,50.60				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
3456-00.796.35- कौशल विकास योजना ( नई योजना ) ( राज्य स्कीम )	मूल	2,50.00	1,60.43	1,60.43	0.00	₹89.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)89.57				
3456-00.796.41- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शिकायत निवारण ( राज्य स्कीम )	मूल	3,00.00	37.96	37.96	0.00	₹2,62.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2.62.04				
3456-00.796.51- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ( राज्य स्कीम )	मूल	67,50.00	87,65.72	87,65.72	0.00	₹48,68.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	68,84.00				
	पुनर्वि.	(-) 48,68.28				
3456-00.796.55- पी.टी.जी. डाकिया योजना ( राज्य स्कीम )	मूल	4,01.00	2,78.49	2,78.49	0.00	₹1,22.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,22.51				
3475-00.106.08- माप एवं तौल का मानकीकरण ( स्थापना व्यय )	मूल	3,51.93	3,08.91	3,08.87	0.04	₹48.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5.00				
	पुनर्वि.	(-)48.02				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.102.03- अन्नपूर्णा योजना अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	2,05.00	0.00	0.00	0.00	₹2,05.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,05.00				
3456-00.102.35- कौशल विकास योजना (नई योजना) (राज्य सरकार)	मूल	1,85.00	0.00	0.00	0.00	₹1,85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,85.00				
3456-00.102.43- मूल्य स्थिरीकरण कोष (राज्य सरकार)	मूल	1,85.00	0.00	0.00	0.00	₹1,85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,85.00				
3456-00.102.44- जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	7,40.00	0.00	0.00	0.00	₹7,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,40.00				
3456-00.102.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	58.40	0.00	0.00	0.00	₹58.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.40				

**अनुदान संख्या - 18 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
3456-00.102.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्युटरीकरण योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	58.40	0.00	0.00	0.00	₹58.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.40				
3456-00.102.60- उपभोगता संरक्षण प्रचार-प्रसार/सेमिनार आदि (राज्य स्कीम)	मूल	1,85.00	0.00	0.00	0.00	₹1,85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,85.00				
3456-00.102.61- चना वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	55,50.00	0.00	0.00	0.00	₹55,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55,50.00				
3456-00.102.62- पी.डी.एस. डीलर बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	74.00	0.00	0.00	0.00	₹74.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)74.00				
3456-00.102.63- उचित मूल्य दुकान संचालन अनुदान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹7,01.54 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	7,01.54				
	पुनर्वि.	(-)7,01.54				

अनुदान संख्या - 18 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
3456-00.789.03- अन्नपूर्णा योजना ( अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता ) ( राज्य स्कीम )	मूल	70.00	0.00	0.00	0.00	₹70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.00				
3456-00.789.20- मुद्रण ( राज्य स्कीम )	मूल	65.00	0.00	0.00	0.00	₹65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.00				
3456-00.789.43- मुद्रण स्थिरीकरण कोष ( राज्य स्कीम )	मूल	65.00	0.00	0.00	0.00	₹65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.00				
3456-00.789.44- जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण ( राज्य स्कीम )	मूल	2,60.00	0.00	0.00	0.00	₹2,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,60.00				
3456-00.789.60- उपभोगता संरक्षण प्रचार-प्रसार/सेमिनार आदि ( राज्य स्कीम )	मूल	65.00	0.00	0.00	0.00	₹65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.00				



**अनुदान संख्या - 18 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.789.61- चना वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	19,50.00	0.00	0.00	0.00	₹19,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,50.00				
3456-00.789.63- उचित मूल्य दुकान संचालन अनुदान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹2,41.08 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,41.08				
	पुनर्वि.	(-)2,41.08				
3456-00.796.03- अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (राज्य स्कीम)	मूल	2,45.00	0.00	0.00	0.00	₹2,45.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,45.00				
3456-00.796.43- मूल्य स्थिरीकरण कोष (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	0.00	0.00	0.00	₹2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				
3456-00.796.44- जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				

**अनुदान संख्या - 18 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति
3456-00.796.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	78.92	0.00	0.00	0.00	₹78.92 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.92				
3456-00.796.50- जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	78.92	0.00	0.00	0.00	₹78.92 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.92				
3456-00.796.60- उपभोगता संरक्षण प्रचार-प्रसार/सेमिनार आदि (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	0.00	0.00	0.00	₹2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				
3456-00.796.61- चना वितरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	75,00.00	0.00	0.00	0.00	₹75,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75,00.00				
3456-00.796.62- पी.डी.एस. डीलर योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1.00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

**अनुदान संख्या - 18 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
3456-00.796.63- उचित मूल्य दुकान संचालन अनुदान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹8,77.38 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	8,77.38				
	पुनर्वि.	(-)8,77.38				
3456-00.796.64- इंटीग्रेटेड मैनेजमेन्ट ऑफ पी.डी.एस. (के.से. स्कीम)	मूल	0.00	52.12	0.00	(-)52.12	₹52.12 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	52.12				
	पुनर्वि.	0.00				
3475-00.796.08- माप एवं तौल का मानकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	35.00	0.00	0.00	0.00	₹35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.00				

**पूँजी :**

(5) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रवधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4408-02.101.01- गोदाम निर्माण/ मरम्मती योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,70.00	11.15	11.15	0.00	₹3,58.85 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,58.85				

**अनुदान संख्या - 18 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4408-02.796.01- गोदाम निर्माण/ मरम्मती योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	26.44	26.44	0.00	₹4,73.56 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,73.56				

(6) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4408-02.789.01- गोदाम निर्माण/ मरम्मती योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,30.00	0.00	0.00	0.00	₹1,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,30.00				

## अनुदान संख्या 19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ)

राजस्व :

दत्तमत:

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	7,28,10,69	10,00,86,65	7,14,44,21	(-) 2,86,42,44
अनुपूरक	2,72,75,96			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

2,06,94,97

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹2,86,42.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹2,00,43.23 लाख) जनवरी 2020 (₹51,32.73 लाख) एवं मार्च 2020 (₹21,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,72,75.96 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,06,94.97 लाख), अंतिम बचत (₹2,86,42.44 लाख) से ₹79,47.47 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 19 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2406-01.101.61- वन प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण (राज्य स्कीम), 2406-01.789.40- सिल्कीकल्चरल ऑपरेशन (राज्य स्कीम), 2406-01.796.59- अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण (राज्य स्कीम) एवं 3451-00.090.09- वन एवं पर्यावरण विभाग (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹1,35.61 लाख, ₹1,21.51 लाख, ₹1,18.66 लाख एवं ₹30.99 लाख की बचत जो क्रमशः ₹23,00.00 लाख, ₹16,85.20 लाख, ₹14,71.82 लाख एवं ₹5,91.27 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.001.01- निदेशक तथा प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	64,12.37	47,68.35	47,66.79	(-)1.56	₹3.07 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधानमें कमी निधि की कमी के कारण की गई थी। ₹16,80.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	39.23				
	पुनर्वि.	(-)16,83.25				
2406-01.004.02- अन्य अनुसंधान (स्थापना व्यय)	मूल	5,75.52	4,25.12	4,24.54	(-)0.58	₹1,52.98 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2010)।
	अनुपूरक	2.00				
	पुनर्वि.	(-)1,52.40				
2406-01.005.12- मूल्यांकन-सह- योजना कोषांग (स्थापना व्यय)	मूल	5,30.56	4,30.50	4,20.82	(-)9.68	₹3.07 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निधि की प्रावधान के लिए की गई थी। ₹1,12.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	9.68				
	पुनर्वि.	(-)1,09.74				
2406-01.101.01- वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा (स्थापना व्यय)	मूल	1,55,85.03	1,16,81.42	1,16,44.04	(-)37.38	₹39,89.18 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	48.19				
	पुनर्वि.	(-)39,51.80				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2406-01.101.02- वर्किंग प्लान प्रमंडल (स्थापना व्यय)	मूल	6,57.22	5,27.89	5,21.86	(-)6.03	₹1,46.06 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10.70				
	पुनर्वि.	(-)1,40.03				
2406-01.101.03- वन कूपों की स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	6,28.29	3,89.86	3,87.58	(-)2.28	₹2,40.95 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)
	अनुपूरक	0.24				
	पुनर्वि.	(-)2,38.67				
2406-01.101.06- भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना (स्थापना व्यय)	मूल	29,03.17	22,84.55	22,81.59	(-)2.96	₹6,27.68 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	6.10				
	पुनर्वि.	(-)6,24.72				
2406-01.101.15- वन प्रबंधन सुविधायें (राज्य स्कीम)	मूल	19,43.53	15,79.07	15,44.61	(-)34.46	₹3,98.92 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,64.46				
2406-01.101.40- सिल्विकल्चर ऑपरेशन (राज्य स्कीम)	मूल	43,48.76	36,44.02	36,16.15	(-)27.87	₹7,32.61 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,04.74				
2406-01.101.47- वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	7,90.00	3,79.93	3,47.13	(-)32.80	₹4,75.67 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	32.80				
	पुनर्वि.	(-)4,42.87				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2406-01.101.48- वन सीमा का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	5,43.02	5,21.45	(-)21.57	₹4,78.55 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,56.98				
2406-01.101.60- प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	11,60.41	11,49.36	(-)11.05	₹3,50.64 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,39.59				
2406-01.102.09- लघु वन पदार्थों का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	5,61.90	5,32.16	(-)29.74	₹2,67.84 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,38.10				
2406-01.102.55- मुख्यमंत्री जन-वन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,00.00	3,89.65	3,71.84	(-)17.81	₹3,28.16 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,10.35				
2406-01.102.63- सब मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,04.60	1,26.71	1,22.82	(-)3.89	₹81.78 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77.89				
2406-01.102.63- सब मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,36.40	83.74	81.78	(-)1.96	₹54.62 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)52.66				
2406-01.102.65- राष्ट्रीय बैम्बू मिशन (60:40) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,18.06	1,04.19	1,04.16	(-)0.03	₹2,13.90 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,13.87				



अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2406-01.102.65- राष्ट्रीय बैम्बू मिशन ( 60:40 ) ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	2,12.04	69.84	69.48	(-)0.36	₹1,42.56 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,42.20				
2406-01.110.64- फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्सन एंड मैनेजमेंट ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	1,62.00	91.09	88.32	(-)2.77	₹1,04.84 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	31.16				
	पुनर्वि.	(-)1,02.07				
2406-01.110.64- फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्सन एंड मैनेजमेंट ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	1,08.00	62.02	59.48	(-)2.54	₹69.29 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	20.77				
	पुनर्वि.	(-)66.75				
2406-01.789.58- अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण ( राज्य स्कीम )	मूल	30,20.50	26,83.69	26,83.01	(-)0.68	₹3,37.49 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,36.81				
2406-01.789.59- अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण ( राज्य स्कीम )	मूल	17,99.01	16,30.64	16,22.16	(-)8.48	₹1,76.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,68.37				
2406-01.789.63- सब मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	39.60	11.34	4.90	(-)6.44	₹34.70 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.26				
2406-01.789.64- फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्सन एंड मैनेजमेंट ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	1,08.00	72.64	69.74	(-)2.90	₹58.63 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	20.37				
	पुनर्वि.	(-)55.73				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2406-01.789.65- राष्ट्रीय बैम्बू मिशन (60:40) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	61.56	23.01	21.60	(-)1.41	₹39.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38.55				
2406-01.796.09- लघु वन पदार्थों का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	5,21.05	4,93.14	(-)27.91	₹1,06.86 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.95				
2406-01.796.39- स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड (राज्य स्कीम)	मूल	2,78.08	2,11.79	2,13.65	+1.86	₹64.43 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66.29				
2406-01.796.40- सिल्विकल्चर ऑपरेशन (राज्य स्कीम)	मूल	30,62.51	25,96.49	25,37.04	(-)59.45	₹5,25.47 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,66.02				
2406-01.796.48- वन सीमा का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	2,95.03	2,94.20	(-)0.83	₹7,05.80 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,04.97				
2406-01.796.58- अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण भू-संरक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	33,54.81	30,17.29	29,86.00	(-)31.29	₹3,68.81 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,37.52				
2406-01.796.63- सब मिशन ऑन एग्रोफॉरैस्ट्री (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	85.80	16.46	8.84	(-)7.62	₹76.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69.34				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2406-01.796.63- सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	57.20	10.98	5.90	(-)5.08	₹51.30 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.22				
2406-01.796.65- राष्ट्रीय बैम्बू मिशन ( 60:40 ) ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	1,33.38	80.01	79.91	(-)0.10	₹53.47 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)53.37				
2406-01.796.65- राष्ट्रीय बैम्बू मिशन ( 60:40 ) ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	88.92	53.93	53.23	(-)0.70	₹35.69 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.99				
2406-01.800.39- स्थायी पौधशाला एवं सीड ऑर्चर्ड ( राज्य स्कीम )	मूल	2,21.92	1,47.45	1,21.26	(-)26.19	₹1,00.66 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)74.47				
2406-02.110.01- अभ्यारण्य ( स्थापना व्यय )	मूल	19,79.94	15,47.70	15,48.12	+0.42	₹4,35.82 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4.00				
	पुनर्वि.	(-)4,36.24				
2406-02.110.02- विश्व बैंक सहायता प्राप्त सहभागीय वन प्रबंधन योजना ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	1,00.00	44.48	44.48	0.00	₹55.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55.52				
2406-02.110.03- हाथी परियोजना ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	2,70.00	1,37.36	1,42.44	+5.08	₹1,27.56 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,32.64				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2406-02.110.03- हाथी परियोजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,80.00	91.57	93.55	+1.98	₹86.45 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)88.43				
2406-02.110.08- पलामू ब्याघ्र योजना के अंतर्गत अनावर्तक व्यय (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,40.00	13,81.17	1,20.09	(-)12,61.08	₹13,79.91 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	12,60.00				
	पुनर्वि.	(-)1,18.83				
2406-02.110.08- पलामू ब्याघ्र योजना के अंतर्गत अनावर्तक व्यय (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,60.00	9,20.78	80.06	(-)8,40.72	₹9,19.94 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	8,40.00				
	पुनर्वि.	(-)79.22				
2406-02.110.21- प्रोजेक्ट टाइगर पलामू योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,00.00	1,51.45	1,51.44	(-)0.01	₹48.56 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.55				
2406-02.110.21- प्रोजेक्ट टाइगर पलामू योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	1,51.45	1,51.04	(-)0.41	₹48.96 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.55				
2406-02.110.22- वन्य प्राणी पर्यवास का समेकित विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,83.00	94.97	89.85	(-)5.12	₹93.15 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)88.03				
2406-02.110.22- वन्य प्राणी पर्यवास का समेकित विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,22.00	62.95	61.46	(-)1.49	₹60.54 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)59.05				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2406-04.103.04- एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	15,75.64	9,75.07	(-)6,00.57	₹6,00.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	15,75.64				
	पुनर्वि.	0.00				
2406-04.103.05- वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	1,84,04.39	1,37,23.57	(-)46,80.82	₹46,80.82 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,84,04.39				
	पुनर्वि.	0.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2406-01.101.46- इको-टूरिज्म (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2406-01.101.56- झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2406-01.101.57- वनरोपण योजनाओं का स्वतंत्र एजेंसी से मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2019)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या - 19 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2406-04.103.02- प्रतिकारात्मक वनरोपण (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹36,39.90 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	36,39.90				
	पुनर्वि.	(-)36,39.90				
2406-04.103.03- जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,50.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				
2406-04.103.06- ब्याज (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	20.00	0.00	(-)20.00	₹4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,00.00				
	पुनर्वि.	(-)3,80.00				
2406-04.103.07- अन्य (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹4,67.21 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,67.21				
	पुनर्वि.	(-)4,67.21				

**अनुदान संख्या - 19 क्रमांत**

(5) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अधिकाई सिद्ध हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2406-01.101.58- अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	31,24.69	26,54.80	27,00.39	+45.59	₹4,69.89 लाख की प्रत्याशित बचत बजट प्रावधान अधिक होने के कारण हुई थी। ₹45.59 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,69.89				
2406-01.102.59- अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण (राज्य स्कीम)	मूल	27,29.17	23,67.80	23,67.62	+0.18	₹3,61.37 लाख की प्रत्याशित बचत बजट प्रावधान अधिक होने के कारण हुई थी। ₹0.18 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,61.37				

## अनुदान संख्या 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	35,29,21,83	38,18,52,71	27,80,61,31	(-) 10,37,91,40
अनुपूरक	2,89,30,88			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

10,16,13,21

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	6,02,22,18	7,63,30,17	3,47,68,80	(-) 4,15,61,37
अनुपूरक	1,61,07,99			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

4,15,41,58

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹10,37,91.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹10,41.48 लाख), जनवरी 2020 (₹2,64,52.16 लाख) एवं मार्च 2020 (₹14,37.24 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,89,30,88 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹10,16,13.21 लाख), अंतिम बचत (₹10,37,91.40 लाख) से ₹ 21,78.19 लाख कम था।



**अनुदान संख्या - 20 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2210-01.103.39- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०) सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश), 2210-01.110.05- पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, धनबाद (स्थापना व्यय) 2210-01.110.12- एम०जी०एम० कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर (स्थापना व्यय), 2210-01.110.13- सदर अस्पताल (स्थापना व्यय), 2210-01.110.66- मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए आऊटसोर्सिंग (राज्य स्कीम), 2210-01.796.39- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०)-सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश) एवं 2210-05.105.02- पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹18,13.00 लाख, ₹1,34.25 लाख, ₹1,97.10 लाख, ₹8,50.23 लाख, ₹1,80.96 लाख, ₹11,91.33 लाख एवं ₹1,72.29 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹3,00,00.00 लाख, ₹21,47.09 लाख, ₹26,87.65 लाख, ₹1,04,40.65 लाख, ₹22,00.00 लाख, ₹1,56,00.00 लाख एवं ₹26,82.29 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान के 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2210-01.001.02- जिला चिकित्सा पदाधिकारी (स्थापना व्यय)	मूल	25,05.64	17,73.02	17,68.61	(-)4.41	₹7,73.97 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	36.94				
	पुनर्वि.	(-)7,69.56				
2210-01.001.49- मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रोडयोलॉजी जाँच योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क बेस्ट एवं सरवाईकल कैंसर स्क्रीनिंग योजना (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	11,62.36	11,57.21	(-)5.15	₹8,42.79 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,37.64				
2210-01.001.64- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहायता को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	4,10.00	4,10.00	0.00	₹15,90.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,90.00				

**अनुदान संख्या - 20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2210-01.102.77- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,30,00.00	67,65.98	67,65.98	0.00	₹1,15,34.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	53,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,15,34.02				
2210-01.103.78- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	66,09.20	56,00.99	56,00.99	0.00	₹10,08.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,08.21				
2210-01.110.14- अवर-प्रमंडलीय अस्पताल (स्थापना व्यय)	मूल	22,85.64	20,46.73	20,46.73	0.00	₹3,69.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,31.00				
	पुनर्वि.	(-)3,69.91				
2210-01.110.34- संचारी रोग (टी.बी.) के कार्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	2,35.66	1,72.16	1,72.16	0.00	₹63.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)63.50				
2210-01.110.59- पलामू मेडिकल अस्पताल (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	2,41.56	70.29	(-)1,71.27	₹1,71.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,41.56				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-01.110.60- दुमका मेडिकल अस्पताल (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	2,02.88	79.41	(-)1,23.47	₹1,48.47 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,27.88				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.110.61- हजारीबाग मेडिकल अस्पताल (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	2,63.69	1,12.38	(-)1,51.31	₹1,51.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,63.69				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-01.110.67- मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए मशीन उपकरण, उपस्कर क्रय सामग्री आपूर्ति एवं डायग्नोसिस तथा रेडिओलॉजी जाँच योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	22.86	22.86	0.00	₹9,77.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,77.14				
2210-01.110.68- मेडिकल कॉलेजों एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों/सुविधाओं (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	9,82.41	9,82.41	0.00	₹5,17.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,17.59				
2210-01.110.71- जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं /स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों कार्यालयों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए मशीन, उपकरण, उपस्कर का क्रय एवं सामग्रियों की आपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	8,00.00	8,00.00	0.00	₹1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2210-01.110.72- राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों का उत्क्रमण एम.बी. बी.एस. सीटों में बढ़ोतरी (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	24,00.00	19,79.00	19,79.00	0.00	₹17,43.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	13,22.00				
	पुनर्वि.	(-)17,43.00				
2210-01.110.72- राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों का उत्क्रमण एम.बी. बी.एस. सीटों में बढ़ोतरी (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	16,00.00	13,19.33	13,19.33	0.00	₹11,61.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	8,81.00				
	पुनर्वि.	(-)11,61.67				
2210-01.789.39- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच. एम.) सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,35,00.00	83,62.00	83,62.00	0.00	₹51,38.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51,38.00				
2210-01.789.49- मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एवं सरवाईकल कैंसर स्क्रीनिंग योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	3,16.41	3,16.41	0.00	₹1,83.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,83.59				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2210-01.789.68- मेडिकल कॉलेजों एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों/सुविधाओं ( राज्य स्कीम )	मूल	5,00.00	1,08.43	1,08.43	0.00	₹3,91.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,91.57				
2210-01.796.12- एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर ( राज्य स्कीम )	मूल	6,36.91	5,30.71	5,30.71	0.00	₹1,06.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,06.20				
2210-01.796.39- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ( एन.एच. एम. ) सहायता अनुदान ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	2,50,00.00	1,90,26.00	1,90,26.00	0.00	₹59,74.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)59,74.00				
2210-01.796.49- मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी जाँच योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एवं सरवाईकल कैंसर स्क्रीनिंग योजना ( राज्य स्कीम )	मूल	15,00.00	10,59.35	10,59.35	0.00	₹4,40.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,40.65				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2210-01.796.64- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहायता को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	4,10.00	4,10.00	0.00	₹5,90.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,90.00				
2210-01.796.67- मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए मशीन उपकरण, उपस्कर क्रय सामग्री आपूर्ति एवं डायगोनोसिस तथा रेडिओलॉजी जाँच योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	74.14	74.14	0.00	₹9,25.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,25.86				
2210-01.796.68- मेडिकल कॉलेजों एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों/सुविधाओं (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	8,52.76	8,58.23	(-)5.47	₹1,52.71 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,47.24				
2210-01.796.77- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00,00.00	50,00.00	50,00.00	0.00	₹72,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	22,00.00				
	पुनर्वि.	(-)72,00.00				
2210-02.101.01- देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	10,57.31	10,50.89	10,49.83	(-)1.06	₹1,17.05 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,09.57				
	पुनर्वि.	(-)1,15.99				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-03.101.02- स्वास्थ्य उपकेंद्र (स्थापना व्यय)	मूल	64,23.69	58,60.78	58,60.78	0.00	₹8,00.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,37.81				
	पुनर्वि.	(-)8,00.72				
2210-03.103.01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्थापना व्यय)	मूल	2,42,25.18	2,04,03.40	2,03,99.43	(-)3.97	₹41,41.98 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3,16.23				
	पुनर्वि.	(-)41,38.01				
2210-03.103.03- अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्थापना व्यय)	मूल	1,25,47.21	93,77.38	93,77.39	+0.01	₹31,70.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.50				
	पुनर्वि.	(-)31,70.33				
2210-03.110.04- रेफरल अस्पताल (स्थापना व्यय)	मूल	53,22.05	40,16.24	40,16.24	0.00	₹13,35.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	29.86				
	पुनर्वि.	(-)13,35.67				
2210-04.101.03- ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (आयुर्वेदिक अस्पताल) (स्थापना व्यय)	मूल	7,37.41	6,49.42	6,49.39	(-)0.03	₹1,36.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	48.20				
	पुनर्वि.	(-)1,36.19				
2210-04.102.01- होमियोपैथी औषधालय (स्थापना व्यय)	मूल	2,53.32	2,32.95	2,32.95	0.00	₹56.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	36.06				
	पुनर्वि.	(-)56.43				

**अनुदान संख्या - 20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2210-05.105.04- प्रशिक्षण नर्स (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	36.19	36.19	0.00	₹63.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)63.81				
2210-05.105.12- एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर (स्थापना व्यय)	मूल	38,08.76	31,47.72	31,47.72	0.00	₹7,15.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	54.41				
	पुनर्वि.	(-)7,15.45				
2210-05.105.23- हजारीबाग मेडिकल कॉलेज (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	6,37.69	4,28.99	(-)2,08.70	₹2,08.70 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	6,37.69				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-05.105.24- दुमका मेडिकल कॉलेज (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	5,44.22	2,21.96	(-)3,22.26	₹3,22.26 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5,44.22				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-05.105.25- पलामू मेडिकल कॉलेज (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	5,13.85	3,79.67	(-)1,34.18	₹1,34.18 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5,13.85				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-05.796.12- एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.50	86.90	86.90	0.00	₹63.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)63.60				



अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2210-06.001.02- जन स्वास्थ्य संस्थान (स्थापना व्यय)	मूल	3,60.11	2,44.52	2,44.05	(-)0.47	₹1,16.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.47				
	पुनर्वि.	(-)1,16.06				
2210-06.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	3,13.66	2,05.12	2,05.12	0.00	₹1,18.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10.20				
	पुनर्वि.	(-)1,18.74				
2210-06.001.20- राज्य औषधी नियामक व्यवस्था का सुदृढीकरण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,86.00	3,35.00	3,35.00	0.00	₹1,51.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,51.00				
2210-06.001.20- राज्य औषधि नियामक व्यवस्था का सुदृढीकरण (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,24.00	2,23.33	2,23.33	0.00	₹1,00.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.67				
2210-06.101.01- अन्यान्य औषधालय (यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम) (स्थापना व्यय)	मूल	13,29.98	11,54.29	11,54.29	0.00	₹2,39.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	63.53				
	पुनर्वि.	(-)2,39.22				
2210-06.101.02- राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (स्थापना व्यय)	मूल	7,44.39	6,44.62	6,44.62	0.00	₹1,04.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5.00				
	पुनर्वि.	(-)1,04.77				

**अनुदान संख्या - 20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2210-06.101.03- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (स्थापना व्यय)	मूल	55,49.16	39,90.48	39,89.49	(-)0.99	₹16,12.67 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	53.00				
	पुनर्वि.	(-)16,11.68				
2210-06.101.05- अन्य औषधालय (कुष्ठ निरोध कार्यक्रम) (स्थापना व्यय)	मूल	27,47.22	16,35.75	16,31.07	(-)4.68	₹11,25.51 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	9.36				
	पुनर्वि.	(-)11,20.83				
2210-06.101.06- अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (स्थापना व्यय)	मूल	5,84.45	5,01.26	5,01.26	0.00	₹1,18.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	35.00				
	पुनर्वि.	(-)1,18.19				
2210-06.101.10- संचारी रोग मलेरिया कार्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	11,93.01	8,67.91	8,67.50	(-)0.41	₹3,25.51 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,25.10				
2210-06.101.11- संचारी रोग मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम डी.डी.टी. छिड़काव (मजदूरी) (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	4,01.46	4,01.46	0.00	₹1,98.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,98.54				
2210-06.101.13- गैर संचारी रोग (कुष्ठ रोग) (राज्य स्कीम)	मूल	3,56.35	2,05.93	2,05.93	0.00	₹1,50.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.42				

**अनुदान संख्या - 20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2210-06.102.01- खाद्य अपमिश्रण का निवारण (स्थापना व्यय)	मूल	1,36.38	1,87.33	1,88.87	+1.54	₹1,09.59 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,62.08				
	पुनर्वि.	(-)1,11.13				
2210-06.104.01- औषध नियंत्रण स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	4,65.24	4,33.14	4,33.14	0.00	₹59.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	27.00				
	पुनर्वि.	(-)59.10				
2211-00.103.01- मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य (स्थापना व्यय)	मूल	3,07.87	3,41.04	3,41.04	0.00	₹46.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	80.00				
	पुनर्वि.	(-)46.83				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2210-01.001.20- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परामर्शी शुल्क (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	₹20,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				
2210-01.001.75- सामान्य सेवा केन्द्र के माध्यम से टेलीमेडिसिन द्वारा होमियोपैथिक ईलाज (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	₹6,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2210-01.103.78- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ( पी.एम.जे.ए.वाई. ) ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	99,15.66	0.00	0.00	0.00	₹99,15.66 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)99,15.66				
2210-01.109.40- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन ( ए.एन.एम./जी. एन.एम.स्कूल ) ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	12,00.00	0.00	0.00	0.00	₹12,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				
2210-01.109.40- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन ( ए.एन.एम./जी. एन.एम.स्कूल ) ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	₹8,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.00				
2210-01.110.55- इन्सेन्टिव फॉर इस्टाब्लिसिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ( राज्य स्कीम )	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2210-01.110.62- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,20.00	0.00	0.00	0.00	₹1,20.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.00				
2210-01.110.62- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	₹80.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				
2210-01.789.77- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	34,44.00	0.00	0.00	0.00	₹44,44.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)44,44.00				
2210-01.789.78- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी.एम.जे.ए.वाई.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	19,19.16	0.00	0.00	0.00	₹19,19.16 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,19.16				
2210-01.796.55- इन्सेण्टिव फॉर एस्टब्लिशिंग प्राईवेट मेडिकल कॉलेज (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2210-01.796.75- सामान्य सेवा केन्द्र के माध्यम से टेलीमेडिसिन द्वारा होमियोपैथिक इलाज (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	₹6,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2210-01.796.78- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी.एम.जे.ए.वाई.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	41,58.18	0.00	0.00	0.00	₹41,58.18 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41,58.18				
2210-02.200.27- राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	10,14.88	0.00	(-)10,14.88	₹10,14.88 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10,14.88				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-03.101.03- आदिम जनजाति विशेष हेल्थ केयर पैकेज (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2210-05.101.17- राष्ट्रीय मिशन-आयुष प्रक्षेत्र (चाईबासा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,75.00	0.00	0.00	0.00	₹4,75.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,75.00				

अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2210.05.105.16- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा महाविद्यालयों में पी. जी. कोर्सेज) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,11.60	0.00	0.00	0.00	₹3,11.60 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,11.60				
2210-05.105.16- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा महाविद्यालयों में पी. जी. कोर्सेज) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	6,12.84	0.00	0.00	0.00	₹6,12.84 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,12.84				
2210-05.105.21- हजारीबाग, पलामू एवं दुमका में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	16,82.97	0.00	0.00	0.00	₹16,82.97 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,82.97				
2210-05.105.21- हजारीबाग, पलामू एवं दुमका में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	77,14.63	0.00	0.00	0.00	₹77,14.63 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77,14.63				
2210-05.105.22- जी.एन.एम. स्कूलों का बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय में उत्क्रमण (के.से.स्कीम)	मूल	4,18.00	0.00	0.00	0.00	₹4,18.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,18.00				

**अनुदान संख्या - 20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2210-06.101.21- क्षेत्रीय ओपथाल्मोलोजी संस्थान, रिम्स को सहायता अनुदान ( के.से.स्कीम )	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2210-06.112.19- त्रिवर्षीय बी.एस.सी. सामुदायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम ( राज्य स्कीम )	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹10,00.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				

**पूँजी:**

- (5) ₹4,15,61.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹1,26,50.00 लाख), जनवरी 2020 (₹1,23.99 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 33,34.00 लाख) ₹1,61,07.99 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,15,41.58 लाख), अंतिम बचत (₹4,15,61.37 लाख) से ₹19.79 लाख कम था।
- (7) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4210-01.109.38- नया फार्मसी संस्थान ( राज्य स्कीम )	मूल	14,39.83	11,39.83	11,39.83	0.00	₹3,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				



अनुदान संख्या - 20 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4210-01.110.45- मेडिकल कॉलेज एवं 500 शय्या वाले अस्पताल आधारभूत संरचना (राज्य स्कीम)	मूल	80,12.59	31,32.81	31,32.81	0.00	₹48,79.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48,79.78				
4210-01.110.48- जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार उत्क्रमण (राज्य सरकार)	मूल	50,00.00	32,45.10	32,45.10	0.00	₹17,54.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,54.90				
4210-01.110.49- फेज 2 अंतर्गत जिला/रेफरल अस्पताल से संबद्ध नए कॉलेज की स्थापना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,99,57.75	1,55,18.00	1,55,18.00	0.00	₹1,24,39.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	80,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,24,39.75				
4210-01.110.49- फेज 2 अंतर्गत जिला/रेफरल अस्पताल से संबद्ध नए कॉलेज की स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	57,92.56	57,92.56	57,92.56	0.00	₹72,19.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	72,19.00				
	पुनर्वि.	(-)72,19.00				
4210-01.200.46- खाद्य एवं औषधि कार्यालयों/लेबोरेट्रीज का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	3,71.70	3,71.70	0.00	₹1,28.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,28.30				

**अनुदान संख्या - 20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4210-01.789.48- जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	29,00.00	3,66.83	3,66.83	0.00	₹25,33.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,33.17				
4210-01.796.38- नया फार्मसी संस्थान (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	3,00.00	3,00.00	0.00	₹7,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,00.00				
4210-01.796.45- मेडिकल कॉलेज एवं 500 शय्या वाले अस्पताल- आधारभूत संरचना (राज्य स्कीम)	मूल	62,00.00	28,18.86	28,18.86	0.00	₹33,81.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,81.14				
4210-01.796.46- खाद्य एवं औषधि कार्यालयों/लेबोरेट्रीज का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	40.87	40.87	0.00	₹4,59.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,59.13				
4210-01.796.48- जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	40,00.00	18,85.73	18,85.73	0.00	₹21,14.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21,14.27				

**अनुदान संख्या - 20 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4210-03.200.08- राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	16,29.61	52.31	52.31	0.00	₹15,77.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,77.30				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4210-01.110.31- सेटिंग अप मेडिको सिटी (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
4210-01.110.42- ट्रॉमा केयर सुविधाएं (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,45.68	0.00	0.00	0.00	₹1,45.68 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,45.68				
4210-01.110.42- ट्रॉमा केयर सुविधाएं (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,84.16	0.00	0.00	0.00	₹1,84.16 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,84.16				

अनुदान संख्या - 20 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति
4210-01.110.43- तृतीयक देखभाल कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,65.00	0.00	0.00	0.00	₹15,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	7,65.00				
	पुनर्वि.	(-)15,30.00				
4210-01.110.43- तृतीयक देखभाल कार्यक्रम (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,10.00	0.00	0.00	0.00	₹5,10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,10.00				
4210-01.110.44- राजकीय संस्थानों में एलॉड हेल्थ साइन्स की स्थापना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,11.00	0.00	0.00	0.00	₹4,11.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,11.00				
4210-01.110.44- राजकीय संस्थानों में एलॉड हेल्थ साइन्स की स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,74.00	0.00	0.00	0.00	₹2,74.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,74.00				
4210-01.200.47- एम्बुलेंसेज/शव वाहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

**अनुदान संख्या 21-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
( उच्च शिक्षा प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष - 2202- सामान्य शिक्षा)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	13,05,85,04	17,58,44,80	14,47,55,13	(-) 3,10,89,67
अनुपूरक	4,52,59,76			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

3,07,28,66

**टीका एवं टिप्पणियाँ:**

राजस्व:

- (1) ₹3,10,89.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹2,72,64.00 लाख), जनवरी 2020 (₹ 48,82.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹1,31,13.76 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,52,59.76 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,07,28.66 लाख), अंतिम बचत (₹3,10,89.67 लाख) से ₹3,61.01 लाख कम था।
- (3) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2202-03.001.01- निदेशन एवं प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	2,83.07	2,61.56	2,60.50	(-)1.06	₹54.57 लाख का कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	32.00				
	पुनर्वि.	(-)53.51				

**अनुदान संख्या - 21 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-03.102.01- विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग (स्थापना व्यय)	मूल	91,59.25	62,90.58	62,90.58	0.00	यू.जी.सी बकाया वेतन (राज्यांश) को भुगतान किये जाने के कारण ₹13,66.00 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹28,68.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	13,66.00				
	पुनर्वि.	(-)42,34.67				
2202-03.102.10- निलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, पलामू (स्थापना व्यय)	मूल	36,24.82	19,48.66	19,48.66	0.00	यू.जी.सी. बकाया वेतन (राज्यांश) को भुगतान किये जाने के कारण ₹5,00.00 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹ 16,76.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5,00.00				
	पुनर्वि.	(-)21,76.16				
2202-03.102.15- कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा (स्थापना व्यय)	मूल	77,57.89	50,58.05	50,58.05	0.00	₹26,99.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26,99.84				

अनुदान संख्या - 21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-03.102.79- केंद्र प्रायोजित अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केंद्र शेयर 65% राज्य शेयर 35%) ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	46,50.00	17,55.37	17,55.37	0.00	₹28,94.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28,94.63				
2202-03.102.79- केंद्र प्रायोजित अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केंद्र शेयर 65% राज्य शेयर 35%) ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	31,00.00	10,69.50	10,69.50	0.00	₹20,30.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,30.50				
2202-03. 102.B7- पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेंटर उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आई. सी.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु स्थापना अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	1,04.22	1,04.22	0.00	₹3,95.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,95.78				

अनुदान संख्या - 21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-03.102.B8- छात्राओं के निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर की स्थापना एवं दो पाली में कक्षा का संचालन हेतु सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	50,55	50.55	0.00	₹4,49.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,49.45				
2202-03.102.B9- प्रशिक्षण, कॉन्फ्रेंस कार्यालय एवं भ्रमण सॉफ्ट स्क्रीन, कंसल्टेंसी फीस प्लेशमेंट सेल स्टार्ट-अप आदि के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	16.95	16.95	0.00	₹2,83.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,83.05				
2202-03.102.BA- नये विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,07,00.00	91,32.14	91,32.14	0.00	₹15,67.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,67.86				



**अनुदान संख्या - 21 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-03.102.BD- बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय कोयलांचल, धनबाद (स्थापना व्यय)	मूल	88,83.67	46,79,83	46,79,83	0.00	यू.जी.सी. बकाया वेतन (राज्यांश) को भुगतान किये जाने के कारण ₹15,00.00 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹42,03.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	15,00.00				
	पुनर्वि.	(-)57,03.84				
2202-03.102.BF- डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची (स्थापना व्यय)	मूल	20,60.37	13,93.71	13,93.71	0.00	यू.जी.सी. बकाया वेतन (राज्यांश) को भुगतान किये जाने के कारण ₹5,00.00 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹6,66.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5,00.00				
	पुनर्वि.	(-)11,66.66				
2202-03.102.BG- डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	3,30.00	18.32	18.32	0.00	₹3,11.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,11.68				

अनुदान संख्या - 21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-03.789.79- केंद्र प्रायोजित अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केंद्र शेयर 65% राज्य शेयर 35%) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	9,00.00	3,39.75	3,39.75	0.00	₹5,60.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,60.25				
2202-03.789.79- केंद्र प्रायोजित अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केंद्र शेयर 65% राज्य शेयर 35%) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	6,00.00	2,07.00	2,07.00	0.00	₹3,93.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,93.00				
2202-03.796.12- उच्च शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रस्तावित विधि विश्वविद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	3,98.00	39.80	(-)3,58.20	₹3,58.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3,98.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2202-03.796.79- केंद्र प्रायोजित अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,50.00	1,69.87	1,69.87	0.00	₹2,80.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,80.13				
2202-03.796.79- केंद्र प्रायोजित अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,00.00	1,03.50	1,03.50	0.00	₹1,96.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,96.50				

अनुदान संख्या - 21 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-03.796.B5- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	60,00.00	45,35.89	45,35.89	0.00	₹14,64.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,64.11				
2202-03.796.B7- पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेंटर उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आई. सी.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु स्थापना अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	4,04.22	4,04.22	0.00	₹95.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)95.78				
2202-03.796.B8- छात्राओं के निःशुल्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेंटर की स्थापना एवं दो पाली में कक्षा का संचालन हेतु सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	4,37.08	4,37.08	0.00	₹62.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)62.92				

**अनुदान संख्या - 21 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-03.796.B9- प्रशिक्षण, कॉन्फ्रेंस कार्यालय एवं भ्रमण सॉफ्ट स्क्रील, कंसल्टेंसी फीस प्लेशमेंट सेल स्टार्ट-अप आदि के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	16.01	16.01	0.00	₹2,83.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,83.99				
2202-03.796.BA- नये विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,07,00.00	39,24.00	39,24.00	0.00	₹67,76.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67,76.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-03.102.B1- मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	1,30.00	0.00	0.00	0.00	₹1,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,30.00				
2202-03.796.B1- मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनाएँ (राज्य स्कीम)	मूल	3,70.00	0.00	0.00	0.00	₹3,70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,70.00				

## अनुदान संख्या 22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( गृह प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष - 2052 - सचिवालय-सामान्य, 2055-पुलिस, 2056- जेल, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	48,83,72,88	54,50,75,69	52,56,74,00	(-)1,94,01,69
अनुपूरक	5,67,02,82			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

1,73,07,46

पूँजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	6,74,86,01	11,03,31,73	8,08,22,93	(-) 2,95,08,80
अनुपूरक	4,28,45,72			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

2,93,29,87

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व:

(1) ₹1,94,01.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹ 1,78,07.52 लाख), जनवरी 2020 (₹2,47,82.60 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 1,41,12.70 लाख) में प्राप्त किया गया ₹5,67,02.82 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

(2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,73,07.46 लाख), अंतिम बचत (₹1,94,01.69 लाख) से ₹20,94.23 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 22 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2052-00.090.03- गृह विभाग (स्थापना व्यय), 2055-00.001.03- केंद्रीय स्तर पीआर परिव्यय (स्थापना व्यय), 2055-00.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय), 2055-00.101.06- विशेष शाखा (स्थापना व्यय), 2055-00.104.02- पैदल सैन्य पुलिस (स्थापना व्यय), 2055-00.104.05- इंडिया रिजर्व बटालियन (स्थापना व्यय), 2055-00.109.01- जिला कार्यकारी दल (स्थापना व्यय), 2055-00.110.01- चौकीदार दफादार स्थापना (स्थापना व्यय), 2055-00.111.02- ऑर्डर पुलिस (स्थापना व्यय), एवं 2070-00.107.01- ग्रामीण (स्थापना व्यय), के अंतर्गत ₹1,02.08 लाख, ₹1,24.64 लाख, ₹1,15.39 लाख, ₹4,08.48 लाख, ₹12,99.81 लाख, ₹8,46.90 लाख, ₹26,82.11 लाख, ₹13,56.79 लाख, ₹2,35.87 लाख एवं ₹8,44.25 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹11,04.10 लाख, ₹18,60.00 लाख, ₹19,11.71 लाख, ₹1,41.81.98 लाख, ₹8,35,73.89 लाख, ₹3,21,91.97 लाख, ₹26,63,85.38 लाख, ₹2,37,83.70 लाख, ₹75,30.87 लाख एवं ₹1,07,09.44 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान के 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2055-00.001.01- अभियोजन निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	38,64.31	24,64.73	24,08.80	(-)55.93	₹15,18.65 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	63.14				
	पुनर्वि.	(-)14,62.72				
2055-00.001.02- विधि व्यवस्था पर व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	7,54.10	7,54.10	0.00	₹1,45.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,45.90				
2055-00.003.01- प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग (स्थापना व्यय)	मूल	17,69.77	16,61.42	16,61.42	0.00	₹2,44.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,35.76				
	पुनर्वि.	(-)2,44.11				
2055-00.101.05- डोंग-स्क्वाड (स्थापना व्यय)	मूल	70.00	13.74	13.74	0.00	₹56.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)56.26				

अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2055-00.101.96- विदेशियों के पंजीकरण एवं निरीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	1,52.84	1,13.38	1,13.38	0.00	₹39.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.46				
2055-00.104.04- एस.टी.एफ. (झारखण्ड जागुवार) (स्थापना व्यय)	मूल	2,17,17.06	1,91,65.46	1,91,67.35	+1.89	₹26,49.71 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-)26,51.60				
2055-00.104.AC- पैदल सैन्य पुलिस, लोक सभा चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	6,00.00	2,50.57	(-)3,49.43	₹3,49.43 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	6,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.104.AE- आई.आर.बी., लोक सभा चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	3,10.00	1,33.22	(-)1,76.78	₹1,76.78 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3,10.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.104.AF- पैदल सैन्य पुलिस, विधानसभा चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	6,60.00	3,43.68	(-)3,16.32	₹3,16.32 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	6,60.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.104.AH- इंडिया रिजर्व बटालियन- विधानसभा चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	3,54.00	1,60.16	(-)1,93.84	₹1,93.84 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3,54.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या - 22 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2055-00.109.97- प्रतिबंधित/कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी पर घोषित पुरस्कार (स्थापना व्यय)	मूल	3,00.00	1,07.00	1,07.00	0.00	₹1,93.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,93.00				
2055-00.109.A7- जिला कार्यकारी दल-विधान सभा उप चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	5,26.40	4,79.93	(-)46.47	₹46.47 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5,26.40				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.109.AF- जिला कार्यकारी दल, लोक सभा चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	48,76.54	43,84.86	(-)4,91.98	₹4,91.98 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	48,76.54				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.109.AI- जिला कार्यकारी दल-विधान सभा चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	69,88.63	69,17.27	(-)71.36	₹71.36 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	69,88.63				
	पुनर्वि.	0.00				
2055-00.113.01- चिकित्सालय व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	2,95.16	3,27.92	3,27.92	0.00	₹42.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	75.00				
	पुनर्वि.	(-)42.24				
2055-00.114.01- संकेत (स्थापना व्यय)	मूल	57,38.69	50,48.25	50,48.25	0.00	₹6,96.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	6.16				
	पुनर्वि.	(-)6,96.60				



अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2056-00.101.01- केंद्रीय जेल (स्थापना व्यय)	मूल	72,62.10	87,11.30	87,11.30	0.00	₹5,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निधि में अपर्याप्त आवंटन के कारण हुई। ₹2,96.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	12,46.15				
	पुनर्वि.	(-),2,03.05				
2056-00.101.02- जिला जेल (स्थापना व्यय)	मूल	58,66.51	54,00.23	54,00.23	0.00	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹5,00.00 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई। ₹1,76.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,10.66				
	पुनर्वि.	(-),6,76.94				
2056-00.101.03- उप जेल (स्थापना व्यय)	मूल	12,95.53	12,53.22	12,53.22	0.00	₹1,40.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	98.25				
	पुनर्वि.	(-),1,40.56				
2070-00.106.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	3,67.01	81.13	81.13	0.00	₹2,88.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3.06				
	पुनर्वि.	(-),2,88.94				
2070-00.106.04- अग्नि सेवा (स्थापना व्यय)	मूल	5,63.99	4,90.48	4,90.48	0.00	₹74.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1.00				
	पुनर्वि.	(-),74.51				

**अनुदान संख्या - 22 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2070-00.106.05- मुख्यालय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	77.29	9.55	9.55	0.00	₹67.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67.74				
2070-00.107.05- ग्रामीण विधान सभा चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	22,32.21	15,65.51	(-)6,66.70	₹6,66.70 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	22,32.21				
	पुनर्वि.	0.00				
2070-00.108.01- अग्नि रक्षा सेवा (स्थापना व्यय)	मूल	20,45.44	18,62.17	18,16.77	(-)45.40	₹2,84.07 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	55.40				
	पुनर्वि.	(-)2,38.67				
2070-00.800.09- उग्रवादी घटनाओं में मारे गये पुलिस कर्मी/ग्रामीण पुलिस/ होम गार्ड/गृह रक्षकों को विशेष अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	8,00.00	22.00	22.00	0.00	₹7,78.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,78.00				
2235-02.106.02- प्रोबेशन सेवा (स्थापना व्यय)	मूल	5,88.98	3,85.96	3,85.96	0.00	₹2,03.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,03.02				
2235-02.106.05- प्रोबेशन-हॉस्टल (स्थापना व्यय)	मूल	1,60.40	1,16.86	1,14.04	(-)2.82	₹53.18 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	6.82				
	पुनर्वि.	(-)50.36				

**अनुदान संख्या - 22 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-60.200.03- स्वतंत्रता सेनानी तथा उनके आश्रितों को विशेष भत्ता (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	99.67	99.67	0.00	₹1,00.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.33				
2235-60.200.05- दंगा में प्रभावित व्यक्तियों को राहत (स्थापना व्यय)	मूल	2,50.00	1,35.35	1,35.35	0.00	₹1,14.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,14.65				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2055-00.001.07- असैनिक/सैनिक व्यक्तियों के चिकित्सा हेतु व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	35.00	0.00	0.00	0.00	₹35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35.00				
2056-00.101.04- ई-अभियोजन प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2056-00.101.05- ई-विजन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु राज्य के काराओं का कम्प्यूटराईजेशन तथा बंदी आंकड़ों की उपलब्धता (के.से. स्कीम)	मूल	0.00	53.00	0.00	(-)53.00	₹53.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	53.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2056-00.796.04- ई-अभियोजन प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2056-00.796.05- ई-विजन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु राज्य के काराओं का कम्प्यूटराईजेशन/ डिजीटाईजेशन तथा बंदी आंकड़ों की उपलब्धता (के.से. स्कीम)	मूल	0.00	57.00	0.00	(-)57.00	₹57.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	57.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**पूँजी:**

- (5) ₹2,95,08.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹ 57,56.45 लाख) एवं जनवरी 2020 (₹ 3,70,89.27 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 4,28,45.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,93,29.87 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,95,08.80 लाख) से ₹ 1,78.93 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 22 क्रमशः**

- (7) शीर्ष 4055-00.211.01- पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹2,82.28 लाख की बचत, जो ₹49,26.23 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान के 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4055-00.207.16- नये बंदी वार्ड / पेरीमीटर वाल का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	11,00.00	5,29.28	5,29.28	0.00	₹5,70.72 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,70.72				
4055-00.207.28- कारा मुख्य गेट की सुरक्षा हेतु घेराबंदी/ सौर्य घेराबंदी (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	86.63	86.63	0.00	₹7,13.37 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,13.37				
4055-00.207.43- पुलिस आधुनिकीकरण एवं भजन निर्माण (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	20,00.00	20,00.00	20,00.00	0.00	₹9,34.20 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	9,34.20				
	पुनर्वि.	(-)9,34.20				
4055-00.207.45- पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकारणों का क्रय (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,52.60	5,20.50	5,20.50	0.00	₹5,90.62 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5,58.52				
	पुनर्वि.	(-)5,90.62				
4055-00.207.45- पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकारणों का क्रय (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,68.40	3,83.00	3,83.00	0.00	₹5,66.00 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5,80.60				
	पुनर्वि.	(-)5,66.00				
4055-00.207.67- पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	25,14.50	11,24.55	11,24.55	0.00	₹13,89.95 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,89.95				

अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4055-00.207.76- राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय/जिला सैनिक कल्याण कार्यालय/सह सैनिक आरामगृह का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	98.12	98.12	0.00	₹1,01.88 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,01.88				
4055-00.207.77- अतिवामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता (के.से.स्कीम)	मूल	1,24,95.00	1,99,99.85	1,99,99.85	0.00	₹79,98.00 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,55,02.85				
	पुनर्वि.	(-)79,98.00				
4055-00.207.78- अतिवामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	11,15.00	3,24.72	3,24.72	0.00	₹7,90.28 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 7,90.28				
4055-00.796.28- राज्य के काराओं आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	2,32.76	2,32.76	0.00	₹5,67.24 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,67.24				
4055-00.796.43- पुलिस आधुनिकीकरण एवं भवन निर्माण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	69,32.40	84,72.10	84,72.10	0.00	₹15,39.40 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	30,79.10				
	पुनर्वि.	(-)15,39.40				

अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4055-00.796.77- अतिवामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	1,45,77.96	2,33,33.15	2,33,33.15	0.00	₹93,31.01 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,80,86.20				
	पुनर्वि.	(-)93,31.01				
4055-00.796.78- राज्य के काराओं आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण ( राज्य स्कीम )	मूल	11,85.00	3,02.83	2,02.83	(-)1,00.00	₹10,82.17 लाख के कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-) 9,82.17				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4055-00.207.33- कारा कर्मियों के आवास निर्माण हेतु ( राज्य स्कीम )	मूल	0.00	78.93	0.00	(-)78.93	₹78.93 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	78.93				
	पुनर्वि.	0.00				
4055-00.207.74- अभियोजन निदेशालय/कार्यालय का निर्माण/सुदृढीकरण ( राज्य स्कीम )	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				

अनुदान संख्या - 22 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4055-00.796.45- पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों का क्रय (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,68.40	0.00	0.00	0.00	₹12,32.66 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	8,64.26				
	पुनर्वि.	(-)12,32.66				
4055-00.796.45- पुलिस आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों का क्रय (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,45.60	0.00	0.00	0.00	₹2,45.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,45.60				
4055-00.796.74- अभियोजन निदेशालय/कार्यालय का निर्माण/सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
4070-00.796.63- केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र, नागरिक सुरक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
4070-00.796.77- झारखण्ड अग्निशमन सेवा के सुदृढीकरण हेतु वाटर टैंडर, फार्म टैंडर, उपकरण फायर एवं इंजन का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	6,85.48	0.00	0.00	0.00	₹6,85.48 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,85.48				



**अनुदान संख्या - 22 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4070-00.796.84- गृह रक्षा वाहिनी का सुदृढीकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4070-00.800.65- अग्निशामन का सुदृढीकरण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,44.04	0.00	0.00	0.00	₹2,44.04 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,44.04				
4070-00.800.65- अग्निशामन का सुदृढीकरण (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,47.66	0.00	0.00	0.00	₹1,47.66 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,47.66				
4070-00.800.84- गृह रक्षा वाहिनी का सुदृढीकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	65.00	0.00	0.00	0.00	₹65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.00				

## अनुदान संख्या 23-उद्योग विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय, 4875-अन्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	4,31,08,03	4,42,97,67	2,72,46,91	(-) 1,70,50,76
अनुपूरक	11,89,64			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

1,70,50,76

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	10,33,00	10,99,00	4,00,00	(-) 6,99,00
अनुपूरक	66,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

6,33,00

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्वा:

- (1) ₹ 1,70,50.76 लाख, की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹ 5.00 लाख), जनवरी 2020 (₹ 2,20.35 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 9,64.29 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,89.64 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 23 क्रमशः**

- (2) शीर्ष 2851-01.102.61- लघु उद्योगों के लिए कलस्टर विकास योजना (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹1,13.55 लाख की बचत, जो ₹ 44,63.55 लाख, के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹25.00 लाख अथवा प्रावधान के 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2851-00.102.68- जिला उद्योग केंद्र की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,47.86	1,47.86	0.00	₹1,05.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	53.74				
	पुनर्वि.	(-)1,05.88				
2851-00.103.69- हस्तकरघा विकास की योजना (स्कीम) (राज्य स्कीम)	मूल	67.00	3.10	3.10	0.00	₹63.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)63.90				
2851-00.104.04- हस्तशिल्प विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,50.00	1,37.51	1,37.51	0.00	₹2,12.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,12.49				
2851-00.107.12- रेशम दूतों के माध्यम से न्यूकीलियस सीड रियरिंग (राज्य स्कीम)	मूल	2,20.00	1,81.44	1,81.44	0.00	₹38.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38.56				
2851-00.107.29- तसर किट पलकों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,20.00	1,61.29	1,61.29	0.00	₹58.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.71				

**अनुदान संख्या - 23 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2851-00.107.70- रेशम के विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,14.90	1,56.95	1,56.95	0.00	₹57.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.95				
2851-00.789.64- बांस शिल्पी प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्रों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,10.80	1,10.80	0.00	₹89.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-) 89.20				
2851-00.796.01- हथकरघा विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	43.00	4.38	4.38	0.00	₹38.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38.62				
2851-00.796.04- हस्तशिल्प विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	82.91	82.91	0.00	₹1,17.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,17.09				
2851-00.796.06- रेशम के विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,82.00	6,36.07	6,36.07	0.00	₹1,45.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,45.93				
2851-00.796.29- तसर क्रिट पालकों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,89.69	3,60.66	3,60.66	0.00	₹1,29.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,29.03				

अनुदान संख्या - 23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2851-00.796.33- आधारभूत शिक्षण संरचना का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	42.78	42.78	0.00	₹57.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.22				
2851-00.796.46- रेशम का विकास-रेशम दूतों के माध्यम से न्यूकीलियस सीड रियरिंग (राज्य स्कीम)	मूल	1,90.00	1,59.03	1,59.03	0.00	₹30.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.97				
2851-00.796.68- जिला उद्योग केंद्र की स्थापना (स्कीम) (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,46.48	1,46.48	0.00	₹1,07.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	53.74				
	पुनर्वि.	(-)1,07.26				
2852-80.102.44- विभागीय योजनाओं का प्रचार एवं प्रकाशन योजनाओं का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	4,15.25	4,15.25	0.00	₹3,84.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,84.75				
2852-80.102.65- वास्तविक वाणिज्य कर भुगतान के विरुद्ध पूंजी निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	7,46.87	7,46.87	0.00	₹2,53.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,53.13				

अनुदान संख्या - 23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2852-80.102.70- झारखण्ड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को समेकित परियोजना निवेश अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	19.55	19.55	0.00	₹80.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.45				
2852-80.102.77- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	6,73.90	6,73.90	0.00	₹1,26.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,26.10				
2852-80.102.82- झारखण्ड टेस्टाईल, एपरेल एवं फुटवेयर नीति 2016 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	2,93.66	2,93.66	0.00	₹2,06.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,06.34				
2852-80.796.65- वास्तविक वाणिज्यकर भुगतान के विरुद्ध पूंजी निवेश प्रोत्साहन सबसिडी (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	2,51.43	2,51.43	0.00	₹48.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.57				
2852-80.796.70- झारखण्ड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को समेकित परियोजना निवेश अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	1,79.78	1,79.78	0.00	₹3,20.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,20.22				

अनुदान संख्या - 23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2852-80.796.74- झारखण्ड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को नेट वैंट पर सब्सिडी (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	2,34.01	2,34.01	0.00	₹2,65.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,65.99				
2852-80.796.77- झारखण्ड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	18,00.00	13,89.50	13,89.50	0.00	₹4,10.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,10.50				
2852-80.796.78- झारखण्ड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	83.02	83.02	0.00	₹1,16.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,16.98				
2852-80.102.81- झारखण्ड टेस्टाईल, एपरेल एवं फुटवेयर नीति 2016 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	18,00.00	15,22.34	15,22.34	0.00	₹7,83.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5,06.00				
	पुनर्वि.	(-)7,83.66				
2852-80.796.82- झारखण्ड टेस्टाईल, एपरेल एवं फुटवेयर नीति 2016 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	19,73.53	19,73.53	0.00	₹3,41.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3,15.00				
	पुनर्वि.	(-)3,41.47				

**अनुदान संख्या - 23 क्रमशः**

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2851-00.107.10- रेशम की विकास की योजना-आधारभूत संरचना का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2851-00.796.18- प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2851-00.796.21- बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2851-00.796.42- हस्तशिल्प का विकास-हस्तशिल्प संसाधन सह विकास केन्द्रों का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				



अनुदान संख्या - 23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2851-00.796.43- हस्तशिल्प का विकास- एन. आई. डी. अहमदाबाद के सहायोग से हैंडलूम विकास संसाधन की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	₹4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2851-00.796.55- खादी पार्क की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,20.00	0.00	0.00	0.00	₹1.20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.00				
2852-80.102.07- एसाइड योजना-सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2852-80.102.10- औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	₹20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				
2852-80.102.19- उद्योग विहीन जिलों में ग्रोथ सेंटर की स्थापना हेतु भू-अर्जन सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

**अनुदान संख्या - 23 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2852-80.102.74- झारखण्ड औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को नेट वैंट पर सब्सिडी (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2852-80.102.78- झारखण्ड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2852-80.102.80- अमृतसर-दिल्ली- कोलकता औद्योगिक गलियारे निमित्त अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2852-80.102.81- झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	35,00.00	0.00	0.00	0.00	₹35,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35,00.00				
2852-80.102.84- झारखण्ड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कम्पोनेंट नीति-2016 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या - 23 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2852-80.102.86- स्टार्टअप कैपिटल भेंचर फंड (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2852-80.796.10- औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (राज्य स्कीम)	मूल	40,00.00	0.00	0.00	0.00	₹40,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40,00.00				
2852-80.796.76- सेंट्रल रूम फेसिलिटी को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2852-80.796.84- झारखण्ड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कम्पोनेंट नीति-2016 के अंतर्गत अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2852-80.796.85- उद्यमित विकास संस्थान की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

**अनुदान संख्या - 23 क्रमांत**

**पूजी:**

- (4) ₹ 6,99.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹ 66.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सिमित किया जा सकता था।
- (5) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4851-00.796.02- निपट केंद्र की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	₹4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
4875-60.004.01- सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग ऐन्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,23.00	66.00	0.00	(-)66.00	₹2,89.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	66.00				
	पुनर्वि.	(-)2,23.00				

## अनुदान संख्या 24-सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2220- सूचना एवं प्रचार, 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, 4220- सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	1,80,67,56	2,04,01,26	1,92,36,59	(-) 11,64,67
अनुपूरक	23,33,70			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

12,17,93

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	15,30,00	15,30,00	8,81,37	(-) 6,48,63
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

6,48,63

टीका एवं टिप्पणियाँ:

राजस्व :

(1) ₹11,64.67 लाख, की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹3,50.00 लाख), जनवरी 2020 (₹18,18.70 लाख) एवं मार्च 2020 (₹1,65.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 23,33.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

(2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹12,17.93 लाख), अंतिम बचत (₹11,64.67 लाख) से ₹53.26 लाख अधिक था।

**अनुदान संख्या - 24 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2220-01.001.01- निर्देशन एवं प्रशासन (स्थापना व्यय) एवं 2220-60.796.21- क्षेत्रीय प्रचार योजना - फिल्म निर्माण (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹ 74.62 लाख एवं ₹66.20 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹10,61.09 लाख एवं ₹14,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान के 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2220-60.106.02- जिला भ्रमणशील इकाईयाँ (स्थापना व्यय)	मूल	8,20.36	7,26.72	7,26.72	0.00	₹1,18.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	25.00				
	पुनर्वि.	(-)1,18.64				
2220-60.796.01- क्षेत्रीय प्रचार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,50.00	2,98.19	2,98.19	0.00	₹1,51.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,51.81				
2220-60.796.19- क्षेत्रीय प्रचार प्रसार योजना-सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	6,50.00	5,84.21	5,84.21	0.00	₹65.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.79				

- (4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2220-01.796.02- झारखण्ड फिल्म विकास निगम की स्थापना एवं फिल्म निर्माताओं हेतु वित्तीय सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				

अनुदान संख्या - 24 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2220-60.106.03- क्षेत्रीय प्रचार योजना -सूचना भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2220-60.796.13- क्षेत्रीय प्रचार योजना-प्रेस क्लब की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2220-60.796.14- क्षेत्रीय प्रचार प्रसार योजना-सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
2235-60.796.11- पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

**अनुदान संख्या - 24 क्रमांत**

**पूँजी :**

(5) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4220-60.052.02- सरकारी कार्यक्रम हेतु एल.ई.डी. वाहन (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	98.23	98.23	0.00	₹5,01.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,01.77				
4220-60.796.02- सरकारी कार्यक्रम हेतु एल.ई.डी. वाहन (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	7,83.15	7,83.15	0.00	₹1,16.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,16.85				

(6) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4220-60.796.01- क्षेत्रीय प्रचार योजना-सूचना भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				



**अनुदान संख्या 25-योजना-सह-वित्त विभाग  
( सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष - 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	1,00,40	1,00,40	74,37	(-)26,03
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

26,03

**टीका एवं टिप्पणियाँ:**

(1) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2052-00.092.19- सांस्थिक वित्त विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.40	74.37	74.37	0.00	₹26.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26.03				

## अनुदान संख्या 26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2230- श्रम तथा रोजगार, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	2,54,49,12	2,83,29,46	1,42,88,03	(-) 1,40,41,43
अनुपूरक	28,80,34			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

1,37,01,51

पूंजी:

दत्तमत:

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	1,08,81,69	1,41,69,33	18,36,03	(-) 1,23,33,30
अनुपूरक	32,87,64			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

1,23,33,30

टीका एवं टिपपणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹1,40,41.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹16,41.46 लाख), जनवरी 2020 (₹11,85.11 लाख) एवं मार्च 2020 (₹53.77 लाख) में प्राप्त किया गया ₹28,80.34 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,37,01.51 लाख), अंतिम बचत (₹1,40,41.43 लाख) से ₹3,39.92 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 26 क्रमशः**

(3) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2210-01.102.21- कर्मचारी राज्य बीमा योजना (स्थापना व्यय)	मूल	19,81.52	14,96.43	14,96.43	0.00	₹4,85.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,85.09				
2230-01.001.01- श्रमायुक्त (स्थापना व्यय)	मूल	4,03.25	3,28.11	3,28.11	0.00	₹77.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2.00				
	पुनर्वि.	(-)77.14				
2230-01.001.03- श्रमायुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्युपिंग (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	79.11	79.11	0.00	₹11,20.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,20.89				
2230-01.001.40- झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	2,31.74	2,31.74	0.00	₹9,68.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,68.26				
2230-01.101.05- औद्योगिक विवाद के लिए श्रम-समझौता मंडल (स्थापना व्यय)	मूल	3,93.52	3,01.57	3,01.57	0.00	₹91.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)91.94				
2230-01.101.06- श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	5,57.58	4,77.86	4,77.86	0.00	₹79.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)79.72				

अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2230-01.101.07- कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (स्थापना व्यय)	मूल	7,48.06	6,27.25	6,27.11	(-)0.14	₹1,21.38 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.43				
	पुनर्वि.	(-)1,21.24				
2230-01.102.02- कारखानों के निरीक्षक (स्थापना व्यय)	मूल	6,00.43	5,26.20	5,26.13	(-)0.07	₹76.65 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2.35				
	पुनर्वि.	(-)76.58				
2230-01.796.03- श्रमायुक्त के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का इक्युपिंग तथा सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	1,56.83	1,56.83	0.00	₹10,43.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,43.17				
2230-01.796.38- झारखण्ड विधान सभा और सचिवालय भवनों में कैंटीन की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	10.60	10.60	0.00	₹89.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)89.40				
2230-01.796.40- झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	13,00.00	2,87.04	2,87.04	0.00	₹10,12.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,12.96				
2230-02.101.01- नियोजन सेवा का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	2,62.90	97.18	97.18	0.00	₹1,65.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,65.72				

अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2230-02.101.04- रोजगार कार्यालय की स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	13,75.36	9,73.83	9,73.83	0.00	₹4,01.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.16				
	पुनर्वि.	(-)4,01.69				
2230-02.101.35- मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,93.00	81.64	81.64	0.00	₹1,11.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,11.36				
2230-02.101.37- नेशनल कैरियर सर्विसेस (के.से.स्कीम)	मूल	1,04.00	50.10	50.10	0.00	₹73.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	19.69				
	पुनर्वि.	(-)73.59				
2230-02.789.01- नियोजन सेवा का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	12.01	12.01	0.00	₹37.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.99				
2230-02.796.01- नियोजन सेवा का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	6,13.41	3,30.47	3,29.52	(-)0.95	₹3,03.89 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-)3,02.94				
2230-02.796.35- मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,93.00	1,00.96	1,00.96	0.00	₹92.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)92.04				

अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2230-02.796.37- नेशनल कैरियर सर्विसेस (के.से.स्कीम)	मूल	1,65.00	85.10	85.10	0.00	₹94.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	14.20				
	पुनर्वि.	(-)94.10				
2230-03.003.38- व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	9,17.64	12,92.73	9,89.96	(-)3,02.77	₹15,10.04 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	15,82.36				
	पुनर्वि.	(-)12,07.27				
2230-03.003.39- प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढांचा का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	2,58.56	2,58.56	0.00	₹9,61.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,20.00				
	पुनर्वि.	(-)9,61.44				
2230-03.101.02- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन-राज्य परिषद् (स्थापना व्यय)	मूल	29,35.82	24,25.87	24,25.87	0.00	₹5,09.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,09.95				
2230-03.789.39- प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढांचा का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	7,00.00	5,29.82	5,29.82	0.00	₹1,70.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,70.18				
2230-03.796.32- शिल्प प्रशिक्षण/शिक्षु प्रशिक्षण के सूदृढीकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	78.50	27.19	27.19	0.00	₹51.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.31				

**अनुदान संख्या - 26 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2230-03.796.38- व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	15,24.52	15,24.52	0.00	₹14,75.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,75.48				
2230-03.796.39- प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक ढांचा का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	12,39.80	12,39.80	0.00	₹2,92.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5,32.00				
	पुनर्वि.	(-)2,92.20				
2235-60.796.07- गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को कम्बल एवं वस्त्र का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	24.49	24.49	0.00	₹9,75.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,75.51				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2230-01.103.11- आम आदमी बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	72.00	0.00	0.00	0.00	₹72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				
2230-01.789.11- आम आदमी बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	29.00	0.00	0.00	0.00	₹29.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)29.00				

**अनुदान संख्या - 26 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2230-01.796.11- आम आदमी बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	83.00	0.00	0.00	0.00	₹83.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)83.00				
2235-60.200.07- गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को कम्बल एवं वस्त्र का वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	13,00.00	0.00	0.00	0.00	₹13,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,00.00				

**पूँजी :**

- (5) ₹1,23,33.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 में प्राप्त किया गया ₹32,87.64 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
4059-01.796.55- श्रम कार्यालयों का भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	47.88	47.88	0.00	₹2,52.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,52.12				
4250-00.203.01- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अलाइड भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	3,03.95	3,03.95	0.00	₹16,96.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,96.05				



अनुदान संख्या - 26 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4250-00.203.06- भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	15.80	15.80	0.00	₹4,84.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,84.20				
4250-00.203.10- मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,30.00	32.41	32.41	0.00	₹97.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)97.59				
4250-00.796.01- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अलाइड भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	24,00.00	6,07.21	6,07.21	0.00	₹17,92.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,92.79				
4250-00.796.06- भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	9,49.69	14.43	25.89	+11.46	₹9,23.80 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,35.26				
4250-00.796.09- कार्यरत सरकारी आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई., के रूप में उन्नयन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,60.00	1,55.91	1,55.91	0.00	₹2,04.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,04.09				
4250-00.796.09- कार्यरत सरकारी आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,40.00	61.95	61.95	0.00	₹1,78.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,78.05				

**अनुदान संख्या - 26 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4250-00.796.10- मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	23.28	11.82	(-)11.46	₹88.18 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)76.72				

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4059-01.001.55- श्रम कार्यालयों का भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
4250-00.203.04- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्लू.ई.) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	₹14,89.97 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	6,89.97				
	पुनर्वि.	(-)14,89.97				
4250-00.203.04- उग्रवाद प्रभावित (एल.डब्लू.ई.) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	₹10,26.87 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	6,26.87				
	पुनर्वि.	(-)10,26.87				

**अनुदान संख्या - 26 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4250-00.796.04- उग्रवाद प्रभावित ( एल.डब्लू.ई. ) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹22,52.62 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	12,52.62				
	पुनर्वि.	(-)22,52.62				
4250-00.796.04- उग्रवाद प्रभावित ( एल.डब्लू.ई. ) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	₹15,18.18 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	7,18.18				
	पुनर्वि.	(-)15,18.18				

## अनुदान संख्या 27-विधि विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2014- न्याय प्रशासन, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं)

राजस्व:

दत्तमत:

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	3,87,67,19	4,40,24,19	3,60,98,45	(-) 79,25,74
अनुपूरक	52,57,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

69,26,65

**टीका एवं टिप्पणियाँ :**

- (1) ₹ 79,25.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹ 1,30.00 लाख), जनवरी 2020 (₹ 42,93.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹ 8,34.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 52,57.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 69,26.65 लाख), अंतिम बचत (₹ 79,25.74 लाख) से ₹ 9,99.09 लाख कम था।
- (3) बचत (₹ 25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2014-00.105.01- सिविल और सत्र न्यायालय (स्थापना व्यय)	मूल	3,49,26.81	3,33,36.24	3,33,06.04	(-)30.20	₹ 47,52.77 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	31,32.00				
	पुनर्वि.	(-)47,22.57				
2014-00.105.03- ग्राम न्यायालय (स्थापना व्यय)	मूल	2,44.21	19.14	19.14	0.00	₹ 2,25.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,25.07				

**अनुदान संख्या - 27 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2014-00.114.01- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (स्थापना व्यय)	मूल	3,66.88	3,58.62	3,58.62	0.00	₹1,14.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,06.00				
	पुनर्वि.	(-)1,14.26				
2014-00.114.02- निर्धनों को कानूनी सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	7,68.45	5,51.18	5,51.18	0.00	₹2,17.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,17.27				
2014-00.114.03- सरकारी मुकदमों (स्थापना व्यय)	मूल	9,20.00	9,21.84	9,21.84	0.00	₹1,98.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,98.16				
2014-00.114.04- कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता (ज्यूडीशियल एकेडमी) (स्थापना व्यय)	मूल	4,38.14	3,95.67	3,95.67	0.00	₹60.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	18.00				
	पुनर्वि.	(-)60.47				
2014-00.114.06- स्थायी लोक अदालत-अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए दैनिक शुल्क (स्थापना व्यय)	मूल	4,00.00	2,15.52	2,15.52	0.00	₹1,84.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,84.48				
2014-00.114.13- सरकारी विधि विद्यालयों को सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	1,50.00	6.11	(-)1,43.89	₹1,43.89 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,50.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या - 27 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2014-00.116.01- विधि आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	1,06.33	5.19	5.19	0.00	₹1,01.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,01.14				
2052-00.090.18- विधि विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	5,35.45	2,81.23	2,81.23	0.00	₹2,55.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1.00				
	पुनर्वि.	(-)2,55.22				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2014-00.101.01- रेप एवं पोक्सो एक्ट मामले में त्वरित निष्पादन हेतु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का गठन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹4,95.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,95.00				
	पुनर्वि.	(-)4,95.00				
2014-00.101.01- रेप एवं पोक्सो एक्ट मामले में त्वरित निष्पादन हेतु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का गठन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	0.00	0.00	0.00	₹3,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3,30.00				
	पुनर्वि.	(-)3,30.00				

**अनुदान संख्या - 27 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2014-00.103.01- रेप एवं पोक्सो एक्ट मामले में त्वरित निष्पादन हेतु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का गठन ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	0.00	4,95.00	0.00	(-)4,95.00	₹4,95.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,95.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2014-00.103.01- रेप एवं पोक्सो एक्ट मामले में त्वरित निष्पादन हेतु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का गठन ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	0.00	3,30.00	0.00	(-)3,30.00	₹3,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3,30.00				
	पुनर्वि.	0.00				

## विनियोग संख्या 28 - झारखण्ड उच्च न्यायालय

(मुख्य शीर्ष - 2014- न्याय प्रशासन)

राजस्व:

प्रभारित:

		कुल विनियोग ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	94,90,28	1,16,08,29	97,53,67	(-) 18,54,62
अनुपूरक	21,18,01			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

5,06,66

टीका एवं टिप्पणियाँ :

- (1) ₹18,54.62 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹3,63.01 लाख), जनवरी 2020 (₹17,25.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹30.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 21,18.01 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,06.66 लाख), अंतिम बचत (₹ 18,54.62 लाख) से ₹ 13,47.96 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2014-00.102.01- उच्च न्यायालय, राँची (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹ 6,48.02 लाख की बचत, जो कि ₹ 97,36.73 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल विनियोग ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2014-00.102.03- झारखण्ड उच्च न्यायालय में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट (स्थापना व्यय)	मूल	7,76.56	7,59.97	6,64.97	(-)95.00	₹2,06.59 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	95.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,11.59				



विनियोग संख्या - 28 क्रमांत

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2014-00.102.04- झारखण्ड उच्च न्यायालय में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्केनिंग तथा डिजीटाईजेशन (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	₹10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				

## अनुदान संख्या 29 - खान एवं भूतत्व विभाग

(मुख्य शीर्ष - 2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	63,77,18	78,89,07	57,45,71	(-) 21,43,36
अनुपूरक	15,11,89			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

21,42,62

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) ( ₹ हजार में )
मूल	5,50,00	5,50,00	0,00	(-) 5,50,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

5,50,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹21,43.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹12,60.00 लाख), जनवरी 2020 (₹2,36.89 लाख) एवं मार्च 2020 (₹15.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹15,11.89 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 29 क्रमांत**

- (2) शीर्ष 2853-02.102.01- भूगर्भ स्थापना (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹73.95 लाख की बचत, जो ₹15,15.41 लाख के प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2853-02.001.01- खनन स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	17,94.70	13,94.55	13,93.81	(-)0.74	₹4,48.89 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	48.00				
	पुनर्वि.	(-)4,48.15				
2853-02.001.07- खनन स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	15,45.00	20,62.70	20,62.70	0.00	₹7,42.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	12,60.00				
	पुनर्वि.	(-)7,42.30				
2853-02.102.20- भूगर्भ स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	14,61.00	6,02.23	6,02.23	0.00	₹8,58.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,58.77				

**पूजी :**

- (3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4853-02.004.01- खनन स्थापना-मुख्य निर्माण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4853-02.004.03- भूतात्विक अन्वेषण इकाई का जीर्णोद्धार/ सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

**अनुदान संख्या 30 - अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ( अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष - 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

रजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	2,32,95	2,52,99	2,25,75	(-) 27,24
अनुपूरक	20,04			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

27,16

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	1,00,20,00	1,02,24,00	57,62,74	(-) 44,61,26
अनुपूरक	2,04,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

44,61,26

**टीका एवं टिप्पणियाँ**

राजस्व :

- (1) ₹ 27.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹ 5.54 लाख) एवं जनवरी 2020 (₹ 14.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 20.04 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 30 क्रमशः**

(2) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2251-00.090.13- झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (स्थापना व्यय)	मूल	1,73.25	1,63.21	1,63.21	0.00	₹18.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	8.50				
	पुनर्वि.	(-)18.54				

**पूजी:**

- (3) ₹ 44,61.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹ 50.00 लाख) एवं जनवरी 2020 (₹ 1,54.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,04.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (4) शीर्ष 4225-80.796.03- कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी हेतु (राज्य योजना) के अंतर्गत ₹25.25 लाख की बचत, जो कि ₹15,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.277.01- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग- अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण/ जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	36.82	36.82	0.00	₹23.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23.18				
4225-80.277.02- साइकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	10,06.78	10,06.78	0.00	₹1,93.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,93.22				

अनुदान संख्या - 30 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4225-80.277.03- कब्रिस्तानों की पक्की घेराबन्दी हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	10,64.25	10,64.25	0.00	₹4,35.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,35.75				
4225-80.277.04- वोकेशनल प्रशिक्षण/ कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	26.41	26.41	0.00	₹73.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)73.59				
4225-80.277.12- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस. डी.पी.) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,00.00	1,24.44	1,24.44	0.00	₹3,75.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,75.56				
4225-80.277.12- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस. डी.पी.) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,00.00	41.58	41.58	0.00	₹2,58.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,58.42				
4225-80.796.01- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण/जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	7.66	7.66	0.00	₹52.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)52.34				

**अनुदान संख्या - 30 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4225-80.796.02- साइकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	6,03.02	6,03.02	0.00	₹3,96.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,96.98				
4225-80.796.12- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (एस.एस.डी.पी.) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	10,00.00	3,78.45	3,78.45	0.00	₹6,21.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,21.55				
4225-80.796.12- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	7,00.00	2,16.69	2,16.69	0.00	₹4,83.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,83.31				

(5) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4225-80.277.10- छात्रावासों के लिए सामग्री और सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
4225-80.277.14- आयवृद्धि एवं आजीविका विकास (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

अनुदान संख्या - 30 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4225-80.277.20- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
4225-80.796.06- अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम हिस्सा पूंजी (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4225-80.796.10- छात्रावासों के लिए सामग्री और सुसज्जीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
4225-80.796.14- आयवृद्धि एवं आजीविका विकास (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
4225-80.796.20- मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,54.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,54.00				
	पुनर्वि.	(-)2,54.00				



अनुदान संख्या - 30 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-80.796.21- अल्पसंख्यक जाति के लिए मल्टी सेक्टर विकास कार्यक्रम (के.से.स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				

**अनुदान संख्या 31 - मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग  
( संसदीय कार्य प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष - 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) / बचत(-) ( ₹ हजार में )
मूल	1,54,88	1,66,88	1,05,00	(-) 61,88
अनुपूरक	12,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

61,88

**टीका एवं टिप्पणियाँ :**

- (1) ₹61.88 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 में प्राप्त किया गया ₹12.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2052-00.090.22 संसदीय कार्य विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	1,54.88	1,05.00	0.00	₹61.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	12.00			
	पुनर्वि.	(-)61.88			

## अनुदान संख्या 32 - विधान सभा

(मुख्य शीर्ष-2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	93,47,72	99,25,92	91,43,11	(-) 7,82,81
अनुपूरक	5,78,20			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

7,78,82

राजस्व :

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	59,58	61,58	50,99	(-) 10,59
अनुपूरक	2,00			

वर्षा के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

10,59

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹7,82.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹22.00 लाख), जनवरी 2020 (₹4,55.60 लाख) एवं मार्च 2020 (₹1,00.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹5,78.20 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹7,78.82 लाख), अंतिम बचत (₹7,82.81 लाख) से ₹ 3.99 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 32 क्रमांत**

- (3) शीर्ष 2011-02.101.05- सदस्यगण (स्थापना व्यय) एवं 2011-02.103.01- विधानसभा सचिवालय (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹1,55.45 लाख एवं ₹63.47 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹15,73.83 लाख एवं ₹61,12.02 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति
2011-02.101.04- सचेतकगण का कार्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	2,15.00	2,44.27	2,44.27	0.00	₹49.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	79.00				
	पुनर्वि.	(-)49.73				
2011-02.101.06- विरोधी दल का नेता (स्थापना व्यय)	मूल	51.29	55.89	51.90	(-)3.99	₹20.79 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	21.40				
	पुनर्वि.	(-)16.80				
2011-02.101.07- सदस्यगण - निःशुल्क रेल एवं भाड़ा कूपन (स्थापना व्यय)	मूल	13,18.00	9,40.42	9,40.42	0.00	₹3,77.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,77.58				
2011-02.101.10- सदस्यगण-माननीय सदस्यों के निजी सहायकों का वेतन (स्थापना व्यय)	मूल	4,07.56	3,38.53	3,38.53	0.00	₹69.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69.03				
2011-02.101.11- सदस्यगण-उत्कृष्ट विधायी पुरस्कार एवं समारोह (स्थापना व्यय)	मूल	30.00	1.23	1.23	0.00	₹28.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.77				

**प्रभारित :**

- (4) ₹10.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2020 में प्राप्त किया गया ₹2.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या 33 - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग  
( कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष - 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2220-सूचना एवं प्रचार)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) / बचत(-) ( ₹ हजार में )
मूल	31,54,55	34,64,20	29,63,98	(-) 5,00,22
अनुपूरक	3,09,65			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2020) 4,88,90

**टीका एवं टिप्पणियाँ**

- (1) ₹5,00.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹1,43.62 लाख) एवं जनवरी 2020 (₹1,66.03 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,09.65 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,88.90 लाख), अंतिम बचत (₹5,00.22 लाख) से ₹11.32 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2220-60.001.02- राज्य सूचना आयोग (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹25.39 लाख की बचत, जो ₹3,64.39 लाख प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹ 15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2070-00.003.05- श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (स्थापना व्यय)	मूल	8,77.25	4,67.17	4,67.17	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)4,10.08			

**अनुदान संख्या - 33 क्रमांत**

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2070-00.796.06- श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान की अवसंरचना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	21.26	0.00	(-)21.26	₹21.26 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	21.26				
	पुनर्वि.	0.00				

## विनियोग संख्या 34 - झारखण्ड लोक सेवा आयोग

(मुख्य शीर्ष - 2051 लोक सेवा आयोग)

राजस्व :

प्रभारित :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	9,66,58	16,17,72	14,71,39	(-) 1,46,33
अनुपूरक	6,51,14			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

1,43,70

**टीका एवं टिप्पणियाँ :**

- (1) ₹1,46.33 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2019 में प्राप्त किया गया ₹6,51.14 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,43.70 लाख), अंतिम बचत (₹1,46.33 लाख) से ₹2.63 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2051-00.102.01- लोक सेवा आयोग (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹1,46.33 लाख की कुल बचत, जो ₹16,17.72 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है।

## अनुदान संख्या 35 - योजना-सह-वित्त विभाग ( योजना प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष- 2052- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	3,36,48,31	3,39,93,33	2,70,39,19	(-) 69,54,14
अनुपूरक	3,45,02			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

67,63,13

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	5,00	5,00	0,00	(-) 5,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

5,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(1) ₹69,54.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹2,99.27 लाख) एवं जनवरी 2020 (₹45.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,45.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹67,63.13 लाख), अंतिम बचत (₹69,54.14 लाख) से ₹1,91.01 लाख कम था।



**अनुदान संख्या - 35 क्रमशः**

(3) बचत (₹ 20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.090.09- योजना एवं विकास विभाग (विकास आयुक्त सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	6,59.97	4,60.97	4,60.97	0.00	₹1,99.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,99.00				
2052-00.092.10- सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग-परियोजना संगठन (स्थापना व्यय)	मूल	93.30	63.12	63.12	0.00	₹30.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.18				
2053-00.094.03- योजना तंत्र का सुदृढीकरण (स्थापना व्यय)	मूल	7,20.35	5,12.55	5,12.55	0.00	₹2,07.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,07.80				
2053-00.094.34- कैपेसिटी बिल्डींग/ सेमिनार सिम्पोजियम/ डीसेन्त्रलाइज्ड प्लानिंग/ इनोभेसन/ पी.पी.पी. वर्कशॉप आदि (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	91.00	91.00	0.00	₹4,09.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,09.00				
2053-00.094.40- 20 सूत्री कार्यक्रम (सांख्यिकी वित्त डिवीजन) (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	21.64	21.64	0.00	₹38.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38.36				

**अनुदान संख्या - 35 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2053-00.796.11- जिला योजना के लिए अनाबद्ध राशि (राज्य स्कीम)	मूल	76,00.00	64,97.45	64,97.45	0.00	₹11,02.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,02.55				
2053-00.796.17- संविदा भत्ता और परामर्शी शुल्क एवं नागरिक निबंधन प्रणाली व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	58.64	10.82	10.82	0.00	₹47.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47.82				
2053-00.796.34- कैपोसिटी बिल्डींग/ सेमिनार सिम्पोजियम/ डीसेन्त्रलाइज्ड प्लानिंग/ इनोभेसन/ पी.पी.पी. वर्कशॉप आदि (राज्य स्कीम)	मूल	5,05.00	1,55.28	1,55.28	0.00	₹3,49.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,49.72				
2053-00.796.40- 20 सूत्री कार्यक्रम (सांख्यिकी वित्त डिवीजन) (राज्य स्कीम)	मूल	1,15.00	19.70	19.70	0.00	₹95.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)95.30				
2053-00.796.42- झारखण्ड राज्य राजकोषीय अध्ययन तथा सुधार संस्थान की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,75.00	48.24	48.24	0.00	₹1,26.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,26.76				

अनुदान संख्या - 35 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2053-00.796.43- छः पिछड़ा जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,25,00.00	1,06,86.90	1,04,95.90	(-)1,91.00	₹20,04.10 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,13.10				
2053-00.800.11- जिला योजना के लिए अनाबद्ध राशि (राज्य स्कीम)	मूल	75,00.00	65.00.00	65,00.00	0.00	₹10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
3454-02.204.02- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सांख्यिकी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	19,38.22	17,66.84	17,66.84	0.00	₹2,17.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	45.75				
	पुनर्वि.	(-)2,17.13				
3454-02.204.05- प्रखण्ड स्तर पर सांख्यिकी संगठन (स्थापना व्यय)	मूल	2,28.47	70.83	70.83	0.01	₹1,57.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,57.64				
3454-02.204.16- सांख्यिकी के सुदृढीकरण निमित्त योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,36.00	2,94.27	2,94.26	(-)0.01	₹3,36.01 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,94.27				
	पुनर्वि.	(-)3,36.00				
3454-02.796.03- फसल सांख्यिकी सुधार के निमित्त योजना (के.से.स्कीम)	मूल	60.00	13.27	13.27	0.00	₹46.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.73				

**अनुदान संख्या - 35 क्रमांत**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति	
3454-02.796.12- क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सकेक्षण (के.से.स्कीम)	मूल	55.00	12.32	12.32	0.00	₹42.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.68				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति	
2053-00.796.41- राज्य विकास परिषद् को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2053-00.800.17- सविदा भत्ता और परामर्शी शुल्क एवं नागरिक निबंधन प्रणाली निबंधन प्रणाली व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	33.29	0.00	0.00	0.00	₹33.29 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.29				
3454-02.796.16- सांख्यिकी के सुदृढीकरण के निमित्त सहयोग (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,61.86	0.00	0.00	0.00	₹3,61.86 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,61.86				

## अनुदान संख्या 36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2215- जल पूर्ति तथा सफाई, 4215- जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	17,89,76,27	18,40,06,40	6,41,45,62	(-) 11,98,60,78
अनुपूरक	50,30,13			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

11,98,40,65

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	7,50,00,00	7,51,00,00	5,38,72,79	(-) 2,12,27,21
अनुपूरक	1,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

2,12,11,32

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹11,98,60.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹39,83.30 लाख), जनवरी 2020 (₹ 8,78.19 लाख) एवं मार्च 2020 (₹1,68.64 लाख) में प्राप्त किया गया ₹50,30.13 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 11,98,40.65 लाख), अंतिम बचत (₹11,98,60.78 लाख) से ₹ 20.13 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 36 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2215-01.102.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (स्थापना व्यय) एवं 2215-01.102.03- हस्तचालित नलकूप, तालाब तथा कुएं - उच्च दाबव नलकूप (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹1,54.04 लाख तथा ₹3,56.21 लाख के बचत, जो क्रमशः ₹39,01.20 लाख तथा ₹87,11.18 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत, से कम है, के अलावे बचत (₹ 30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2215-01.101.06- हटिया जलापूर्ति योजना-शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन (स्थापना व्यय)	मूल	35.00	3.12	3.12	0.00	₹31.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.88				
2215-01.102.10- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी. डब्ल्यू.पी.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	97,47.00	68,24.57	68,24.57	0.00	₹29,22.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)29,22.43				
2215-01.102.14- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) की मरम्मत (राज्य स्कीम)	मूल	14,00.00	1,12.58	1,14.08	+1.50	₹12,85.92 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,87.42				
2215-01.789.10- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी. डब्ल्यू.पी.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	40,22.00	13,18.25	13,18.25	0.00	₹27,03.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27,03.75				
2215-01.789.11- ग्रामीण स्वच्छता (एन.बी.ए.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	84,72.59	55.77	55.77	0.00	₹84,16.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)84,16.82				

अनुदान संख्या - 36 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2215-01.796.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना ( पाइपों से ) ( राज्य स्कीम )	मूल	11,00.00	1,60.03	1,56.38	(-)3.65	₹9,43.62 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,39.97				
2215-01.796.10- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ( एन.आर.डी. डब्ल्यू.पी. ) ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	68,41.00	32,89.76	32,89.76	0.00	₹35,51.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35,51.24				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2215-01.102.09- ग्रामीण जलापूर्ति योजना ( पाइपों से ) शुद्ध जलापूर्ति हेतु रसायन ( स्थापना व्यय )	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2215-01.107.11- ग्रामीण स्वच्छता ( एन.बी.ए. ) ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	4,41,86.00	0.00	0.00	0.00	₹4,41,86.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,41,86.00				

अनुदान संख्या - 36 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति	
2215-01.107.11- ग्रामीण स्वच्छता ( एन.बी.ए. ) ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	3,06,14.52	0.00	0.00	0.00	₹3,06,14.52 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,06,14.52				
2215-01.789.11- ग्रामीण स्वच्छता ( एन.बी.ए. ) ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	1,23,06.00	0.00	0.00	0.00	₹1,23,06.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,23,06.00				
2215-01.796.11- ग्रामीण स्वच्छता ( एन.बी.ए. ) ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	1,23,78.00	0.00	0.00	0.00	₹1,23,78.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,23,78.00				
2215-01.796.11- ग्रामीण स्वच्छता ( एन.बी.ए. ) ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	59,12.89	0.00	0.00	0.00	₹59,12.89 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)59,12.89				
2215-01.796.12- झारखण्ड राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सोसाईटी के लिए सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				



**अनुदान संख्या - 36 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2215-01.796.13- रूरल सेनिटेशन हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)1,00.00			

**पूजी :**

- (5) ₹2,12,27.21लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹1,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,12,11.32 लाख), अंतिम बचत (₹2,12,27.21 लाख) से ₹15.89 लाख कम था।
- (7) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4215-01.102.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	3,22,55.00	1,81,52.86	1,81,52.86	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)1,41,02.14			

**अनुदान संख्या - 36 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति
4215-01.102.06- बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	39,00.00	22,65.65	22,65.65	0.00	₹16,34.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,34.35				
4215-01.796.02- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (पाइपों से) (राज्य स्कीम)	मूल	2,10,90.00	1,88,27.26	1,78,29.52	(-)9,97.74	₹33,60.48 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23,62.74				
4215-01.796.03- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स एवं नलकूप द्वारा) (राज्य स्कीम)	मूल	5,80.00	18.93	18.93	0.00	₹5,16.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,61.07				
4215-01.796.06- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स एवं नलकूप द्वारा) (राज्य स्कीम)	मूल	81,00.00	27,24.73	27,24.73	0.00	₹53,75.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)53,75.27				

(8) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति
4215-01.102.03- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स एवं नलकूप द्वारा) (राज्य स्कीम)	मूल	4,20.00	0.00	0.00	0.00	₹4,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,20.00				

**अनुदान संख्या 37 - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग  
( राजभाषा प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 2053- जिला प्रशासन, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	22,55,20	25,18,24	24,64,81	(-) 53,43
अनुपूरक	2,63,04			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

53,41

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹ 53.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2019 में प्राप्त किया गया ₹ 2,63.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) शीर्ष 2053-00.094.08- राजभाषा स्थापना (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹38.15 लाख की बचत, जो ₹ 23,62.26 लाख के प्रावधान से 10 प्रतिशत से कम है।

**अनुदान संख्या 38 - राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग  
( निबंधन प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान ( ₹ हजार में )	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) / बचत(-) ( ₹ हजार में )
मूल	26,43,20	35,25,07	24,90,00	(-) 10,35,07
अनुपूरक	8,81,87			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

10,35,07

**टीका एवं टिप्पणियाँ :**

राजस्व :

(1) ₹10,35.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹1,01.60 लाख), जनवरी 2020 (₹3,76.12 लाख) एवं मार्च 2020 (₹4,04.15 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,81.87 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(2) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2030-02.101.01- केन्द्रीय सटाम्प भंडार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (स्थापना व्यय)	मूल	2,50.00	3,94.76	3,94.76	0.00
	अनुपूरक	4,03.28			
	पुनर्वि.	(-)2,58.52			
₹2,58.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।					

**अनुदान संख्या - 38 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2030-02.101.05- क्रेताओं को ई-स्टाम्पों की मूल्य वापसी (स्थापना व्यय)	मूल	1,50.00	3,36.07	3,36.07	0.00	₹81.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,67.79				
	पुनर्वि.	(-)81.72				
2030-03.001.02- जिला प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	17,42.19	12,04.03	12,04.03	0.00	₹5,38.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.33				
	पुनर्वि.	(-)5,38.49				
2030-03.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	3,14.43	2,00.17	2,00.17	0.00	₹1,14.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,14.26				
2030-03.001.06- निबंधन शुल्क की वापसी (स्थापना व्यय)	मूल	50.00	22.26	22.26	0.00	₹27.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27.74				

**अनुदान संख्या 39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
( आपदा प्रबंधन प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2030-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (र हजार में)	वास्तविक व्यय (र हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (र हजार में)
मूल	7,18,82,20	11,26,69,70	4,37,42,26	(-) 6,89,27,44
अनुपूरक	4,07,87,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

6,87,28,20

**टीका एवं टिप्पणियाँ :**

राजस्व :

- (1) ₹6,89,27.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹99.44 लाख), जनवरी 2020 (₹4,06,06.26 लाख) एवं मार्च 2020 (₹81.80 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,07,87.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹6,87,28.20 लाख), अंतिम बचत (₹6,89,27.44 लाख) से ₹1,99.24 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 39 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2245-01.102.03- ग्रामीण क्षेत्रों में जल-आपूर्ति हेतु चापानल और ट्यूबवेल की मरम्मती (स्थापना व्यय) तथा 2245-80.102.11- बज्रपात प्रभावित लोगों के लिए / सहायता अनुदान (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹3,87.87 लाख तथा ₹ 79.71 लाख की बचत, जो कि ₹98,36.42 लाख तथा ₹12,00.00 लाख प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2245-01.101.06- अन्य कार्य (स्थापना व्यय)	मूल	20,00.00	3,48.24	3,48.24	0.00	₹16,51.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,51.76				
2245-01.101.07- कृषि इनपुट अनुदान (फसल क्षति 50% से अधिक) (स्थापना व्यय)	मूल	22,00.00	34,79.62	34,79.62	0.00	₹3,14,42.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3,27,22.47				
	पुनर्वि.	(-)3,14,42.85				
2245-01.102.01- ट्रकों टैंकरों से पेयजल की टुलाई (स्थापना व्यय)	मूल	11,00.00	41.02	41.02	0.00	₹10,58.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,58.98				
2245-01.102.04- शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु चापाकलों एवं अन्य जलापूर्ति संरचनाओं की मरम्मति/उन्नयन/ जीर्णोद्धार (स्थापना व्यय)	मूल	10,00.00	3,78.68	3,78.68	0.00	₹6,21.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,21.32				
2245-01.101.03- संतप्त परिवारों के अनुग्रह अनुदान का भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	6,00.00	26.58	26.58	0.00	₹5,73.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,73.42				

**अनुदान संख्या - 39 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2245-02.113.02- बाढ़ चक्रवात, ओला वृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	35,00.00	1,75.49	1,75.49	0.00	₹33,24.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,24.51				
2245-02.113.03- आग से जले मकानों की मरम्मति/ पुनर्स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	3,00.00	48.54	48.54	0.00	₹2,51.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,51.46				
2245-02.114.01- कृषि इनपुट अनुदान ( क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	9.86	9.86	0.00	₹1,90.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,90.14				
2245-05.101.07- राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,31,50.00	1,65,75.00	1,65.75.00	0.00	₹1,65,75.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,65,75.00				
2245-05.101.07- राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,10,50.00	55,25.00	55,25.00	0.00	₹55,25.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55,25.00				
2245-80.101.16- 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में संवर्द्धन (स्थापना व्यय)	मूल	21,08.95	10,45.61	10,45.61	0.00	₹10,65.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2.00				
	पुनर्वि.	(-)10,65.34				



**अनुदान संख्या - 39 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2245-80.102.01- विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन (स्थापना व्यय)	मूल	30,00.00	22.65.06	22,65.06	0.00	₹7,34.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,34.94				
2245-80.102.02- संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज, बचाव एवं निष्कासन संबंधी उपकरणों की उपलब्धि (स्थापना व्यय)	मूल	42,10.00	17,63.46	17,63.46	0.00	₹24,46.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,46.54				
2245-80.102.13- शीतलहरी से प्रभावित निःसहाय्यों को सहायता अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	79.98	79.98	0.00	₹1,20.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.02				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2245-01.101.01- निःसहाय्यों एवं विकलांगों को नगद राहत (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

**अनुदान संख्या - 39 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2245-01.101.02- खाद्यान्न की आपूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2245-01.101.08- खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु राज्य द्वारा सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2245-01.101.09- अन्य कार्य हेतु राज्य द्वारा सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2245-01.104.01- खाद्यान्न की आपूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2245-01.282.01- दवाओं की आपूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

अनुदान संख्या - 39 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2245-02.101.06- अन्य राज्यों के आपदा पीड़ितों को सहायताार्थ (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
2245-02.101.07- अंतर्राज्यीय आपदाग्रस्त व्यक्तियों के लिए वस्त्र / कम्बल आदि का वितरण (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2245-02.282.01- मानव दवाओं की आपूर्ति (स्थापना व्यय)	मूल	1,02.00	0.00	0.00	0.00	₹1,02.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,02.00				
2245-80.001.22- आपदा प्रवण जिलों के लिए आपदा प्रबंधन प्रधिकार सुदृढीकरण (के.से.स्कीम)	मूल	0.00	1,59.60	0.00	(-)1,59.60	₹1,59.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,59.60				
	पुनर्वि.	0.00				
2245-80.102.12- भू-धसान से प्रभावितों को सहायता अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

अनुदान संख्या - 39 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2245-80.102.14- अंतर्राज्यीय आपदा के निमित्त शिविर की व्यवस्था (स्थापना व्यय)	मूल	50.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)50.00			

(5) राज्य आपदा मोचन निधि :

राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) एक कोष है, जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 48(1) (ए) के अधीन किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 46 के अधीन किसी भी प्रकार के आपदा से संबंधित परिस्थितियों अथवा आपदा से निपटने के लिए किया गया है।

14वें वित्त आयोग द्वारा राज्य आपदा मोचन के लिए निधि का प्रावधान करने की अनुशंसा की गई, जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान एवं 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-33-5/2015-एन.डी.एम.-1 दिनांक 30.07.2015 के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि के प्रशासन एवं गठन के लिए दिशा निर्देश तैयार किया।

निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाले वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ, भारत सरकार द्वारा जारी उसके विपरीत अनुदेशों तक, निम्नलिखित में से एक अथवा एक से अधिक साधनों में किया जाना चाहिए :-

- (क) केन्द्रीय सरकार के दिनांकित प्रतिभूति;
- (ख) नीलाम किए गए खजाना विपत्रों;
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट; और
- (घ) सहकारी बैंको में ब्याज वाले जमा

**अनुदान संख्या - 39 क्रमांत**

केन्द्र एवं राज्य से निधि का वर्षवार आवंटन नीचे दर्शाया गया है :-

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	जोड़े
(₹ करोड़ से)						
केन्द्रांश (75 प्रतिशत)	2,73.00	2,86.50	3,00.75	3,15.75	3,31.50	15,07.50
राज्यांश (25 प्रतिशत)	91.00	95.50	1,00.25	1,05.25	1,10.50	5,02.50
<b>जोड़े</b>	<b>3,64.00</b>	<b>3,82.00</b>	<b>4,01.00</b>	<b>4,21.00</b>	<b>4,42.00</b>	<b>20,10.00</b>

वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र संख्या-एफ 13(1) एफ.सी.डी./2019 - दिनांक 30-07-2020 एवं एफ. 13(1)/एफ.सी.डी./2019 दिनांक 27/02/2020 के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त, प्रत्येक के लिए ₹3,15.75 करोड़ के रूप में विमुक्त किया। फिर भी, राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रथम एवं द्वितीय किश्त दोनों (₹1,65.75 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹55.25 करोड़ का राज्यांश) तथा (₹1,65.75 करोड़ का केन्द्रांश तथा ₹55.25 करोड़ का राज्यांश) स्वीकृति आदेश संख्या-02/आ.प्र.-101/2011 (खण्ड-II).48/आ. प्र. राँची दिनांक 09.01.2020 एवं 2/आ.प्र.-101/2011 (खण्ड-II)-23 (स्वी.) -आ.प्र. राँची दिनांक 12.05.2020 संस्वीकृति प्रदान किया। अतः वर्ष 2019-20 के दौरान ₹4,42.00 करोड़ राज्य आपदा मोचन निधि में जमा किया गया।

वर्ष 2019-20 के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार, राँची ने राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) समिति की सहमति से संस्वीकृति प्रदान किया। (i) स्वीकृत्यादेश, (ii) राज्य आपदा मोचन निधि समिति का अनुमोदन एवं (iii) वित्त लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान किये गए वास्तविक व्यय के जाँचोपरांत वर्ष 2019-20 से संबंधित ₹2,14.10 करोड़ राज्य आपदा मोचन निधि से समायोजन हेतु मापदण्डों को पूरा करने के लिए था। तदनुसार वर्ष 2019-20 के लेखे के दौरान मुख्य शीर्ष "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत" को प्रतिस्पर्शी घटाव नामे के द्वारा निधि में ₹2,14.10 करोड़ नामें किया गया।

अतः 31 मार्च 2020 को राज्य आपदा मोचन निधि का अन्त शेष ₹19,36.99 करोड़ हुआ।

**अनुदान संख्या 40 - राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग  
( राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	6,98,54,36	7,71,78,80	5,23,63,48	(-) 2,48,15,32
अनुपूरक	73,24,44			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

2,40,56,49

पूँजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	68,00,05	68,00,05	60,05,72	(-) 7,94,33
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

7,94,33

**अनुदान संख्या - 40 क्रमशः**

**टीका एवं टिप्पणियाँ :**

**राजस्व :**

- (1) ₹2,48,15.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹50.05 लाख), जनवरी 2020 (₹44,79.44 लाख) एवं मार्च 2020 (₹27,94.95 लाख) में प्राप्त किया गया ₹73,24.44 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,40,56.49 लाख), अंतिम बचत (₹2,48,15.32 लाख) से ₹7,58.83 लाख कम था।
- (3) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो), मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2029-00.101.01- मानकी/मुण्डा/ डाकुआ / प्रधान / ठीकेदार के लिए सम्मान (स्थापना व्यय)	मूल	20,00.00	34,42.01	34,42.01	0.00	₹6,64.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	21,07.00				
	पुनर्वि.	(-)6,64.99				
2029-00.102.15- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	37,14.09	19,84.58	19,84.58	0.00	₹17,30.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.59				
	पुनर्वि.	(-)17,30.10				
2029-00.102.19- बाह्य स्रोत/ अनुबन्ध पर अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालाक, गृहरक्षक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	22,20.00	29,89.87	29,89.23	(-)0.64	₹5,30.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	13,00.00				
	पुनर्वि.	(-)5,30.13				

अनुदान संख्या - 40 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2029-00.102.20- मशीन, उपकरण एवं फर्नीचर इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	11,10.00	9,65.14	9,65.15	(-)0.41	₹1,44.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,44.44				
2029-00.103.01- भू-अभिलेख कम्प्यूटराइजेशन (के. से. स्कीम)	मूल	1,00.00	1,00.00	1,00.00	0.00	₹14,62.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	14,62.12				
	पुनर्वि.	(-)14,62.12				
2029-00.104.01- राजस्व प्रशासन पर व्यय (उड़नदस्ता एवं सैरात रेमिशन कमिटी सहित) (स्थापना व्यय)	मूल	3,66,32.32	2,45,24.10	2,45,10.28	(-)13.82	₹1,21,31.86 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	9.82				
	पुनर्वि.	(-)1,21,18.04				
2029-00.104.18- कोषागार में जमा राशि की वापसी (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	2,21.88	2,21.88	0.00	₹7,54.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	8,76.00				
	पुनर्वि.	(-)7,45.12				
2029-00.796.20- मशीन उपकरण एवं फर्नीचर इत्यादि (राज्य स्कीम)	मूल	3,90.00	3,44.47	3,43.47	(-)1.00	₹46.53 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.53				
2052-00.090.17- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	8,26.19	6,21.57	6,21.57	0.00	₹2,42.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	38.00				
	पुनर्वि.	(-)2,42.62				



अनुदान संख्या - 40 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2052-00.092.04- भू-अर्जन सम्बन्धी स्थापना प्रभार (स्थापना व्यय)	मूल	13,71.70	10,47.42	10,47.42	0.00	₹3,24.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,24.28				
2052-00.099.01- सामान्य विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	3,21.27	2,71.45	2,71.45	0.00	₹51.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2.00				
	पुनर्वि.	(-)51.82				
2052-00.099.04- भू अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	1,57.78	96.83	96.83	0.00	₹60.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.95				
2053-00.093.01- जिला प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	1,05,92.45	72,25.17	72,20.60	(-)4.57	₹33,78.85 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	7.00				
	पुनर्वि.	(-)33,74.28				
2053-00.094.01- अवर प्रमंडलीय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	55,63.26	41,75.06	41,74.71	(-)0.35	₹13,90.78 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2.23				
	पुनर्वि.	(-)13,90.43				
2053-00.094.04- प्रमाण-पत्र स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	4,00.21	2,32.56	2,32.56	0.00	₹1,67.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,67.65				

अनुदान संख्या - 40 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2053-00.094.05- प्रक्रियापालक स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	7,39.13	5,15.14	5,15.14	0.00	₹2,23.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,23.99				
2053-00.101.01- मुख्य कार्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	8,42.08	7,47.55	7,47.55	0.00	₹1,06.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	11.53				
	पुनर्वि.	(-)1,06.06				
2070-00.115.03- सर्किट भवन (स्थापना व्यय)	मूल	4,24.93	3,36.18	3,44.72	+8.54	₹88.75 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹8.54 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)88.75				
3454-00.001.01- कृषि गणना (के.से. स्कीम)	मूल	1,00.00	3,95.34	3,95.34	0.00	₹1,64.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,59.80				
	पुनर्वि.	(-)1,64.46				
3454-01.101.05- राष्ट्रीय जनसंख्या रिकार्ड (के.से स्कीम)	मूल	0.00	10,18.00	2,71.43	(-)7,46.57	₹7,46.57 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10,18.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 40 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2029-00.102.05- आदिवासियों को जमीन वापसी/ अधिग्रहण (राज्य स्कीम)	मूल	37.00	0.00	0.00	0.00	₹37.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.00				
2029-00.104.03- राजस्व प्रशासन पर व्यय-नई गाड़ियों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	2,22.00	0.00	0.00	0.00	₹2,22.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,22.00				
2029-00.796.03- राजस्व प्रशासन पर व्यय-नई गाड़ियों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	78.00	0.00	0.00	0.00	₹78.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.00				

**अनुदान संख्या - 40 क्रमांत**

**पूँजी :**

- (5) शीर्ष 4047-00.796.05- राजस्व प्रशासन के अन्तर्गत अंचल कार्यालय/निबंधन कार्यालय/राजस्व कचहरी/दामिन बंगला एवं अंचलाधिकारी आवास का निर्माण/ जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹28.33 लाख की बचत, जो कि ₹17,68.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4047-00.800.05- राजस्व प्रशासन के अन्तर्गत अंचल कार्यालय/निबंधन कार्यालय/राजस्व कचहरी/दामिन बंगला एवं अंचलाधिकारी आवास का निर्माण/जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	50,32.00	42.66.06	42,66.06	0.00	₹7,65.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,65.94				

## अनुदान संख्या 41 - पथ निर्माण विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2075-अन्य समान्य सेवाएँ, 3054- सड़क तथा सेतु, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	4,27,97,86	4,28,28,40	2,47,05,15	(-) 1,81,23,25
अनुपूरक	30,54			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

1,63,49,02

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	47,00,00,00	47,50,00,00	36,74,32,82	(-) 10,75,67,18
अनुपूरक	50,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

10,75,21,86

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹1,81,23.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹4,.31 लाख), जनवरी 2020 (₹6.23 लाख) एवं मार्च 2020 (₹20.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹30.54 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,63,49.02 लाख), अंतिम बचत (₹1,81,23.25 लाख) से ₹17,74.23 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 41 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 3054-80.001.02- सम्पादन (स्थापना व्यय) तथा 3054-80.001.04- अधीक्षण (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹5,02.72 लाख तथा ₹83.84 लाख की बचत, जो कि ₹84,37.62 लाख तथा ₹12,28.86 लाख प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
3054-01.337.01- राष्ट्रीय उच्च पथों का अनुरक्षण एवं मरम्मति (स्थापना व्यय)	मूल	30,00.00	19,75.41	36.10	(-)19,39.31	₹29,63.90 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,24.59				
3054-03.337.01- सड़क निर्माण कार्य (स्थापना व्यय)	मूल	1,50,00.00	1,07,24.38	1,06,52.47	(-)71.91	₹12.73 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी एवं ₹43,34.80 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42,75.62				
3054-80.001.01- निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	14,09.19	10,65.13	10,64.17	(-)0.96	₹10.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी एवं ₹3,59.33 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4.31				
	पुनर्वि.	(-)3,48.37				
3054-80.001.06- राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-निदेशन (स्थापना व्यय)	मूल	1,72.05	1,14.44	1,14.44	0.00	₹57.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.61				

अनुदान संख्या - 41 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
3054-80.001.08- राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग-कार्य सम्पादन (स्थापना व्यय)	मूल	21,18.06	16,99.12	16,99.12	0.00	₹4,18.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,18.94				
3054-80.001.09- अग्रिम योजना स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	7,02.79	5,76.38	5,76.38	0.00	₹1,26.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,26.41				

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
3054-80.797.01- आरक्षित निधि/ जमा लेखा को / से अन्तरण केन्द्रीय पथ निधि (स्थापना व्यय)	मूल	90,00.00	0.00	0.00	0.00	₹90,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90,00.00				

(5) निम्नलिखित मामले में, अधिक व्यय मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2075-00.791.01- ए.डी.बी. ऋण का विनिमय दर की वृद्धि/ कमी के लिए भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	4,50.00	0.00	2,02.15	+2,02.15	₹2,02.15 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,50.00				

**अनुदान संख्या - 41 क्रमशः**

**पूँजी :**

- (6) ₹10,75,67.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹50,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (7) अभ्यर्पित प्रावधान (₹10,75,21.86 लाख), अंतिम बचत (₹10,75,67.18 लाख) से ₹45.32 लाख कम था।
- (8) शीर्ष 5054-03.796.01- वृहद् सड़कें (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹92,81.35 लाख की निवल बचत, जो ₹17,44,00.00 लाख प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5054-03.101.03- पुल (राज्य स्कीम)	मूल	1,45,00.00	58,72.92	55,76.45	(-)2,96.47	₹89,23.55 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86,27.08				
5054-03.337.01- वृहद् सड़कें (राज्य स्कीम)	मूल	16,00,00.00	12,44,83.89	12,44,83.89	0.00	₹3,55,16.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,55,16.11				
5054-03.337.02- केन्द्रीय पथ निधि (के.से. स्कीम)	मूल	70,00.00	36,63.00	36,63.00	0.00	₹33,37.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,37.00				



अनुदान संख्या - 41 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
5054-03.337.08- वृहद् सड़कें- राज्यमार्ग के सड़कों का 2-4 लेन का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य ( ए.डी.बी. सम्पोषित योजना भाग II सहित) ( राज्य स्कीम)	मूल	2,25,00.00	70,00.00	70,00.00	0.00	₹1,55,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,55,00.00				
5054-03.796.02- केन्द्रीय पथ निधि ( के.से. स्कीम)	मूल	50,00.00	19,50.00	19,50.00	0.00	₹30,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,50.00				
5054-03.796.03- पुल ( राज्य स्कीम)	मूल	2,67,14.00	1,24,95.91	1,21,40.26	(-)3,55.65	₹1,45,73.74 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,42,18.09				
5054-03.796.06- मशीन एवं उपकरण ( राज्य स्कीम)	मूल	2,77.72	1,05.79	1,05.79	0.00	₹1,71.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,71.93				
5054-03.796.08- वृहद् सड़कें- राज्यमार्ग के सड़कों का 2-4 लेन का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य ( ए.डी.बी. सम्पोषित योजना भाग II सहित) ( राज्य स्कीम)	मूल	1,75,00.00	80,00.00	80,00.00	0.00	₹95,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)95,00.00				

**अनुदान संख्या - 41 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
5054-03.796.10- बी ओ टी (एनयू टी) परियोजना के एनयू टी भुगतान (राज्य स्कीम)	मूल	4,69,78.28	3,87,96.41	3,87,96.41	0.00	₹81,81.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)81,81.87				

(9) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5054-03.052.06- मशीन एवं उपकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,30.00	0.00	0.00	₹1,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)1,30.00			

(10) निम्नलिखित मामले में, बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5054.03.799.01- विविध निर्माण कार्य अग्रिम (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	5,72.28	₹5,72.28 लाख बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	0.00			

(11) उचंत लेन-देन :

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹5,72.28 लाख (निवल) का उपयोग "उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, जो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देन में नामे और जमा दोनो सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई हैं :-

**अनुदान संख्या - 41 क्रमशः**

**विविध निर्माण कार्य अग्रिम** - इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत के नामें शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान हुए लेने-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2020 को अन्तशेष
(₹ लाख में)					
<b>(i) 3054- सड़क तथा सेतु</b>					
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	4,77.61	0.00	0.00	0.00	4,77.61
<b>जोड़</b>	<b>4,77.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,77.61</b>
<b>(ii) 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
स्टॉक	(-) 1.26	0.00	0.00	0.00	(-) 1.26
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	8,18,80.11	5,72.28	0.00	5,72.28	8,24,52.39
<b>जोड़</b>	<b>8,18,78.85</b>	<b>5,72.28</b>	<b>0.00</b>	<b>5,72.28</b>	<b>8,24,51.13</b>

**(12) केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान :-**

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों से लिया जाता है। इस निधि में अन्तरण के लिए प्रत्येक वर्ष स्वीकृत किये गए राशि केन्द्रीय सरकार के लेखे में मुख्य शीर्ष "3054-सड़क तथा सेतु" में प्रतिस्पर्शी नामें द्वारा शीर्ष "8224-केन्द्रीय सड़क निधि" में जमा की जाती है। इस राशि में से 80 प्रतिशत राज्य सरकार को आवंटित की जाती है। इस निधि से आवंटन तथा उनमें से व्यय के लिए लेखाकरण प्रक्रिया निम्नलिखित है :-

राज्य सरकार की अंतरित राशि केन्द्रीय बुक में मुख्य शीर्ष '3601-राज्य सरकार को सहायक अनुदान' में डेबिट किया जाता है। प्राप्त की गई राशि को राज्य सरकार के लेखे में शीर्ष '1601-केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान'

**अनुदान संख्या - 41 क्रमांत**

में क्रेडिट किया जाता है। प्राप्त की गई आवंटित राशि शीर्ष "3054-सड़क तथा सेतु, 80-सामान्य, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण" में प्रतिस्पर्शी नामे द्वारा शीर्ष "8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" में जमा किया जाता है।

योजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय को प्रारंभ में शीर्ष '3054/5054' में पुस्तांकित किया जाता है एवं अन्ततः केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत शीर्ष "8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" के शेष से किया जाता है, इसे मुख्य शीर्ष "3054/5054 लघु शीर्ष, 902-जमा शीर्ष से पूरी की गई राशि" में प्रतिस्पर्शी ऋणात्मक डेबिट द्वार शीर्ष "8449-अन्य जमा" में डेबिट करते हुए लेखांकित किया जाता है।

राज्य सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। यद्यपि वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार से ₹1,37,67.00 लाख प्राप्त किया। शीर्ष "8449-अन्य जमा, 103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" में अन्तरण के लिए "शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण" के अन्तर्गत अनुपूरक बजट 2019-20 में समुचित बजट प्रावधान किए जाने हेतु इस मामले को सड़क निर्माण विभाग तथा वित्त विभाग के समक्ष रक्षा गया है।

**(13) पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा :-**

लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण-कार्य परिव्यय के अनुपात में विपरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2017-18, 2018-19, और 2019-20 तक के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण-कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है :-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण-कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार की प्रतिशतता
			( ₹लाख में)		
2017-18	51,82,21.05	1,45,88.95	2.18	0.00	0.00
2018-19	40,96,21.03	2,53,19.61	6.18	4,95.15	0.12
2019-20	33,30,07.81	1,35,18.30	4.06	1,05.79	0.03

## अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण विकास प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3451- सचिवालय - आर्थिक सेवाएं, 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	55,86,93,96	69,47,09,86	44,52,58,45	(-) 24,94,51,41
अनुपूरक	13,60,15,90			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

24,94,46,71

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	5,38,10,76	5,40,49,51	4,16,39,70	(-) 1,24,09,81
अनुपूरक	2,38,75			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

1,21,50,87

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(1) ₹24,94,51.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹50,15.00 लाख), जनवरी 2020 (₹9,49,17.98 लाख) एवं मार्च 2020 (₹3,60,82.92 लाख) में प्राप्त किया गया ₹13,60,15.90 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹24,94,46.71 लाख), अंतिम बचत (₹24,94,51.41 लाख) से ₹4.70 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 42 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2505-01.796.02- इन्दिरा आवास योजना- सामान्य के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश) एवं 2515-00.102.10- उत्तर प्रक्रम- 2 प्रखण्ड (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹51,18.57 लाख तथा ₹6,47.96 लाख के बचत, जो क्रमशः ₹6,31,28.31 लाख तथा ₹2,61,87.25 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.101.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (9347) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	14,70.00	10,00.00	10,00.00	0.00	₹4,70.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,70.00				
2501-02.796.03- सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम-जलछाजन विकास कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	85.58	82.89	(-)2.69	₹82.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	15.00				
	पुनर्वि.	(-)79.42				
2501-06.101.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,05,21.20	1,18,94.96	1,18,94.96	0.00	₹86,26.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86,26.24				
2501-06.101.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	98,00.00	67,97.38	67,97.38	0.00	₹30,02.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,02.62				
2501-06.101.16- मुख्यमंत्री आजीविका संवर्धन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	36,75.00	2,45.00	2,45.00	0.00	₹34,30.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34,30.00				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2501-06.101.17- अटल ग्रामोत्थान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	85,75.00	16,58.68	16,58.68	0.00	₹69,16.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69,16.32				
2501-06.101.18- बिरसा विशिष्ट जनजाति विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,90.00	98.00	98.00	0.00	₹3,92.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,92.00				
2501-06.789.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	30,00.00	30,00.00	30,00.00	0.00	₹17,77.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	17,77.82				
	पुनर्वि.	(-)17,77.82				
2501-06.789.16- मुख्यमंत्री आजीविका संवर्धन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	11,25.00	75.00	75.00	0.00	₹10,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,50.00				
2501-06.789.17- अटल ग्रामोत्थान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	26,25.00	4,84.91	4,84.91	0.00	₹21,40.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21,40.09				
2501-06.789.18- बिरसा विशिष्ट जनजाति विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	30.00	30.00	0.00	₹1,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.00				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2501-06.796.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी.आर.डी.ए. प्रशासन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	9,90.00	5,10.44	5,10.44	0.00	₹4,79.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,79.56				
2501-06.796.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी.आर.डी.ए. प्रशासन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	6,60.00	4,68.60	4,68.60	0.00	₹1,91.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,91.40				
2501-06.796.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,50,76.80	49,95.88	49,95.88	0.00	₹1,00,80.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00,80.92				
2501-06.796.05- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- सामान्य के लिये योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	72,00.00	30,03.55	30,03.55	0.00	₹41,96.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41,96.45				
2501-06.796.10- विभाग का कम्प्यूटरीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,10.00	76.21	76.21	0.00	₹33.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.79				
2501-06.796.13- प्रखण्ड प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	5,50.00	4,67.83	4,67.83	0.00	₹82.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)82.17				



**अनुदान संख्या - 42 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2501-06.796.16- मुख्यमंत्री आजीविका संवर्धन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	27,00.00	1,80.00	1,80.00	0.00	₹25,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,20.00				
2501-06.796.17- अटल ग्रामोत्थान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	63,00.00	10,89.18	10,89.18	0.00	₹52,10.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)52,10.82				
2501-06.796.18- बिरसा विशिष्ट जनजाति विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,60.00	72.00	72.00	0.00	₹2,88.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,88.00				
2501-06.800.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी.आर.डी.ए प्रशासन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	8,10.00	4,46.06	4,46.06	0.00	₹3,63.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,63.94				
2501-06.800.04- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- डी.आर.डी.ए प्रशासन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,40.00	1,47.43	1,47.43	0.00	₹3,92.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,92.57				
2505-01.702.02- इन्दिरा आवास योजना-सामान्य के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	9,50,25.70	4,90,44.00	4,90,44.00	0.00	₹4,59,81.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,59,81.70				

**अनुदान संख्या - 42 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति	
2505-01.702.02- इन्दिरा आवास योजना-सामान्य के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,41,00.00	7,72,98.36	7,72,98.36	0.00	₹86,26.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,18,24.65				
	पुनर्वि.	(-)86,26.29				
2505-01.789.02- इन्दिरा आवास योजना-सामान्य के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,90,89.50	4,43,28.28	4,43,28.28	0.00	₹68,11.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,20,50.04				
	पुनर्वि.	(-)68,11.26				
2505-01.789.02- इन्दिरा आवास योजना-सामान्य के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,35,00.00	1,35,00.00	1,35,00.00	0.00	₹1,28,03.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,28,03.46				
	पुनर्वि.	(-)1,28,03.46				
2505-01.796.01- नरेगा-मुख्यालय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,75.00	56.60	56.60	0.00	₹1,19.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1.50				
	पुनर्वि.	(-)1,19.90				
2505-01.796.02- इन्दिरा आवास योजना-सामान्य के लिए योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,98,14.80	6,36,35.58	6,36,35.58	0.00	₹1,85,27.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,23,47.82				
	पुनर्वि.	(-)1,85,27.04				
2505-02.101.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,67,50.00	1,62,03.80	1,62,03.80	0.00	₹2,05,46.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,05,46.20				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2505-02.101.04-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	85,75.00	43,31.69	43,31.69	0.00	₹42,43.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42,43.31				
2505-02.101.05-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (राज्य स्कीम)	मूल	13,44.00	1.86	1.86	0.00	₹13,42.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,42.14				
2505-02.789.04-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,12,50.00	49,60.34	49,60.34	0.00	₹62,89.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)62,89.66				
2505-02.789.04-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	26,25.00	13,26.03	13,26.03	0.00	₹12,98.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,98.97				
2505-02.789.05-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (राज्य स्कीम)	मूल	56.00	0.19	0.19	0.00	₹55.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55.81				

**अनुदान संख्या - 42 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2505-02.796.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,70,00.00	1,19,04.82	1,19,04.82	0.00	₹1,50,95.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50,95.18				
2505-02.796.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	63,00.00	31,82.46	31,82.46	0.00	₹31,17.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31,17.54				
2505-02.796.04- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (राज्य स्कीम)	मूल	14,00.00	7.40	7.40	0.00	₹13,92.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,92.60				
2515-00.102.49- अम्बेडकार आवास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	29,40.00	39,40.00	39,40.00	0.00	₹14,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	24,50.00				
	पुनर्वि.	(-)14,50.00				
2515-00.102.60- दीनदयाल ग्राम स्वालम्बन योजना हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	17,15.00	4,90.00	4,90.00	0.00	₹12,25.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,25.00				
2515-00.789.60- दीनदयाल ग्राम स्वालम्बन योजना हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	5,25.00	1,50.00	1,50.00	0.00	₹3,75.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,75.00				

**अनुदान संख्या - 42 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2515-00.796.09- कर्मचारियों पर प्रशिक्षण व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	3,37.24	2,28.25	2,28.25	0.00	₹1,08.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,08.99				
2515-00.796.49- अम्बेडकर आवास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	21,60.00	21,60.00	21,60.00	0.00	₹18,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,00.00				
2515-00.796.60- दीनदयाल ग्राम स्वालम्बन योजना हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	12,60.00	3,60.00	3,60.00	0.00	₹9,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,00.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया:-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2501-02.101.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	9,80.00	0.00	0.00	0.00	₹9,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,80.00				
2501-02.101.06- जलछाजन योजना- नाबार्ड (राज्य स्कीम)	मूल	41,88.03	0.00	0.00	0.00	₹41,88.03 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41,88.03				

**अनुदान संख्या - 42 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2501-02.101.07- लिफ्ट सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	9,80.00	0.00	0.00	0.00	₹9,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,80.00				
2501-02.101.08- निरांचल योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,90.98	0.00	0.00	0.00	₹4,90.98 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,90.98				
2501-02.101.08- निरांचल योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,27.32	0.00	0.00	0.00	₹3,27.32 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,27.32				
2501-02.101.09- जलछाजन विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	24,50.00	0.00	0.00	0.00	₹24,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,50.00				
2501-02.789.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,50.00	0.00	0.00	0.00	₹10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5,50.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.789.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹6,66.67 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3,66.67				
	पुनर्वि.	(-)6,66.67				
2501-02.789.06- जलछाजन योजना - नाबार्ड (राज्य स्कीम)	मूल	12,82.05	0.00	0.00	0.00	₹12,82.05 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,82.05				
2501-02.789.07- लिफ्ट सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2501-02.789.08- निरांचल योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,50.30	0.00	0.00	0.00	₹1,50.30 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.30				
2501-02.789.08- निरांचल योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,00.20	0.00	0.00	0.00	₹1,00.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.20				

**अनुदान संख्या - 42 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2501-02.789.09- जलछाजन विकास कार्यक्रम हेतु-अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	7,50.00	0.00	0.00	0.00	₹7,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,50.00				
2501-02.796.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	10,80.00	0.00	0.00	0.00	₹15,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,20.00				
	पुनर्वि.	(-)15,00.00				
2501-02.796.04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	13,70.00	0.00	0.00	0.00	₹16,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,80.00				
	पुनर्वि.	(-)16,50.00				
2501-02.796.06- जलछाजन योजना- नाबार्ड (राज्य स्कीम)	मूल	30,76.92	0.00	0.00	0.00	₹30,76.92 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,76.92				
2501-02.796.07- लिफ्ट सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,20.00	0.00	0.00	0.00	₹7,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,20.00				



अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-02.796.08- निरांचल योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,60.72	0.00	0.00	0.00	₹3,60.72 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,60.72				
2501-02.796.08- निरांचल योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,40.48	0.00	0.00	0.00	₹2,40.48 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,40.48				
2501-02.796.09- जलछाजन विकास कार्यक्रम हेतु-अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	18,00.00	0.00	0.00	0.00	₹18,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,00.00				
2501-06.101.12- युवा कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	49.00	0.00	0.00	0.00	₹49.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.00				
2501-06.101.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	38,23.68	0.00	0.00	0.00	₹38,23.68 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38,23.68				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति
2501-06.101.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	25,49.12	0.00	0.00	0.00	₹25,49.12 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,49.12				
2501-06.789.11- लघु सिंचाई के तहत बागवानी को प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,50.00	0.00	0.00	0.00	₹7,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,50.00				
2501-06.796.11- लघु सिंचाई के तहत बागवानी को प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	18,00.00	0.00	0.00	0.00	₹18,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,00.00				
2501-06.796.12- युवा कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	36.00	0.00	0.00	0.00	₹36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.00				
2501-06.796.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	27,65.04	0.00	0.00	0.00	₹27,65.04 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27,65.04				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2501-06.796.14- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन योजना ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	18,43.36	0.00	0.00	0.00	₹18,43.36 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,43.36				
2501-06.800.11- लघु सिंचाई के तहत बागवानी को प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	24,50.00	0.00	0.00	0.00	₹24,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,50.00				
2501-02.796.06- सामाजिक अंकेक्षण इकाई प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2515-00.102.17- उत्तर प्रक्रम - 2 प्रखण्ड-प्रखण्ड भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,03.00	0.00	0.00	0.00	₹2,03.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,03.00				
2515-00.796.17- उत्तर प्रक्रम - 2 प्रखण्ड-प्रखण्ड भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,47.00	0.00	0.00	0.00	₹1,47.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,47.00				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

पूँजी :

- (5) ₹1,24,09.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹2,38.75 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान(₹1,21,50.87 लाख), अंतिम बचत (₹1,24,09.81 लाख) से ₹2,58.94 लाख कम था।
- (7) शीर्ष 4515-00.796.40- विधायक योजना (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹4,00.95 लाख के बचत, जो ₹1,55,91.20 लाख प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4515-00.102.39- प्रखण्ड भवन मुख्य निर्माण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,01,34.00	53,26.36	53,26.36	0.00	₹48,07.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48,07.64				
4515-00.796.38- प्रखण्ड भवन लघु निर्माण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	58.16	58.16	0.00	₹41.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41.84				
4515-00.796.43- सी.एल.एफ. हेतु भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,75.00	2,62.68	1,02.45	(-) 1,60.22	₹3,47.31 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,74.77				
	पुनर्वि.	(-)1,87.09				

अनुदान संख्या - 42 क्रमशः

(8) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
4215-01.101.43- सी.एल.एफ.हेतु भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,25.00	98.72	0.00	(-)98.72	₹2,88.98 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	63.98				
	पुनर्वि.	(-)1,90.26				

(9) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अनैचित्यपूर्ण सिद्ध हुआ :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
4515-00.796.39- प्रखण्ड भवन मुख्य निर्माण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,00,00.00	35,81.25	37,00.17	(+)1,18.92	₹64,18.76 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹1,18.92 लाख के अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	63.98				
	पुनर्वि.	(-)64,18.76				

**अनुदान संख्या - 42 क्रमांत**

**(10) उंचत लेन-देन :-**

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई भी राशि शीर्ष 'उंचत', जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है, के अन्तर्गत लेखांकित नहीं किया गया था। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है :-

**विविध निर्माण कार्य अग्रिम :-** इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियां से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योर और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिए गए हैं :-

	शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2020 का अन्तशेष
2515-	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम					
	विविध निर्माण कार्य अग्रिम	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
	कुल	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
4515-	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय					
	विविध निर्माण कार्य अग्रिम	1,69.16	0.00	0.00	0.00	1,69.16
	कुल	1,69.16	0.00	0.00	0.00	1,69.16

**अनुदान संख्या 43 - उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
( विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2203-तकनीकी शिक्षा, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4202- खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	3,07,68,77	3,25,76,60	2,29,94,31	(-) 95,82,29
अनुपूरक	18,07,83			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

95,82,28

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	2,60,00,00	2,60,00,00	2,26,19,92	(-) 33,80,08
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

33,80,08

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹95,82.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹3,20.68 लाख), जनवरी 2020 (₹13,63.69 लाख) एवं मार्च 2020 (₹1,23.46 लाख) में प्राप्त किया गया ₹18,07.83 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 43 क्रमशः**

- (2) शीर्ष 2203-00.105.01- डिप्लोमा पाठ्यक्रम अंतर्निहित सैंडविच पाठ्यक्रम सहित (स्थापना व्यय) एवं 2203-00.112.45- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹2,30.37 लाख तथा ₹1,85.66 लाख के बचत, जो क्रमशः ₹27,68.68 लाख तथा ₹29,43.17 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.001.01- तकनीकी शिक्षा निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	1,82.08	1,34.01	1,34.01	0.00	₹48.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.07				
2203-00.105.44- राजकीय पौलिटैक्निकों / खनन संस्थानों का सुदृढीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) (राज्य स्कीम)	मूल	33,20.00	24,63.29	24,63.29	0.00	₹9,91.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,35.00				
	पुनर्वि.	(-)9,91.71				
2203-00.112.02- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	7,55.22	7,55.22	0.00	₹17,44.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,44.78				
2203-00.796.44- राजकीय पौलिटैक्निकों/ खनन संस्थानों का सुदृढीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) (राज्य स्कीम)	मूल	6,80.00	5,25.82	5,25.82	0.00	₹1,54.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,54.18				



**अनुदान संख्या - 43 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2203-00.796.A7- प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेट्वर्किंग और सहयोग (राज्य स्कीम)	मूल	2,60.00	1,88.53	1,88.53	0.00	₹71.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71.47				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2203-00.003.A7- प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेट्वर्किंग और सहयोग (राज्य स्कीम)	मूल	7,40.00	0.00	0.00	0.00	₹7,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,40.00				
2203-00.003.AC- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (के.से.स्कीम)	मूल	17,88.95	0.00	0.00	0.00	₹17,88.95 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,88.95				
2203-00.004.A5- गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	22,20.00	0.00	0.00	0.00	₹22,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,20.00				

**अनुदान संख्या - 43 क्रमांत**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2203-00.789.AC- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (के.से. स्कीम)	मूल	3,90.92	0.00	0.00	0.00	₹3,90.92 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,90.92				
2203-00.796.A5- गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	7,80.00	0.00	0.00	0.00	₹7,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,80.00				
2203-00.796.AC- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (के.से.स्कीम)	मूल	1,58.13	0.00	0.00	0.00	₹1,58.13 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,58.13				

**पूँजी :**

(4) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
4215-02.105.06- तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण- इंजीनियरिंग कॉलेज/ पॉलिटेक्निक / खनन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	1,90,00.00	1,56,35.06	1,56,35.06	0.00	₹33,64.94 लाख प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,64.94				

## अनुदान संख्या 44 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2205-कला एवं संस्कृति, 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	6,83,05	7,26,70	6,28,84	(-) 97,86
अनुपूरक	43,65			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

97,86

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹97.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 (₹42.15 लाख) एवं मार्च 2020 (₹1.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹43.65 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) शीर्ष 2251-00.090.01- शिक्षा विभाग (स्थापना व्यय) के अन्तर्गत ₹18.66 लाख के बचत, जो ₹5,65.71 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2205-00.105.01- सार्वजनिक पुस्तकालय (स्थापना व्यय)	मूल	71.88	32.71	32.71	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)39.17			
₹39.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।					

अनुदान संख्या - 44 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2251-00.090.03- झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (स्थापना व्यय)	मूल	61.84	41.76	41.76	0.00	₹21.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1.50				
	पुनर्वि.	(-)21.58				

## अनुदान संख्या 45 - सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2203-तकनीकी शिक्षा, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	1,92,19,15	1,92,27,25	1,46,53,01	(-) 45,74,24
अनुपूरक	8,10			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

45,74,24

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	20,01,00	20,01,00	7,03,89	(-) 12,97,11
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

12,97,11

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹45,74.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹8.10 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 45 क्रमशः**

- (2) शीर्ष 2203.00.001.21- ई-गवर्नेस सरकारी विभागों का कम्प्यूटीकरण (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹80.13 लाख के बचत, जो ₹10,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2203-00.001.A8-स्टेट ई-गवर्नेस प्रोजेक्ट (राज्य स्कीम)	मूल	48,02.00	17,84.99	17,84.99	0.00	₹30,17.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,17.01				
2203-00.796.21-ई-गवर्नेस सरकारी विभागों का कम्प्यूटीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	11,00.00	9,34.44	9,34.44	0.00	₹1,65.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,65.56				
2203-00.796.89-ई-कार्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	2,10.00	26.23	26.23	0.00	₹1,83.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,83.77				
2203-00.796.A8-स्टेट ई-गवर्नेस प्रोजेक्ट (राज्य स्कीम)	मूल	48,00.00	42,86.99	42,86.99	0.00	₹5,13.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,13.01				
3451-00.090.02-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	2,20.15	1,85.46	1,85.46	0.00	₹36.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2.10				
	पुनर्वि.	(-)36.79				

**अनुदान संख्या - 45 क्रमशः**

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2203-00.001.85- स्कील डेवलपमेन्ट ( युवाओं के लिए कार्यक्रम) (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
2203-00.001.89- ई-कार्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2203-00.001.A9- नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2203-00.001.A9- नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2203-00.796.85- स्कील डेवलपमेन्ट ( युवाओं के लिए कार्यक्रम) (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

अनुदान संख्या - 45 क्रमांत

पूँजी :

(4) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-02.105.70- सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	7,03.89	7,03.89	0.00	₹12,96.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,96.11				



**अनुदान संख्या 46 - पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग  
( पर्यटन प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3452- पर्यटन, 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	91,54,82	91,71,92	72,81,85	(-) 18,90,07
अनुपूरक	17,10			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

18,90,07

पूजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	92,50,00	92,50,00	44,45,75	(-) 48,04,25
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

48,04,25

**टीका एवं टिप्पणियाँ :**

राजस्व :

- (1) ₹18,90.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 (₹15.93 लाख) एवं मार्च 2020 (₹1.17 लाख) में प्राप्त किया गया ₹17.10 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

अनुदान संख्या - 46 क्रमशः

(2) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
3452-80.104.02- प्रचार कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	9,60.00	7,84.66	7,84.66	0.00	₹1,75.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,75.34				
3452-80.104.11- आई.एच.एम., एफ. सी. आई. साहसिक गतिविधियों के लिए जे.ए.टी.आई. इत्यादि पर्यटक संस्थान एवं विभिन्न पर्यटक वि. प्रा., बाबा वैद्यनाथ धाम-वासुकीनाथ सराईन एरिया वि. प्रा., आदि के लिए सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	11,50.00	9,75.90	9,75.90	0.00	₹1,74.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,74.10				
3452-80.104.13- कंसल्टेंसी एवं अन्य सेवाएं (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	61.25	61.25	0.00	₹7,38.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,38.75				
3452-80.104.16- पर्यटक स्थलों के खरखाव, प्रबंधन एवं साफ - सफाई आदि (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	1,00.00	1,00.00	0.00	₹50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या - 46 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
3452-80.796.02- प्रचार कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	9,40.00	7,89.98	7,89.98	0.00	₹1,50.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.02				
3452-80.796.13- कंसल्टेंसी एवं अन्य सेवाएं (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	2,00.00	2,00.00	0.00	₹2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
3452-01.101.07- कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
3452-01.190.11- राज्य पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
3452-01.796.11- राज्य पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

**अनुदान संख्या - 46 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
3452-80.104.18- वन तथा वन्य प्राणी क्षेत्रों में ईको-टूरिज्म विकास हेतु वन विभाग प्राधिकार को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
3452-80.796.18- वन तथा वन्य प्राणी क्षेत्रों में ईको-टूरिज्म विकास हेतु वन विभाग प्राधिकार को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				

**पूँजी :**

- (4) शीर्ष 5452-80.104.65- पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/ मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, एडभेंचर टूरिज्म (राज्य स्कीम) के अन्तर्गत ₹1,94.44 लाख के बवत, जो ₹20,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
5452-80.104.70- विभिन्न पर्यटन सर्किट का समेकित विकास (राज्य स्कीम)	मूल	45,00.00	7,50.00	7,50.00	0.00	₹37,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37,50.00				

अनुदान संख्या - 46 क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
5452-80.796.65- पर्यटन योजनाओं का समेकित विकास, भूमि अधिग्रहण/ मार्गीय सुविधाओं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, एडभेंचर टूरिज्म इत्यादि ( राज्य स्कीम )	मूल	4,00.00	88.94	88.94	0.00	₹3,11.06 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,11.06				
3452-80.796.70- विभिन्न पर्यटन सर्किट का समेकित विकास ( राज्य स्कीम )	मूल	23,50.00	18,01.25	18,01.25	0.00	₹5,48.75 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,48.75				

## अनुदान संख्या 47 - परिवहन विभाग ( परिवहन प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष- 2041-वाहन कर, 3055- सड़क परिवहन, 3075- अन्य परिवहन सेवाएं, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	2,33,38,25	3,04,24,75	1,77,31,47	(-) 1,26,93,28
अनुपूरक	70,86,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

1,26,93,28

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	22,01,00	22,01,00	9,20,26	(-) 12,80,74
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

12,80,74

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹1,26,93.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹70,00.00 लाख) एवं जनवरी 2020 (₹86.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹70,86.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 47 क्रमशः**

(2) बचत (₹25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2041-00.001.01- राज्य परिवहन अधिकरण (स्थापना व्यय)	मूल	1,91.39	1,95.57	1,95.57	0.00	₹28.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.32				
2041-00.101.01- प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (स्थापना व्यय)	मूल	2,15.56	79.76	79.76	0.00	₹1,35.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,35.80				
2041-00.101.02- मोटर वाहन पर नियंत्रण (स्थापना व्यय)	मूल	7,57.95	3,81.90	3,81.90	0.00	₹3,81.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5.00				
	पुनर्वि.	(-)3,81.05				
2041-00.102.01- मोटर वाहनों का निरीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	1,46.53	71.96	71.96	0.00	₹74.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)74.57				
3075-60.101.01- झारखण्ड राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए रेलवे को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	49,22.00	49,22.00	49,22.00	0.00	₹25,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	25,00.00				
	पुनर्वि.	(-)25,00.00				

**अनुदान संख्या - 47 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
3075-60.101.03- गोड्डा-हंसडीहा रेलवे लिंक (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	20,00.00	20,00.00	0.00	₹10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
3075-60.796.01- झारखण्ड राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए रेलवे को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	57,78.00	57,78.00	57,78.00	0.00	₹25,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	25,00.00				
	पुनर्वि.	(-)25,00.00				
3075-60.796.03- गोड्डा-हंसडीहा रेलवे लिंक (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	30,00.00	30,00.00	0.00	₹10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
3075-00.090.14- परिवहन विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	3,06.82	2,99.31	2,99.31	0.00	₹56.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	49.00				
	पुनर्वि.	(-)56.51				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
3075-60.101.05- पीरपैती-जसीडीह नयी रेलवे लिंक (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	0.00	0.00	0.00	₹20,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20,00.00				



**अनुदान संख्या - 47 क्रमशः**

3075-60.796.05- पीरपैती-जसीडीह नयी रेलवे लिंक (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	0.00	0.00	0.00	₹30,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,00.00				

**पूँजी :**

(4) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
5055-00.190.17- मशीन एवं उपकरण (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	22.75	22.75	0.00	₹57.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57.25				
5055-00.190.21- प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) (ट्रांसपोर्ट) (राज्य स्कीम)	मूल	2,40.00	1,72.69	1,72.69	0.00	₹67.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67.31				
5055-00.190.22- सड़क सुरक्षा निधि (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	1,51.28	1,51.28	0.00	₹2,48.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,48.72				
5055-00.796.12- प्रिंटिंग/मुद्रण/चालान एवं टोकन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	26.21	26.21	0.00	₹23.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23.79				

**अनुदान संख्या - 47 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
5055-00.796.17- प्रिंटिंग/मुद्रण/चालान एवं टोकन (राज्य स्कीम)	मूल	1,20.00	41.83	41.83	0.00	₹78.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.17				
5055-00.796.21- प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) (ट्रांसपोर्ट) (राज्य स्कीम)	मूल	1,60.00	1,32.86	1,32.86	0.00	₹27.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27.14				
5055-00.796.22- सड़क सुरक्षा निधि (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	3,42.64	3,42.64	0.00	₹2,57.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,57.36				

(5) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
5055-00.190.02- परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण- भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
5075-60.190.04- रेल परियोजनाओं के लिए हिस्सा पूंजी (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

## अनुदान संख्या 48 - नगर विकास एवं आवास विभाग ( नगर विकास प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217- शहरी विकास, 2251- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 6217- शहरी विकास के लिए कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	29,30,17,76	33,59,84,24	25,35,14,57	(-) 8,24,69,67
अनुपूरक	4,29,66,48			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

8,23,98,57

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	38,14,76	38,64,76	23,58,84	(-)15,05,92
अनुपूरक	50,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

15,05,92

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹8,24,69.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹3,61,12.96 लाख), जनवरी 2020 (₹58,64.52 लाख) एवं मार्च 2020 (₹9,89.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,29,66.48 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹8,23,98.57 लाख), अंतिम बचत (₹8,24,69.67 लाख) से ₹71.10 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 48 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2217-80.796.33- शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम), 2217-80.796.34- शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुरक्षा सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम), 2217-80.796.75- स्मार्ट सिटी (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश) एवं 2217-80.796.75- स्मार्ट सिटी (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश) के अन्तर्गत ₹6,00.00 लाख, ₹6,00.00 लाख, ₹2,00.00 लाख तथा ₹2,00.00 लाख के बचत, जो क्रमशः ₹87,50.00 लाख, ₹1,12,00.00 लाख, ₹1,00,00.00 लाख तथा ₹1,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2215-02.193.05- पानी तथा मल-जल सफाई के लिए नगर पंचायतों एवं अ.क्षे.स. को सहाय्य अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	4,00.00	3,51.12	3,51.12	0.00	₹48.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)48.88				
2217-80.001.01- राज्य स्तरीय शहरी प्रशासन निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	1,08.85	71.43	71.43	0.00	₹37.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37.42				
2217-80.001.04- शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव का आयोजन (स्थापना व्यय)	मूल	6,80.00	5,97.41	5,97.41	0.00	₹10,64.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	9,82.00				
	पुनर्वि.	(-)10,64.59				
2217-80.191.27- नगर निगमों को उनके नियमित कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	16,80.30	12,31.26	12,31.26	0.00	₹4,49.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,49.04				

अनुदान संख्या - 48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2217-80.191.33- शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	70,00.00	53,16.44	53,16.44	0.00	₹16,83.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,83.56				
2217-80.191.34- शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुरक्षा सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	90,00.00	71,99.30	71,99.30	0.00	₹18,00.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,00.70				
2217-80.191.36- नगर सुधार हेतु सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	6,46.04	6,46.04	0.00	₹3,53.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,53.96				
2217-80.191.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	18,00.00	11,91.31	11,91.31	0.00	₹6,08.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,08.69				
2217-80.191.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	12,00.00	7,94.21	7,94.21	0.00	₹4,05.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,05.79				

**अनुदान संख्या - 48 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2217-80.191.67- बाह्य संपोषित योजनाओं हेतु अनुदान (ई.ए.पी.) (राज्य स्कीम)	मूल	1,85,00.00	1,60,00.00	1,60,00.00	0.00	₹25,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,00.00				
2217-80.191.73- स्वच्छ भारत मिशन (टोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	20,00.00	1,33.94	1,33.94	0.00	₹18,66.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,66.06				
2217-80.191.73- स्वच्छ भारत मिशन (टोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	13,50.00	58.00	58.00	0.00	₹12,92.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,92.00				
2217-80.191.81- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल बेसिक ग्रांट के तहत नगर निगमों को अनुदान (के.से. स्कीम)	मूल	3,30,68.62	3,49,06.76	3,49,06.76	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹5,55.44 लाख की कमी निधि प्रदान किये जाने के कारण हुई। ₹41,06.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	65,00.00				
	पुनर्वि.	(-)46,61.86				
2217-80.191.83- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल परफारमेंस ग्रांट के तहत नगर निगमों को अनुदान (के.से.स्कीम)	मूल	90,93.37	52,73.82	52,73.82	0.00	₹63,19.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	25,00.00				
	पुनर्वि.	(-)63,19.55				

अनुदान संख्या - 48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2217-80.191.86- बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु नगर निगमों को सहाय्य अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	2,00.00	1,50.00	1,50.00	0.00	₹50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2217-80.191.89- प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए अनुदान (पी.एम्.ए.वाई.) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	70,00.00	36,34.20	36,34.20	0.00	₹33,65.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33,65.80				
2217-80.191.93- संस्थाओं का विकास एवं क्षमता संवर्धन (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	40.26	40.26	0.00	₹1,59.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,59.74				
2217-80.191.94- शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचना, आवास आदि शहरी योजनाएं (राज्य स्कीम)	मूल	1,65,00.00	90,31.23	90,31.23	0.00	₹74,68.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)74,68.77				
2217-80.192.07- नगर परिषद्/नगर पालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतानादि भुगतान हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	9,76.33	4,81.07	4,81.07	0.00	₹4,95.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,95.26				

**अनुदान संख्या - 48 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2217-80.192.40- शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	6,06.17	4,29.52	4,29.52	0.00	₹1,76.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,76.65				
2217-80.192.84- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल परफारमेंस ग्रान्ट के तहत नगर परिषदों/ नगरपालिकाओं को अनुदा (के.से. स्कीम)	मूल	27,18.11	12,24.56	12,24.56	0.00	₹24,93.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10,00.00				
	पुनर्वि.	(-)24,93.55				
2217-80.193.07- नगर परिषद्/ नगर पालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतानादि भुगतान हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	1,29.74	55.67	55.67	0.00	₹74.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)74.07				



अनुदान संख्या - 48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2217-80.193.40- शहरी स्थानीय निकायों में पदास्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर व्यय हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	5,19.03	3,39.03	3,39.03	0.00	₹1,80.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,80.00				
2217-80.193.85- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जेनरल परफार्मेंस ग्रांट के तहत नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र समितियों को अनुदान (के.से स्कीम)	मूल	8,23.52	2,99.22	2,99.22	0.00	₹10,24.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5,00.00				
	पुनर्वि.	(-)10,24.30				
2217-80.789.33- शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	17,50.00	13,20.18	13,20.18	0.00	₹4,29.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,29.82				
2217-80.789.34- शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुरक्षा सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	23,00.00	18,36.39	18.36.39	0.00	₹4,63.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,63.61				

अनुदान संख्या - 48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2217-80.789.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ( एम.यू.एल.एम. ) हेतु अनुदान ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	7,00.00	3,66.19	3,66.19	0.00	₹3,33.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,33.81				
2217-80.789.60- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ( एम.यू.एल.एम. ) हेतु अनुदान ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	4,50.00	2,44.13	2,44.13	0.00	₹2,05.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,05.87				
2217-80.789.89- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अनुदान ( पी.एम.एम.वाई ) ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	25.00.00	19,21.80	19,21.80	0.00	₹5,78.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,78.20				
2217-80.789.94- शहरी जलापूर्ति, टोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचना, आवास आदि शहरी योजनाएं ( राज्य स्कीम )	मूल	60,00.00	50,00.00	50,00.00	0.00	₹10,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2217-80.796.38- शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान ( राज्य स्कीम )	मूल	17,50.00	3,48.65	3,48.65	0.00	₹14,01.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,01.35				

अनुदान संख्या - 48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2217-80.796.60- शहरी आजीविका मिशन ( एम.यू.एल. एम.) हेतु अनुदान ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	20,00.00	70.00	70.00	0.00	₹19,30.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,30.00				
2217-80.796.60- शहरी आजीविका मिशन ( एम.यू.एल. एम.) हेतु अनुदान ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	13,50.00	46.67	46.67	0.00	₹13,03.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,03.33				
2217-80.796.73- स्वच्छ भारत मिशन ( ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित ) ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	24,00.00	90.00	90.00	0.00	₹23,10.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)23,10.00				
2217-80.796.73- स्वच्छ भारत मिशन ( ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित ) ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	16,50.00	60.00	60.00	0.00	₹15,90.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,90.00				
2217-80.796.89- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अनुदान ( पी.एम.ए.वाई. ) ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	75,00.00	17,51.37	17,51.37	0.00	₹57,48.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57,48.63				
2217-80.796.93- संस्थाओं का विकास एवं क्षमता संवर्धन ( राज्य स्कीम )	मूल	2,75.00	2,08.47	2,08.47	0.00	₹66.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66,53				

**अनुदान संख्या - 48 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2217-80.796.94- शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचना, आवास आदि शहरी योजनाएं (राज्य स्कीम)	मूल	2,50,00.00	1,21,09.95	1,21,09.95	0.00	₹1,28,90.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,28,90.05				
2217-80.796.96- भूमि अधिग्रहण एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	3,50.00	3,50.00	0.00	₹6,50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,50.00				
2251-00.090.05- शहरी विकास विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	5,31.34	4,20.49	4,20.49	0.00	₹1,10.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,10.85				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2217-80.001.98- झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार स्थापना हेतु सहाय्य अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	0.00	71.10	0.00	(-)71.10	₹71.10 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	71.10				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 48 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2217-80.191.37- शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज कल्याण के लिए सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2217-80.191.80- पी.पी.पी परियोजनाओं का क्रियान्वयन (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	0.00	0.00	0.00	₹2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				
2217-80.191.96- भूमि अधिग्रहण एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2217-80.191.97- क्षमता संवर्द्धन हेतु क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2217-80.789.37- शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज कल्याण के लिए सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

**अनुदान संख्या - 48 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2217-80.796.37- शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज कल्याण के लिए सहाय्य अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
2217-80.796.67- बाह्य संपोषित योजनाओं हेतु अनुदान (ई.ए.पी.) (राज्य स्कीम)	मूल	90,00.00	0.00	0.00	0.00	₹90,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90,00.00				
2217-80.796.80- पी.पी.पी. परियोजनाओं का क्रियान्वयन (राज्य स्कीम)	मूल	7,50.00	0.00	0.00	0.00	₹7,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,50.00				
2217-80.796.97- क्षमता संवर्द्धन हेतु क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

**अनुदान संख्या - 48 क्रमशः**

**पूँजी :**

- (5) ₹15,05.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 में प्राप्त किया गया ₹50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो), मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
6217-60.191.03- नगर निगमों को उनके नियमित कर्मियों के वेतानादि के भुगतान हेतु ऋण (स्थापना व्यय)	मूल	22,40.00	16,53.78	16,53.78	0.00	₹5,86.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,86.22				
6217-60.192.03- नगर परिषद्/नगर पालिका को उनके नियमित कर्मियों के वेतानादि के भुगतान हेतु ऋण (स्थापना व्यय)	मूल	13,01.78	6,41.43	6,41.43	0.00	₹6,60.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,60.35				
6217-60.193.02- पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों को उनके नियमित कर्मियों के वेतानादि के भुगतान हेतु ऋण (स्थापना व्यय)	मूल	1,72.98	63.63	63.63	0.00	₹1,09.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,09.35				

अनुदान संख्या - 48 क्रमांत

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4217-60.190.49- संस्थाओं को हिस्सापूंजी हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	50.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
4217-60.796.49- संस्थाओं को हिस्सापूंजी हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				



## अनुदान संख्या 49 - जल संसाधन विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2700-मुख्य सिंचाई, 2701- मध्यम सिंचाई, 2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	4,07,54,12	4,08,67,94	3,18,54,04	(-)90,13,90
अनुपूरक	1,13,82			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

90,13,15

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	19,40,04,00	19,40,04,00	11,69,93,31	(-)7,70,10,69
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

7,67,07,41

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹90,13.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹58.00 लाख), जनवरी 2020 (₹44.22 लाख) एवं मार्च 2020 (₹11.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,13.82 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 49 क्रमशः**

(2) बचत (₹25.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2700-01.001.02- स्वर्णरेखा बाँध परियोजना (स्थापना व्यय)	मूल	1,93,58.53	1,53,82.12	1,53,82.12	0.00	₹39,81.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5.10				
	पुनर्वि.	(-)39,81.51				
2701-03.001.06- माध्यम सिंचाई परियोजना (स्थापना व्यय)	मूल	84,16.86	56,52.09	56,52.09	0.00	₹27,65.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.94				
	पुनर्वि.	(-)27,65.71				
2701-03.001.07- माध्यम सिंचाई परियोजना (स्थापना व्यय)	मूल	1,12,06.80	90,60.67	90,60.67	0.00	₹21,47.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1.18				
	पुनर्वि.	(-)21,47.31				

(3) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2711-01.001.01- गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बाढ़ के दौरान मरम्मतकारण का कार्य (स्थापना व्यय)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				

**अनुदान संख्या - 49 क्रमशः**

**पूंजी :**

- (4) अभ्यर्पित प्रावधान (₹7,67,07.41 लाख), अंतिम बचत (₹7,70,10.69 लाख) से ₹3,03.28 लाख कम था।
- (5) शीर्ष 4701-80.789.62- मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम) एवं 4701-80.796.54- सम्पूर्ण सिंचाई योजना का ई.आर.एम. (राज्य योजना) के अंतर्गत ₹2,40.99 लाख एवं ₹6,73.78 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹93,00.00 लाख एवं ₹1,40,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4700-80.789.12- ए.आई.बी.पी एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,40,00.00	36,34.34	30,08.66	(-)6,25.68	₹1,09,91.34 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,03,65.66				
4700-80.796.12- ए.आई.बी.पी एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,00,00.00	1,49,02.66	1,54,60.14	+5,57.48	₹1,45,39.86 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50,97.34				
4700-80.796.12- ए.आई.बी.पी एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,20,00.00	48,51.92	48,72.84	+20.92	₹71,27.16 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)71,48.08				
4700-80.796.13- स्वर्णरेखा परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,40,00.00	65,78.91	65,87.80	+8.89	₹74,12.20 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)74,21.09				

अनुदान संख्या - 49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति
4701-80.052.70- ई-गवर्नेंस (राज्य स्कीम)	मूल	6,50.00	99.72	1,00.67	+0.95	₹5,49.33 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,50.28				
4701-80.789.46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	6,74.71	6,61.32	(-)13.39	₹2,38.68 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,25.29				
4701-80.789.64- छोटानागपुर तथा संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	54,00.00	21,24.45	21,24.45	0.00	₹32,75.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32,75.55				
4701-80.789.66- भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का मरम्मतकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	25,00.00	10,57.79	10,57.79	0.00	₹14,42.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,42.21				
4701-80.796.46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (राज्य स्कीम)	मूल	7,00.00	2,89.67	2,89.67	0.00	₹4,10.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,10.33				
4701-80.796.62- मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	92,00.00	65,68.26	64,23.86	(-)1,44.40	₹27,76.14 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26,31.74				

अनुदान संख्या - 49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4701-80.796.67- जीर्ण वाहनों का पुनर्स्थापन एवं नए वाहनों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	16.35	16.31	(-)0.04	₹83.69 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)83.65				
4701-80.796.68- भवनों का रखरखाव (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	3,49.12	3,49.12	0.00	₹11,50.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,50.88				
4701-80.796.70- ई-गवर्नेंस (राज्य स्कीम)	मूल	3,50.00	1,85.67	1,85.67	0.00	₹1,64.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,64.33				
4701-80.796.74- अवशेष कार्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजना के 2011-12 में पूर्ण किये जाने का दायित्व (राज्य स्कीम)	मूल	33,20.00	6,10.20	6,10.70	+0.50	₹27,09.30 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27,09.80				
4701-80.796.75- सर्वे, जांच, परामर्श तथा मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	17,00.00	39.23	39.23	0.00	₹16,60.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,60.77				
4701-80.800.46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन (राज्य स्कीम)	मूल	14,94.00	5,53.30	5,53.19	(-)0.11	₹9,40.81 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,40.70				

अनुदान संख्या - 49 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
4701-80.800.54-सम्पूर्ण सिंचाई योजना का ई.आर.एम. (राज्य योजना)	मूल	3,60,00.00	2,99,72.56	2,96,81.33	(-)2,91.23	₹63,18.67 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60,27.44				
4701-80.800.64-छोटानागपुर तथा संधाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	91,00.00	79,97.91	79,97.91	0.00	₹11,02.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,02.09				
4701-80.800.71-अवशेष कार्य एवं छोटानागपुर तथा संधाल परगना सिंचाई परियोजना के 2011-12 में पूर्ण किये जाने का दायित्व (राज्य स्कीम)	मूल	24,50.00	21,68.18	3,15.00	(-)18,53.18	₹21,35.00 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,81.82				
4701-80.800.75-सर्वे, जांच, परामर्श तथा मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	33,00.00	74.97	74.97	0.00	₹32,25.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)32,25.03				
4711-01.789.58-नए बाढ़ नियंत्रण/कटाव विरोधी कार्य का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	34.04	34.04	0.00	₹4,65.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,65.96				

**अनुदान संख्या - 49 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4711-01.796.58- नए बाढ़ नियंत्रण/ कटाव विरोधी कार्य का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	5,12.91	5,12.91	0.00	₹4,87.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,87.09				

(6) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4700-80.796.11- स्वणरेखा परियोजना ( उड़ीसा/पश्चिम बंगाल की शेयर राशि) (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
4701-80.003.69- प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4701-80.789.65- छोटानागपुर तथा संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत नए योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	0.00	0.00	0.00	₹12,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				

**अनुदान संख्या - 49 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4701-80.796.12- बाँध सुरक्षा एवं हाइड्रोलॉजी परियोजना-2 (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4701-80.796.14- झारखण्ड सिंचाई आयोग का गठन (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
4701-80.796.39- वाल्मी तथा सिंचाई भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,10.00	0.00	0.00	0.00	₹1,10.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,10.00				
4701-80.800.65- छोटानागपुर तथा संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत नए योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	16,65.00	0.00	0.00	0.00	₹16,65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,65.00				
4701-80.800.66- जीर्ण वाहनों का पुनर्स्थापन एवं नये वाहनों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	₹4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				



अनुदान संख्या - 49 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4711-80.789.59- चालू बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4711-80.796.56- बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	0.00	0.00	0.00	₹75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)75.00				

(7) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अधिकाई सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4700-80.789.13- स्वर्णरेखा परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,27,00.00	91,21.63	91,57.30	+35.67	₹35,78.37 लाख प्रत्याशित बचत तथा ₹35.67 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)35,78.37				

**अनुदान संख्या - 49 क्रमांत**

(8) निम्नलिखित मामले में, बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
4700-03.799.01- उच्चत-विविध निर्माण कार्य अग्रिम (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	20,43.96	+20,43.96	₹20,43.96 लाख की व्यय बिना बजट प्रावधान के किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(9) उच्चत लेन-देन:-

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹20,43.96 लाख (निवल) के व्यय को शीर्ष "उच्चत" के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है :-

**विविध निर्माण कार्य अग्रिम :** इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से बसूली योग्य राशियों के लिए नामें लेखांकित किए जाते हैं इस प्रकार उपशीर्ष के अन्तर्गत नामें शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्यौरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिये गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2020 का अन्तशेष
4701- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			( ₹ लाख में )		
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	1,06,79.34	20,44.73	0.77	20,43.96	1,27,23.30
<b>कुल</b>	<b>1,06,79.34</b>	<b>20,44.73</b>	<b>0.77</b>	<b>20,43.96</b>	<b>1,27,23.30</b>

## अनुदान संख्या 50 - जल संसाधन विभाग ( लघु सिंचाई प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष- 2702-लघु सिंचाई, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	1,11,83,49	1,11,91,32	75,33,06	(-)36,58,26
अनुपूरक	7,83			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2020) 36,58,26

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	5,79,56,00	5,80,36,00	1,58,84,85	(-)4,21,51,15
अनुपूरक	80,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (मार्च 2020) 4,21,54,57

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹36,58.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹5.00 लाख) एवं जनवरी 2020 (₹2.83 लाख) में प्राप्त किया गया ₹7.83 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 50 क्रमशः**

(2) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2702-02.005.01- सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (स्थापना व्यय)	मूल	1,05,23.49	75,22.47	75,22.47	0.00	₹30,08.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	7.10				
	पुनर्वि.	(-)30,08.12				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति	
2702-01.102.02- झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झलको हेतु वेतन अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,25.00	0.00	0.00	0.00	₹3,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,25.00				
2702-01.796.02- झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झलको हेतु वेतन अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,25.00	0.00	0.00	0.00	₹3,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,25.00				

**पूँजी :**

(4) ₹4,21,51.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹80.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(5) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,21,54.57 लाख), अंतिम बचत (₹4,21,51.15 लाख) से ₹3.42 लाख अधिक था।

**अनुदान संख्या - 50 क्रमशः**

(6) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4702-00.101.18- चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,85.00	2,91.24	2,91.24	0.00	₹1,73.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	80.00				
	पुनर्वि.	(-)1,73.76				
4702-00.101.19- नये लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,79,00.00	29,24.05	29,24.05	0.00	₹1,49,75.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,49,75.95				
4702-00.101.20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का संपोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	1,26,00.00	33,35.92	33,35.92	0.00	₹92,64.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)92,64.08				
4702-00.101.25- भवन/गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	38.95	38.95	0.00	₹2,11.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,11.05				
4702-00.101.31- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	2.09	2.09	0.00	₹97.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)97.91				

**अनुदान संख्या - 50 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4702-00.101.37- रेशनलाईजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टेटिस्टिक (के.से. स्कीम)	मूल	3,00.00	44.54	44.54	0.00	₹2,55.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,55.46				
4702-00.796.18- चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	13,25.00	4,50.61	5,01.12	+50.51	₹8,23.39 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,74.39				
4702-00.796.19- नये लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,40,00.00	72,06.30	71,57.07	(-)49.23	₹68,42.93 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67,93.70				
4702-00.796.20- नये लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	95,00.00	15,11.65	15,11.65	0.00	₹79,88.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)79,88.35				
4702-00.796.25- भवन/गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	4,80.00	40.00	40.00	0.00	₹4,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,40.00				
4702-00.796.27- ई-गवर्नेंस (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	3.00	3.00	0.00	₹97.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)97.00				

अनुदान संख्या - 50 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
4702-00.796.37- रेशनलाईजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	33.06	35.21	+2.15	₹1,64.78 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,66.93				

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
4702-00.101.24- नई योजनाओं का भूगर्भ जल सर्वेक्षण/ कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	1,30.00	0.00	0.00	0.00	₹1,30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,30.00				
4702-00.789.18- चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	0.00	0.00	0.00	₹90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.00				
4702-00.789.20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का संपोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	81.00	0.00	0.00	0.00	₹81.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)81.00				

**अनुदान संख्या - 50 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति	
4702-00.796.16- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का संपोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	55.00	0.00	0.00	0.00	₹55.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55.00				
4702-00.796.24- नई योजनाओं का भूगर्भ जल सर्वेक्षण/ कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
4702-00.796.29- जीर्णशीर्ण वाहनों का पुनर्स्थापन कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
4702-00.796.31- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				



**अनुदान संख्या - 50 क्रमांत**

(8) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामले में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में कटौती अधिकाई सिद्ध हुआ :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4702-00.789.19- नये लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,30.00	0.00	20.71	+20.71	₹1,30.00 लाख के प्रत्याशित बचत तथा ₹20.71 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,30.00				

(9) उचंत लेन-देन:-

(क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से कोई भी राशि को शीर्ष “उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था, जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, तो वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं।

विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है :-

**विविध निर्माण कार्य अग्रिम :** इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से बसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किए जाते हैं इस प्रकार उपशीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(ख) विविध निर्माण कार्य अग्रिम के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्यौरे और साथ ही उनके आदिशेष और अन्तशेष नीचे दिये गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2020 का अन्तशेष
4701- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			( ₹ लाख में )		
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	6,02.30	0.00	0.00	0.00	6,02.30
<b>कुल</b>	<b>6,02.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,02.30</b>

**अनुदान संख्या 51 - अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक  
एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ( अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,  
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण 2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	16,16,69,28	17,37,07,95	12,10,70,93	(-)5,26,37,02
अनुपूरक	1,20,38,67			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

5,15,51,80

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	1,61,50,00	1,64,00,00	1,07,73,40	(-)56,26,60
अनुपूरक	2,50,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

56,26,60

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹5,26,37.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹71,75.32 लाख), एवं जनवरी 2020 (₹48,63.35 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,20,38.67 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹5,15,51.80 लाख), अंतिम बचत (₹5,26,37.02 लाख) से ₹10,85.22 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2225-02.277.04- आवासीय विद्यालय (स्थापना व्यय), 2225-02.796.11- प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के. से.स्कीम), 2225-03.277.10- साईकिल योजना (राज्य स्कीम), 2225-03.277.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम), 2225-03.796.23- प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (पुस्तक अधिकोष सहित) (राज्य स्कीम) एवं 2225-03.796.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य योजना) के अंतर्गत ₹5,12.63 लाख, ₹3,00.58 लाख, ₹1,73.44 लाख, ₹5,02.41 लाख, ₹2,75.26 लाख एवं ₹1,13.77 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹86,09.61 लाख, ₹76,91.00 लाख, ₹31,00.00 लाख, ₹53,40.00 लाख, ₹73,13.00 लाख एवं ₹32,80.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.001.01- निदेशन एवं प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	30,35.30	23,45.15	23,45.15	0.00	₹6,91.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,91.33				
2225-01.277.02- छात्रावास संधारण (स्थापना व्यय)	मूल	2,05.08	88.80	88.80	0.00	₹1,16.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,16.28				
2225-01.277.03- आवासीय विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	29,66.03	25,86.84	25,86.84	0.00	₹3,79.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,79.19				

**अनुदान संख्या - 51 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2225-01.789.01- निदेशन एवं प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	2,25.00	2,44.25	2,44.25	0.00	₹39.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	58.73				
	पुनर्वि.	(-)39.48				
2225-01.789.03- प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (स्थापना व्यय)	मूल	25,95.00	1,29.69	1,29.69	0.00	₹24,65.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,65.31				
2225-01.789.06- सेमिनार, प्रदर्शनी आदि (स्थापना व्यय)	मूल	1,00.00	20.43	20.43	0.00	₹79.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)79.57				
2225-01.789.09- नागरिक सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक तंत्र का सुदृढीकरण (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,00.00	33.18	33.18	0.00	₹66.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66.82				
2225-01.789.09- नागरिक सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक तंत्र का सुदृढीकरण (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,00.00	32.74	32.74	0.00	₹67.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)67.26				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2225-01.789.10- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	4,00.00	1,53.81	1,53.81	0.00	₹2,46.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,46.19				
2225-01.789.10- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	4,00.00	1,60.73	1,60.73	0.00	₹2,39.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,39.27				
2225-01.789.16- वोकेशनल प्रशिक्षण/ कौशल विकास ( राज्य स्कीम )	मूल	2,00.00	1,30.86	1,30.86	0.00	₹69.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)69.14				
2225-01.789.20- शिक्षा-अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को स्थापना अनुदान एवं सहायता ( राज्य स्कीम )	मूल	5,00.00	4,00.00	4,00.00	0.00	₹1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2225-01.789.42- शिक्षा-परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति ( राज्य स्कीम )	मूल	1,20.00	35.64	35.64	0.00	₹84.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)84.36				
2225-01.789.46- वैधिक सहायता ( राज्य स्कीम )	मूल	2,00.00	92.27	92.27	0.00	₹1,07.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,07.73				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2225-01.789.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	27,21.00	14,04.34	14,04.34	0.00	₹13,16.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,16.66				
2225-01.789.59- प्रशिकोत्तर छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	27,00.00	22,14.43	22,14.43	0.00	₹4,85.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,85.57				
2225-01.789.61- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	12,27.00	4,31.84	4,31.84	0.00	₹7,95.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,95.16				
2225-01.789.62- मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	10,79.00	9,09.62	9,09.62	0.00	₹1,69.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,69.38				
2225-01.789.67- विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत विशेष अंगीभूत योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.से.स्कीम)	मूल	13,00.00	39,32.63	28,69.53	(-)10,63.10	₹46,07.65 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	61,77.18				
	पुनर्वि.	(-)35,44.55				
2225-01.789.86- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग 9 एवं 10) (के.से.स्कीम)	मूल	10,00.00	10,39.62	10,39.62	0.00	₹4,91.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5,31.31				
	पुनर्वि.	(-)4,91.69				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2225-01.789.87- आयवृद्धि एवं आजीविका विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.24	0.24	0.00	₹99.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)99.76				
2225-02.277.03- आयवृद्धि एवं आजीविका विकास (राज्य स्कीम)	मूल	6,54.88	5,57.06	5,57.06	0.00	₹97.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)97.82				
2225-02.277.10- परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	16.87	16.87	0.00	₹58.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)58.13				
2225-02.277.13- साईकिल योजना (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	6,87.08	6,87.08	0.00	₹1,12.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,12.92				
2225-02.277.26- झारखण्ड जनतातीय शोध संस्थान, रांची (स्थापना व्यय)	मूल	1,95.17	1,61.82	1,61.82	0.00	₹34.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1.00				
	पुनर्वि.	(-)34.35				
2225-02.277.46- चिकित्सा सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	2,50.00	1,12.59	1,12.59	0.00	₹1,37.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,37.41				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2225-02.277.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	1,43.40	1,43.40	0.00	₹8,56.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,56.60				
2225-02.277.59- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	72.90	72.90	0.00	₹11,27.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,27.10				
2225-02.277.61- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	1,77.58	1,77.58	0.00	₹6,22.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,22.42				
2225-02.277.65- प्रशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के.से. स्कीम)	मूल	20,40.00	11,92.51	11,92.51	0.00	₹9,97.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,50.00				
	पुनर्वि.	(-)9,97.49				
2225-02.277.85- मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (के.से. स्कीम)	मूल	4,40.00	3,74.07	3,74.07	0.00	₹65.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)65.93				
2225-02.277.98- शहीद ग्राम विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	2,50.00	2,30.26	(-)19.74	₹1,69.74 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				



अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-02.277.A4- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति ( के.से स्कीम)	मूल	15,00.00	8,25.27	8,25.27	0.00	₹6,74.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,74.73				
2225-02.282.01- आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्र (स्थापना व्यय)	मूल	2,09.66	1,70.01	1,70.01	0.00	₹39.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.65				
2225-02.796.01- विशेष केन्द्रीय सहायता (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) ( के.से.स्कीम)	मूल	1,50,00.00	71,83.92	71,83.92	0.00	₹78,16.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78,16.08				
2225-02.796.04- आदिम जनजातियों का संरक्षण सह विकास ( सी.सी.डी.) ( के.से.स्कीम)	मूल	29,00.00	39,50.79	39,50.79	0.00	₹13,89.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	24,40.27				
	पुनर्वि.	(-)13,89.48				
2225-02.796.13- साईकिल स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	26,00.00	23,33.30	23,23.30	0.00	₹2,76.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,76.70				
2225-02.796.42- शिक्षा-परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	1,75.00	69.90	69.90	0.00	₹1,05.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,05.10				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2225-02.796.46- चिकित्सा सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	1,22.91	1,22.91	0.00	₹1,27.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,27.09				
2225-02.796.57- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	46,50.00	26,57.47	26,57.47	0.00	₹20,92.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-)20,92.63				
2225-02.796.59- प्रशिकोत्तर छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	45,00.00	14,30.53	14,30.53	0.00	₹10,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधि का प्रावधान में वृद्धि की गई थी। ₹30,69.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30,69.47				
2225-02.796.61- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	24,00.00	8,90.35	8,90.35	0.00	₹15,09.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,09.65				
2225-02.796.74- सेमिनार, टेक्नोलोजी/ एक्सपोजर विजिट (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,20.17	1,20.17	0.00	₹79.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)79.83				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2225-02.796.78- समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण ( आई.टी.डी.ए. ) ( राज्य स्कीम )	मूल	8,01.00	5,32.67	5,32.67	0.00	₹3,28.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	60.00				
	पुनर्वि.	(-)3,28.33				
2225-02.796.85- मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति ( राज्य स्कीम )	मूल	19,60.00	16,24.77	16,27.77	0.00	₹3,35.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	60.00				
	पुनर्वि.	(-)3,35.23				
2225-02.796.98- शहीद ग्राम विकास योजना ( राज्य स्कीम )	मूल	8,00.00	64.58	64.58	0.00	₹7,35.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,35.42				
2225-02.796.A1- गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों को अनुदान ( राज्य स्कीम )	मूल	12,30.00	10,96.80	10,96.80	0.00	₹1,33.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	60.00				
	पुनर्वि.	(-)1,33.20				
2225-02.796.A2- डा. राम दयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ( के.से.स्कीम )	मूल	20,00.00	15,66.05	15,66.05	0.00	₹4,33.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,33.95				

**अनुदान संख्या - 51 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2225-02.796.A3- संविधान का अनुच्छेद 275 (1) (के.से.स्कीम)	मूल	1,50,00.00	1,12,52.13	1,12,52.13	0.00	₹37,47.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37,47.87				
2225-02.796.A4- उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (के.से.स्कीम)	मूल	20,00.00	18,09.88	18,09.88	0.00	₹2,46.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	55.94				
	पुनर्वि.	(-)2,46.06				
2225-03.277.03- प्रवेशिकोत्तर प्राथमिकी छात्रवृत्ति (के.से.स्कीम)	मूल	12,00.00	8,08.27	8,08.27	0.00	₹3,91.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,91.73				
2225-03.277.05- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	16,05.00	7,39.29	7,39.29	0.00	₹8,65.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,65.71				
2225-03.277.06- पिछड़े वर्गों के लिए प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,00.00	1,07.18	1,07.18	0.00	₹1,92.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,92.82				
2225-03.277.06- पिछड़े वर्गों के लिए प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,00.00	2,63.35	2,63.35	0.00	₹36.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.65				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2225-03.277.07- आवासीय विद्यालय का संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	1,70.00	1,16.91	1,16.91	0.00	₹53.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)53.09				
2225-03.277.08- वोकेशनल प्रशिक्षण/ कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	94.31	94.31	0.00	₹55.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55.69				
2225-03.277.12- प्रशिकोत्तर छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	88,30.00	75,27.30	75,27.30	0.00	₹10,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधि में प्रावधान की गई कमी के कारण हुई थी। ₹3,02.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,02.70				
2225-03.277.19- चिकित्सा सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,08.28	1,08.28	0.00	₹91.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)91.72				
2225-03.277.58- मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	22,30.00	15,60.04	15,60.04	0.00	₹6,69.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,69.96				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2225-03.277.66- परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	3,70.00	99.10	99.10	0.00	₹2,70.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,70.90				
2225-03.796.03- पिछड़ा वर्गों के लिए प्रवेशिकोत्तर प्रावैधिकी छात्रवृत्ति (के.से. स्कीम)	मूल	18,00.00	6,10.43	6,10.43	0.00	₹11,89.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,89.57				
2225-03.796.05- प्राथमिक विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	12,90.00	6,65.80	6,65.80	0.00	₹6,24.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,24.20				
2225-03.796.06- पिछड़ा वर्गों के लिए प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति के.प्रा. स्कीम-छात्रवृत्ति (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,00.00	2,05.46	2,37.08	+31.62	₹63.92 लाख की निवल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)95.54				
2225-03.796.06- पिछड़ा वर्गों के लिए प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,00.00	2,37.08	2,37.08	0.00	₹62.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)62.92				
2225-03.796.07- आवासीय विद्यालय का संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	2,30.00	1,91.10	1,91.10	0.00	₹38.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)38.90				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-03.796.10- साईकिल स्कीम (राज्य स्कीम)	मूल	16,00.00	12,90.66	12,90.66	0.00	₹3,09.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,09.34				
2225-03.796.19- चिकित्सा सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,22.96	1,22.96	0.00	₹77.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)77.04				
2225-03.796.58- मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	17,70.00	8,57.64	8,57.64	0.00	₹9,12.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,12.36				
2225-03.796.65- आयवृद्धि परिसम्पत्ति गतिविधि (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	3.94	3.94	0.00	₹96.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)96.06				
2225-03.796.66- परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	51.45	51.45	0.00	₹98.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)98.55				

**अनुदान संख्या - 51 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति
2251-00.090.06- कल्याण विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	5,02.95	5,30.38	5,30.38	0.00	₹67.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	95.00				
	पुनर्वि.	(-)67.57				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.789.21- प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2225-01.789.53- शिक्षा-कोचिंग एवं एलाइड (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2225-01.277.01- विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए अनुदान (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.से.स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				



अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2225-01.277.71- कोचिंग एवं एलाइड (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				
2225-02.277.A3- संविधान के अनुच्छेद 275(1) (के.से. स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				
2225-02.796.21- टी.सी.डी.सी. को हिस्सापूँजी (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2225-02.796.71- कोचिंग एवं एलाइड (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2225-03.277.65- आयवृद्धि परिसम्पत्ति गतिविधि (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,00.00				

**अनुदान संख्या - 51 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2225-03.277.87- कोचिंग एवं एलाइड (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2225-03.796.87- कोचिंग एवं एलाइड (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

**पूँजी :**

- (5) ₹56.26.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए जुलाई 2019 (₹50.00 लाख), एवं जनवरी 2020 (₹2,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) शीर्ष 4225-02.283.06- बिरसा आवास योजना (राज्य स्कीम) एवं 4225-02.796.06- बिरसा आवास योजना (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹34.97 लाख एवं ₹30,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
4225-02.277.33- आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/ मांझी हाउस, मानकी मुंडा हाउस, पाराहा हाउस, परगना हाउस एवं घुमकुड़ीया हाउस की निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	8,00.00	5,07.15	5,07.15	0.00	₹60.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधि में प्रावधान की गई कमी के कारण हुई थी। ₹2,32.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,92.85				

अनुदान संख्या - 51 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-02.277.37- जाहेरस्थान/हडगडी/ मसना/सरना की घेराबन्दी एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	20,00.00	15.95.37	15.97.37	0.00	₹73.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा निधि में प्रावधान की गई कमी के कारण हुई थी। ₹3,31.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,04.63				
4225-02.277.42- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	2,34.00	2,34.00	0.00	₹1,16.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,16.00				
4225-02.796.09- आवासीय विद्यालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	1,27.25	1,27.25	0.00	₹13,72.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-)13,72.75				
4225-02.796.42- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	2,34.00	2,34.00	0.00	₹1,16.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	(-)1,16.00				

**अनुदान संख्या - 51 क्रमशः**

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति
4225-01.789.02- छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4225-01.789.02- छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4225-01.789.19- आवासीय विद्यालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				
4225-02.277.05- आवासीय विद्यालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
4225-02.277.43- पी.वी.टी.जी. ग्राम उत्थान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

**अनुदान संख्या - 51 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4225-02.796.43- पी.वी.टी.जी. ग्राम उत्थान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	13,00.00	0.00	0.00	0.00	₹13,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,00.00				
4225-03.277.06- आवासीय विद्यालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	0.00	0.00	0.00	₹25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.00				
4225-03.796.02- आवासीय विद्यालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
4225-03.796.02- छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

**अनुदान संख्या 52 - पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग  
( कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	83,45,54	86,31,35	70,26,01	(-)16,05,34
अनुपूरक	2,85,81			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

16,02,79

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	48,20,00	52,20,00	24,89,27	(-)27,30,73
अनुपूरक	4,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

27,30,73

**टीका एवं टिप्पणियाँ :**

राजस्व :

- (1) ₹16,05.34 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹4.22 लाख), जनवरी 2020 (₹2,70.55 लाख) एवं मार्च 2020 (₹11.04 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,85.81 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 52 क्रमशः**

- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹16,02.79 लाख), अंतिम बचत (₹16,05.34 लाख) से ₹2.55 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2204-00.104.50- अंतर्राष्ट्रीय से प्रखण्ड स्तर तक खेल प्रतियोगिता / आयोजन / भागीदारी एवं साहसिक खेल (राज्य योजना) एवं 220-00.796.50- अंतर्राष्ट्रीय से प्रखण्ड स्तर तक खेल प्रतियोगिता / आयोजन / भागीदारी एवं साहसिक खेल (राज्य योजना) के अंतर्गत ₹36.50 लाख एवं ₹31.51 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹4,00.00 लाख एवं ₹5,00.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2204-00.001.39- क्रीडा निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	59.69	52.15	49.60	(-)2.55	₹16.86 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	6.77				
	पुनर्वि.	(-)14.31				
2204-000.102.01- राष्ट्रीय कैडेट कोर-प्रशानसन (स्थापना व्यय)	मूल	14,78.70	11,17.13	11,17.13	0.00	₹3,61.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,61.57				
2204-00.104.27- खिलाड़ी कल्याण कोष/ छात्रवृत्ति/ सम्मान/ पूर्व खिलाड़ी पेंशन, बीमा (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	1,58.06	1,58.06	0.00	₹41.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41.94				
2204-00.796.13- युवा गतिविधियाँ (राज्य स्कीम)	मूल	85.00	55.22	55.22	0.00	₹29.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)29.78				

अनुदान संख्या - 52 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2204-00.796.27- खिलाड़ी कल्याण कोष/ छात्रवृत्ति/ सम्मान/ पूर्व खिलाड़ी पेंशन, बीमा (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	2,42.34	2,42.34	0.00	₹57.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)57,66				
2204-00.796.38- स्टेडियम एवं खेल छात्रावास का अनुरक्षण, मरम्मती, सुसज्जीकरण एवं रख-रखाव (राज्य स्कीम)	मूल	3,75.00	1,73.53	1,73.53	0.00	₹2,01.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,01.47				
2205-00.107.03- संग्रहालय (स्थापना व्यय)	मूल	1,04.40	96.28	96.28	0.00	₹15.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	7.00				
	पुनर्वि.	(-)15.12				
2205-00.796.34- सांस्कृतिक कल्याण योजना एवं सांस्कृतिक प्रकाशन (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	21.10	21.10	0.00	₹53.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)53.90				
2205-00.796.40- सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं का अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	1,35.00	1,35.00	0.00	₹15.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.00				
2251-00.090.02- कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	1,76.72	1,51.01	1,51.01	0.00	₹25.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25.71				



अनुदान संख्या - 52 क्रमशः

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2204-00.104.38- स्टेडियम एवं खेल छात्रावास का अनुरक्षण, मरम्मती, सुसज्जीकरण एवं रख-रखाव (राज्य स्कीम)	मूल	2,25.00	0.00	0.00	0.00	₹2,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,25.00				
2204-00.104.49- कमल क्लब, हॉकी एवं फूटबॉल खेल क्लब को अनुदान (पंचायत, प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय) (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	0.00	0.00	0.00	₹70.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.00				
2204-00.796.49- कमल क्लब, हॉकी एवं फूटबॉल खेल क्लब को अनुदान (पंचायत, प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय) (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	0.00	0.00	0.00	₹80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)80.00				
2205-00.101.34- सांस्कृतिक कल्याण योजना एवं सांस्कृतिक प्रकाशन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				

अनुदान संख्या - 52 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2205-00.104.44- सांस्कृतिक परामर्शी गतिविधि (राज्य स्कीम)	मूल	15.00	0.00	0.00	0.00	₹15.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.00				
2205-00.101.45- झारखण्ड राज्य साहित्य (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
2205-00.102.28- जनजातीय भाषा एवं संस्कृति उत्थान केन्द्र (राज्य स्कीम)	मूल	15.00	0.00	0.00	0.00	₹15.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.00				
2205-000.796.45- झारखण्ड राज्य साहित्य (राज्य स्कीम)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				

पूँजी :

- (5) ₹27,30.73 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 (₹4,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,85.81 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 52 क्रमशः**

(6) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो), मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4202-03.102.19-स्टेडियम / खेल तथा युवा छात्रावास / स्वामी विवेकानंद स्मारक / एन.सी. सी. भवन एवं खेल संरचना निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	8,49.99	8,49.99	0.00	₹3,50.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,50.01				
4202-03.102.20-प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय कमल क्लब मैदान का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	3,90.00	3,90.00	0.00	₹60.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
4202-03.796.19-स्टेडियम / खेल तथा युवा छात्रावास / स्वामी विवेकानंद स्मारक / एन.सी. सी. भवन एवं खेल संरचना निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	13,00.00	8,27.43	8,27.43	0.00	₹4,72.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	(-)4,72.57				
4202-03.796.20-प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय कमल क्लब मैदान का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	3,95.00	3,95.00	0.00	₹55.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,50.00				
	पुनर्वि.	(-)55.00				

**अनुदान संख्या - 52 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4202-04.101.12- सांस्कृतिक भवनों एवं संग्रहालय का निर्माण, सुरक्षा और रख-रखाव तथा पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण एवं रख-रखाव (राज्य स्कीम)	मूल	4,50.00	24.86	24.86	0.00	₹4,25.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,25.14				
4202-04.796.12- सांस्कृतिक भवनों एवं संग्रहालय का निर्माण, सुरक्षा और रख-रखाव तथा पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण एवं रख-रखाव (राज्य स्कीम)	मूल	5,70.00	2.00	2.00	0.00	₹5.68.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,68.00				

(7) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4202-03.102.09- खेल छात्रावास का निर्माण, रख-रखाव एवं सामग्री आपूर्त तथा क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में मैदान निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,25.00	0.00	0.00	0.00	₹1,25.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,25.00				

**अनुदान संख्या - 52 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4202-03.796.09- खेल छात्रावास का निर्माण, रख-रखाव एवं सामग्री आपूर्त तथा क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में मैदान निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	2,75.00	0.00	0.00	0.00	₹2,75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,75.00				
4202-04.101.13- रविन्द्र भवन प्रेक्षा गृह का निर्माण एवं स्थापना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,80.00	0.00	0.00	0.00	₹1,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,80.00				
4202-04.101.13- रविन्द्र भवन प्रेक्षा गृह का निर्माण एवं स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,80.00	0.00	0.00	0.00	₹1,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,80.00				
4202-04.101.13- रविन्द्र भवन प्रेक्षा गृह का निर्माण एवं स्थापना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				
4202-04.796.13- रविन्द्र भवन प्रेक्षा गृह का निर्माण एवं स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	20.00	0.00	0.00	0.00	₹20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)20.00				

**अनुदान संख्या 53 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( मत्स्य प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2405-मछली पालन, 4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (र हजार में)	वास्तविक व्यय (र हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (र हजार में)
मूल	73,10,42	73,10,82	58,68,82	(-)14,41,60
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

14,41,03

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (र हजार में)	वास्तविक व्यय (र हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (र हजार में)
मूल	42,26,20	54,26,20	38,67,18	(-)15,59,02
अनुपूरक	12,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

14,03,02

अनुदान संख्या - 53 क्रमशः

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) शीर्ष 2405-00.001.01- मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹1,44.84 लाख की बचत, तो कि ₹15,40.62 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.101.06- मत्स्य जलाशयों तथा तालाबों का जीर्णोद्धार एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	13,30.76	10,74.67	10,74.67	0.00	₹2,56.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,56.09				
2405-00.101.20- मत्स्य विकास अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,54.76	2,40.62	2,40.62	0.00	₹1,14.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,14.14				
2405-00.101.50- मत्स्य विपणन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	76.55	55.45	55.45	0.00	₹21.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)21.10				
2405-00.101.56- फीड बेस्ड फिशरीज (राज्य स्कीम)	मूल	72.00	32.98	32.98	0.00	₹39.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39.02				
2405-00.789.06- मत्स्य जलाशयों तथा तालाबों का जीर्णोद्धार एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	2,78.56	2,35.75	2,35.75	0.00	₹42.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42.81				

**अनुदान संख्या - 53 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2405-00.789.20- मत्स्य विकास अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	65.26	36.31	36.31	0.00	₹28.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.95				
2405-00.789.56- फीड बेस्ट फिशरीज (राज्य स्कीम)	मूल	20.80	5.36	5.36	0.00	₹15.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15.44				
2405-00.796.06- तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	11,78.68	9,46.20	9,46.20	0.00	₹2,32.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,32.48				
2405-00.796.20- मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,79.98	2,40.82	2,40.82	0.00	₹2,39.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,39.16				
2405-00.796.50- मत्स्य विपणन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	52.97	25.36	25.36	0.00	₹27.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27.61				
2405-00.796.56- फीड बेस्ट फिशरीज (राज्य स्कीम)	मूल	57.20	28.46	28.46	0.00	₹28.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28.74				



अनुदान संख्या - 53 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2405-00.796.62- नई योजना-ब्लू रेभोल्यूशन योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,60.60	2,62.42	2,62.42	0.00	₹98.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)98.18				
2405-00.796.62- नई योजना-ब्लू रेभोल्यूशन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,60.60	2,62.42	2,62.42	0.00	₹98.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)98.18				

पूजी :

- (2) ₹15,59.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹12,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (3) अभ्यर्पित प्रावधान (₹14,03.02 लाख), अंतिम बचत (₹15,59.02 लाख) से ₹1,56.00 लाख कम था।
- (4) शीर्ष 4405-00.101.69- वेद व्यास आवास योजना (राज्य स्कीम) तथा 4405-00.796.69- वेद व्यास आवास योजना (राज्य स्कीम) के अंतर्गत ₹51.60 लाख तथा ₹69.60 लाख की बचत, जो ₹13,86.00 लाख तथा ₹8,94.00 लाख के प्रावधान से कम है, के अलावे बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4405-00.101.73- मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	53.79	53.79	0.00	₹3,46.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,46.21				

**अनुदान संख्या - 53 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4405-00.796.64- रियरिंग तालाब का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,60.00	1,41.75	1,41.75	0.00	₹18.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18.25				
4405-00.796.73- मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	15.21	15.21	0.00	₹3,84.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,84.79				
4405-00.796.74- ब्लू रेभोल्युशन योजना (के.प्रा.यो. केन्द्रांश)	मूल	0.00	1,80.00	1,00.80	(-)79.20	₹79.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,80.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4405-00.796.74- ब्लू रेभोल्युशन योजना (के.प्रा.यो. राज्यांश)	मूल	0.00	1,20.00	67.20	(-)52.80	₹52.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,20.00				
	पुनर्वि.	0.00				

(5) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4405-00.101.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम-1, 2 एवं एन. एम्. पी. एस. (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	90.00	0.00	0.00	0.00	₹90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.00				

**अनुदान संख्या - 53 क्रमांत**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
4405-00.101.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम-1, 2 एवं एन. एम्. पी. एस. ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
4405-00.796.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम-1, 2 एवं एन. एम्. पी. एस. ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	90.00	0.00	0.00	0.00	₹90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)90.00				
4405-00.796.58- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-स्ट्रीम-1, 2 एवं एन. एम्. पी. एस. ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
4405-00.796.71- मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना ( राज्य स्कीम )	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
4405-00.796.72- मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना ( राज्य स्कीम )	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				

## अनुदान संख्या 54 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( डेयरी प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष- 2404-डेयरी विकास, 4404- डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	2,43,09,33	2,43,41,42	58,79,45	(-)1,84,61,97
अनुपूरक	32,09			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

1,84,61,97

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	2,00,00	2,00,00	0,00	(-)2,00,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

2,00,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹1,84,61.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 (₹31.09 लाख) एवं मार्च 2020 (₹1.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹32.09 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

**अनुदान संख्या - 54 क्रमशः**

(2) बचत (₹20.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2404-00.001.05- मुख्यालय स्थापना तथा डेयरी सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी (स्थापना व्यय)	मूल	2,14.63	1,67.80	1,67.80	0.00	₹61.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	14.91				
	पुनर्वि.	(-)61.74				
2404-00.102.07- क्षेत्रीय गव्य विकास कार्यालय एवं प्रशिक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	1,29.88	88.40	88.40	0.00	₹41.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)41.48				
2404-00.102.66- प्रशिक्षण प्रसार एवं कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	2,54.75	99.30	99.30	0.00	₹1,55.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,55.45				
2404-00.102.80- लाभुकोन्मुखी कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	65,60.00	28,33.84	28,33.84	0.00	₹37,26.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)37,26.16				
2404-00.789.80- लाभुकोन्मुखी कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	5,41.29	5,41.29	0.00	₹9,58.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,58.71				
2404-00.789.80- लाभुकोन्मुखी कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	15,00.00	5,41.29	5,41.29	0.00	₹9,58.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,58.71				

**अनुदान संख्या - 54 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2404-00.796.66- प्रशिक्षण प्रसार एवं कौशल विकास (राज्य स्कीम)	मूल	2,29.35	1,22.48	1,22.48	0.00	₹1,06.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,06.87				
2404-00.796.80- लाभुकोन्मुखी कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	29,90.00	12,31.89	12,31.89	0.00	₹17,58.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)17,58.11				

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2404-00.102.05- टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	27,50.00	0.00	0.00	0.00	₹27,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)27,50.00				
2404-00.102.68- दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन (राज्य स्कीम)	मूल	14,00.00	0.00	0.00	0.00	₹14,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,00.00				
2404-00.102.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,60.00	0.00	0.00	0.00	₹3,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,60.00				

अनुदान संख्या - 54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2404-00.102.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	2,40.00	0.00	0.00	0.00	₹2,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,40.00				
2404-00.102.74- नेशनल लाईवस्टॉक मिशन ( एन.एल.एम. ) ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	2,40.00	0.00	0.00	0.00	₹2,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,40.00				
2404-00.102.74- नेशनल लाईवस्टॉक मिशन ( एन.एल.एम. ) ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	1,60.00	0.00	0.00	0.00	₹1,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,60.00				
2404-00.102.76- नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेन्ट ( एन.पी.डी.डी ) ( राज्य स्कीम )	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2404-00.102.77- संरचना विकास एवं गोकुल ग्राम के साथ खटाल पुनर्वास ( राज्य स्कीम )	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				

**अनुदान संख्या - 54 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2404-00.102.82- बायो-गैस इकाई की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				
2404-00.102.83- स्कूली बच्चों के लिए गिफ्ट मिल्क (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	0.00	0.00	0.00	₹9,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,00.00				
2404-00.102.84- टोटल मिक्स राशन (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2404-00.102.85- फारमर्श फील्ड स्कूल (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
2404-00.789.05- टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	9,00.00	0.00	0.00	0.00	₹9,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,00.00				



अनुदान संख्या - 54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2404-00.789.68- दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन ( राज्य स्कीम )	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	₹4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2404-00.789.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	78.00	0.00	0.00	0.00	₹78.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.00				
2404-00.789.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	52.00	0.00	0.00	0.00	₹52.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)52.00				
2404-00.789.74- नेशनल लाईवस्टॉक मिशन ( एन.एल.एम. ) ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
2404-00.789.74- नेशनल लाईवस्टॉक मिशन ( एन.एल.एम. ) ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				

अनुदान संख्या - 54 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2404-00.796.05- टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	13,50.00	0.00	0.00	0.00	₹13,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,50.00				
2404-00.796.68- दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन (राज्य स्कीम)	मूल	7,00.00	0.00	0.00	0.00	₹7,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,00.00				
2404-00.796.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,62.00	0.00	0.00	0.00	₹1,62.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,62.00				
2404-00.796.73- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,08.00	0.00	0.00	0.00	₹1,08.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,08.00				

**अनुदान संख्या - 54 क्रमांत**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2404-00.796.77- संरचना विकास एवं गोकुल ग्राम के साथ खटाल पुनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	0.00	0.00	0.00	₹40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
2404-00.796.83- स्कूली बच्चों के लिए गिफ्ट मिल्क (राज्य स्कीम)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	₹6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				
2404-00.796.85- स्कूली बच्चों के लिए गिफ्ट मिल्क (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				

**पूँजी :**

(4) निम्नलिखित मामले में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
4404-00.102.78- कैटल हॉस्टेल (राज्य स्कीम)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

## अनुदान संख्या 55 - ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष- 2505-ग्राम रोजगार, 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	19,45,37,82	21,01,08,42	9,50,56,12	(-)11,50,52,30
अनुपूरक	1,55,70,60			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

10,60,71,53

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	21,95,80,00	21,95,80,00	15,74,71,52	(-)6,21,08,48
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

6,27,10,67

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(1) ₹11,50,52.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹3.50 लाख), जनवरी 2020 (₹55,67.10 लाख) एवं मार्च 2020 (₹1,00,00.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,55,70.60 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹10,60,71.53 लाख), अंतिम बचत (₹11,50,52.30 लाख) से ₹89,80.77 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 55 क्रमशः**

(3) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2505-01.702.11- एन.आर.ई.पी. क्षेत्रीय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	12,00.00	9,00.25	9,00.25	0.00	₹2,99.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,99.75				
2505-01.796.11- एन.आर.ई.पी. क्षेत्रीय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	13,00.00	8,78.01	8,78.01	0.00	₹4,21.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,21.99				
2515-00.001.25- मुख्य अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्यालय स्थापना) (स्थापना व्यय)	मूल	90.81	3.96	3.96	0.00	₹86.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)86.85				
2515-00.001.27- अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय स्थापना) (स्थापना व्यय)	मूल	79,04.76	68,22.74	68,17.13	(-)5.61	₹10,97.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10.12				
	पुनर्वि.	(-)10,92.14				
2515-00.102.08- मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता (ख) ग्रामीण विकास (विशेष प्रमण्डल स्थापना) (स्थापना व्यय)	मूल	6,79.25	4,45.83	4,45.83	0.00	₹2,33.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,33.42				

**अनुदान संख्या - 55 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2515-00.102.63- पी.एम.जी.एस.वाई. अन्तर्गत जे.एस.आर. आर. डी.ए. को अनुदान-उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पथ सम्पर्कता प्रदान हेतु (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,20,00.00	72,85.85	72,85.85	0.00	₹47,14.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)47,15.15				
2515-00.102.65- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पथों की मरम्मत हेतु जे.एस.आर.आर. डी.ए. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	50,00.00	10,00.00	(-)40,00.00	₹40,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	50,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2515-00.796.41- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जे.एस. आर. आर.डी.ए. को अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	3,60,00.00	2,14,62.68	2,14,62.68	0.00	₹1,45,37.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,45,37.32				
2515-00.796.41- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जे.एस. आर. आर.डी.ए. को अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,40,00.00	2,00,00.00	2,00,00.00	0.00	₹40,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40,00.00				

**अनुदान संख्या - 55 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2515-00.796.63- पी.एम.जी.एस.वाई. अन्तर्गत जे.एस. आर.आर.डी.ए. को अनुदान-उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पथ सम्पर्कता प्रदान हेतु ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	90,00.00	90,00.00	90,00.00	0.00	₹55,50.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	55,50.48				
	पुनर्वि.	(-)40,00.00				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2515-00.001.35- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-पी.आई.यू. का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2515-00.001.36- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम झारखण्ड राज्य ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण का उन्नयन एवं सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
2515-00.003.50- राज्य प्रशिक्षण नीति के अन्तर्गत कर्मियों/ पदाधिकारियों का प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				

**अनुदान संख्या - 55 क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2515-00.102.41- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जे.एस. आर.आर.डी.ए. को अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,40,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,40,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,40,00.00				
2515-00.102.41- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जे.एस.आर. आर.डी.ए. को अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,60,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,60,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,60,00.00				
2515-00.102.64- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पथों की मरम्मत हेतु जे.एस.आर.आर. डी.ए. को अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,25,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,25,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,25,00.00				
2515-00.796.35- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-पी.आई.यू. का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				



अनुदान संख्या - 55 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2515-00.796.36- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम झारखण्ड राज्य ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण का उन्नयन एवं सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
2515-00.796.50- राज्य प्रशिक्षण नीति के अन्तर्गत कर्मियों/ पदाधिकारियों का प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2515-00.796.64- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पथों की मरम्मत हेतु जे.एस.आर. आर.डी.ए. को अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,50,00.00	0.00	0.00	0.00	₹1,50,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50,00.00				
2515-00.796.65- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पथों की मरम्मत हेतु जे.एस.आर. आर.डी.ए. को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	50,00.00	0.00	(-)50,00.00	₹50,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	50,00.00				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या - 55 क्रमशः**

(5) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामलों में प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी अधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2515-00.001.28- अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग) गैर पी.एम. जी.एस.वाई. सड़क हेतु (स्थापना व्यय)	मूल	1,25,00.00	52,23.89	52,48.73	+24.84	निधि का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹85.00 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी की गई, ₹71,91.11 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹24.84 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)72,76.11				

**पूँजी :**

(6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹6,27,10.67 लाख), अंतिम बचत (₹6,21,08.48 लाख) से ₹6,02.19 लाख कम था।

(7) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4515-00.103.07- मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (राज्य स्कीम)	मूल	35,49.00	19,49.97	19,49.97	0.00	₹15,99.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,99.03				
4515-00.103.36- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम परामर्शी सेवाएं (राज्य स्कीम)	मूल	4,70.00	2,53.44	2,53.44	0.00	₹15,99.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,16.56				

अनुदान संख्या - 55 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4515-00.789.04- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम ग्रामीण पथों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,50,00.00	90,68.48	80,02.11	(-)10,66.37	₹69,97.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)59,31.52				
4515-00.789.10- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (राज्य स्कीम)	मूल	60,00.00	13,49.31	4,64.70	(-)8,84.61	₹55,35.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46,50.69				
4515-00.796.04- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम - ग्रामीण पथों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	7,20,00.00	5,87,61.94	5,85,76.77	(-)1,85.17	₹1,34,23.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,32,38.06				
4515-00.796.07- मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) (ग्रामीण कार्य विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	49,11.00	32,77.83	32,77.83	0.00	₹16,33.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,33.17				

**अनुदान संख्या - 55 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4515-00.796.36- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम परामर्शी सेवाएं (राज्य स्कीम)	मूल	4,70.00	2,04.47	2,04.47	0.00	₹2,65.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,65.53				

(8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4515-00.103.15- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-पी.एम. जी. एस.वाई./राज्य संपोषित योजना/ एम.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत सम्पर्क पथों हेतु भूमि अधिग्रहण (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				
4515-00.796.15- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम-पी.एम. जी.एस.वाई./राज्य संपोषित योजना/ एम.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत सम्पर्क पथों हेतु भूमि अधिग्रहण (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	0.00	0.00	0.00	₹60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60.00				

**अनुदान संख्या - 55 क्रमांत**

(9) अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए, निम्नलिखित मामलों में प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी अधिक सिद्ध हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4515-00.103.04- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम - ग्रामीण पथों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	6,30,00.00	3,97,76.50	4,11,87.24	+14,10.74	₹2,32,23.50 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹14,10.74 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,32,23.50				
4515-00.103.10- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,52,00.00	1,91,09.81	1,94,83.82	+3,74.01	₹60,90.19 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹3,74.01 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)60,90.19				
4515-00.796.10- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,88,00.00	2,31,13.97	2,40,67.56	+9,53.59	₹56,86.03 लाख की प्रत्याशित बचत एवं ₹9,53.59 लाख की अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)56,86.03				

## अनुदान संख्या 56 - ग्रामीण विकास विभाग ( पंचायती राज प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष- 2015-निर्वाचन, 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं कि क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 6515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिये कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	19,78,09,49	28,53,98,39	24,82,11,04	(-)3,71,87,35
अनुपूरक	8,75,88,90			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

3,71,85,77

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	6,00,00	6,00,00	0,00	(-)6,00,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

6,00,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹3,71,87.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹8,75,62.00 लाख), जनवरी 2020 (₹4.90 लाख) एवं मार्च 2020 (₹22.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹8,75,88.90 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ।

**अनुदान संख्या - 56 क्रमशः**

(2) बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2015-00.109.01- राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज) (स्थापना व्यय)	मूल	3,43.88	2,97.88	2,97.88	0.00	₹49.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.00				
2015-00.109.04- पंचायत चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	50.00	10.00	10.00	0.00	₹40.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40.00				
2515-00.001.03- जिला पंचायत स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	1,82,18.82	1,52,97.51	1,52,95.93	(-)1.58	₹29,25.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3.90				
	पुनर्वि.	(-)29,25.21				
2515-00.001.05- पंचायत चुनाव (स्थापना व्यय)	मूल	1,50.00	1,27.80	1,27.80	0.00	₹42.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-)42.20				
2515-00.001.06- पंचायत स्थापना - दलपतियों से संबंधित व्यय (स्थापना व्यय)	मूल	85.20	39.83	39.83	0.00	₹45.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)45.37				
2515-00.001.14- पंचायत मुख्यालय स्थापना (स्थापना व्यय)	मूल	1,47.99	91.24	91.24	0.00	₹56.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)56.75				

अनुदान संख्या - 56 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2515-00.001.54- पंचायत सचिवालय/ राज्य पंचायत स्वयं शासित परिषद् (स्थापना व्यय)	मूल	8,00.00	52.40	52.40	0.00	₹7,47.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,47.60				
2515-00.001.55- पंचायत राज स्वशासन परिषद् (स्थापना व्यय)	मूल	7,86.00	4,23.27	4,23.27	0.00	₹3,62.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,62.73				
2515-00.001.57- विभिन्न भवनों, परिसम्पत्तियों का निर्माण, मरम्मत एवं नवीनीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	2,29.24	2,29.24	0.00	₹70.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)70.76				
2515-00.001.59- कार्यालय एवं संस्थानों का सुदृढीकरण एव उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	25.49	25.49	0.00	₹1,24.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,24.51				
2515-00.001.61- आदिवासी विकास समिति/ग्राम विकास समिति (राज्य स्कीम)	मूल	36,00.00	11,01.50	11,01.50	0.00	₹24,98.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)24,98.50				
2515-00.003.01- कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत (स्थापना व्यय)	मूल	3,44.72	2,92.88	2,92.88	0.00	₹51.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.84				



अनुदान संख्या - 56 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2515-00.101.04- पंचायतों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का मानदेय/ दैनिक भत्ता/ यात्रा भत्ता का भुगतान (स्थापना व्यय)	मूल	20.00.00	12,51.63	12,51.63	0.00	₹7,48.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,48.37				
2515-00.789.57- विभिन्न भवनों, परिसम्पतियों का निर्माण, मरम्मत एवं नवीनीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,57.00	44.45	44.45	0.00	₹1,12.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,12.55				
2515-00.789.58- क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	54.00	54.00	0.00	₹46.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.00				
2515-00.789.59- कार्यालयों / संस्थानों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	48.65	48.65	0.00	₹51.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.35				
2515-00.789.59- कार्यालयों / संस्थानों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	1,00.00	48.65	48.65	0.00	₹51.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.35				

**अनुदान संख्या - 56 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2515-00.789.61- आदिवासी विकास समिति / ग्राम विकास समिति (राज्य स्कीम)	मूल	24,00.00	10,51.35	10,51.35	0.00	₹13,48.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,48.65				
2515-00.796.57- विभिन्न भवनों, परिसम्पतियों का निर्माण, मरम्मत एवं नवीनीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	4,80.00	2,60.78	2,60.78	0.00	₹2,19.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,19.22				
2515-00.796.58- क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	1,93.06	1,93.06	0.00	₹56.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)56.94				
2515-00.796.59- कार्यालयों / संस्थानों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	92.23	92.23	0.00	₹1,57.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,57.77				
2515-00.796.61- आदिवासी विकास समिति / ग्राम विकास समिति (राज्य स्कीम)	मूल	60,00.00	33,29.38	33,29.38	0.00	₹26,70.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26,70.62				
3451-00.090.17- पंचायत राज एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमण्डल) (स्थापना व्यय)	मूल	2,45.22	87.23	87.23	0.00	₹1,57.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,57.99				

**अनुदान संख्या - 56 क्रमशः**

(3) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2515-00.001.42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	0.00	0.00	0.00	₹30.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2515-00.001.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	7,20.00	0.00	0.00	0.00	₹7,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,20.00				
2515-00.001.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,80.00	0.00	0.00	0.00	₹4,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,80.00				
2515-00.101.06- पंचायत भवन का रख-रखाव (स्थापना व्यय)	मूल	5,00.00	0.00	0.00	0.00	₹5,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,00.00				

**अनुदान संख्या - 56 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2515-00.196.05- जिला परिषद् के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन, भत्ते तथा अन्यान्य सुविधाओं हेतु सहायता (स्थापना व्यय)	मूल	26.66	0.00	0.00	0.00	₹26.66 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26.66				
2515-00.198.45- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सामान्य परफौरमेन्स अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,99,53.00	0.00	0.00	0.00	₹1,99,53.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,99,53.00				
2515-00.789.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,80.00	0.00	0.00	0.00	₹4,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,80.00				
2515-00.789.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,20.00	0.00	0.00	0.00	₹3,20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,20.00				

**अनुदान संख्या - 56 क्रमांत**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2515-00.796.42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2515-00.796.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	12,00.00	0.00	0.00	0.00	₹12,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,00.00				
2515-00.796.56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	8,00.00	0.00	0.00	0.00	₹8,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,00.00				

**पूँजी :**

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
6515-00.197.01- जिला तथा स्थानीय निधि समितियों का उधार (स्थापना व्यय)	मूल	6,00.00	0.00	0.00	0.00	₹6,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,00.00				

## अनुदान संख्या 57 - नगर विकास एवं आवास विभाग ( आवास प्रभाग )

(मुख्य शीर्ष- 2216-आवास, 2515- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (र हजार में)	वास्तविक व्यय (र हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (र हजार में)
मूल	7,15,22	7,15.22	47,48	(-)6,67,74
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

6,67,74

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

(1) बचत (₹10.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान (र लाख में)	वास्तविक व्यय (र लाख में)	अधिक व्यय (+)/ बचत (-) (र लाख में)	अभ्युक्ति
2251-00.090.04- आवास विभाग (स्थापना व्यय)	मूल	1,15.22	47.48	47.48	0.00
	अनुपूरक	0.00			
	पुनर्वि.	(-)67.74			
₹67.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।					

**अनुदान संख्या - 57 क्रमांत**

(2) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2216-02.103.10- क्षमता संवर्द्धन हेतु आवास बोर्ड को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2216-02.103.11- भूमि अधिग्रहण एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु आवास बोर्ड को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	0.00	0.00	0.00	₹2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				
2216-02.796.10- क्षमता संवर्द्धन हेतु आवास बोर्ड को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2216-02.796.11- भूमि अधिग्रहण एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु आवास बोर्ड को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	0.00	0.00	0.00	₹2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				

**अनुदान संख्या 58 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग  
( माध्यमिक शिक्षा प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	20,97,62,27	21,18,91,45	14,57,62,25	(-)6,61,29,20
अनुपूरक	21,29,18			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

6,61,09,84

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	56,00,00	56,00,00	0,00	(-)56,00,00
अनुपूरक	0,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

56,00,00

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹6,61,29.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 (₹25.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹21,04.18 लाख) में प्राप्त किया गया ₹21,29.18 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹6,61,09.84 लाख), अंतिम बचत (₹6,61,29.20 लाख) से ₹19.36 लाख कम था।



**अनुदान संख्या - 58 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2202-02.109.01- माध्यमिक विद्यालय (स्थापना व्यय), 2202-02.109.68- गैर सरकारी प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम) एवं 2202-03.103.01- इंटरमीडियेट शिक्षा (+2 व्यवसायिक शिक्षा सहित) (स्थापना व्यय) के अंतर्गत ₹32,48.71 लाख, ₹2,85.83 लाख एवं ₹9,92.14 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹4,47,76.05 लाख, ₹42,50.00 लाख एवं ₹1,59,06.38 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.101.01- निरीक्षण (स्थापना व्यय)	मूल	3,14.69	2,59.50	2,59.50	0.00	₹55.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)55.19				
2202-02.109.03- इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग (स्थापना व्यय)	मूल	7,17.21	6,05.72	6,05.72	0.00	₹1,60.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	49.40				
	पुनर्वि.	(-)1,60.89				
2202-02.109.05- नेतरहाट आवासीय विद्यालय (आवासीय महाविद्यालय सहित) (सीडमनी) (स्थापना व्यय)	मूल	95.81	36.56	36.56	0.00	₹59.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)59.25				
2202-02.109.18- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत लोक प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	5,00.00	1,01.46	1,01.46	0.00	₹3,98.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,98.54				

**अनुदान संख्या - 58 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2202-02.109.24- सामान्य वर्ग के छात्राओं (वर्ग-8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	27,50.00	4,99.36	4,99.36	0.00	₹22,50.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,50.64				
2202-02.109.49- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	27,50.00	4,99.88	4,99.88	0.00	₹22,50.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,50.12				
2202-02.109.56- नेतरहाट विद्यालय समिति के कमियों को वेतन हेतु अनुदान (स्थापना व्यय)	मूल	11,27.09	9,63.55	9,63.55	0.00	₹1,63.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,63.54				
2202-02.109.62- छात्राओं को पोषाक, पाठ्य पुस्तक एवं कॉपी का निःशुल्क वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	26,54.24	26,54.24	0.00	₹3,45.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,45.76				
2202-02.109.66- उत्क्रमित उच्च विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	2,60,15.42	1,84,11.99	1,84,02.28	(-)9.71	₹76,13.14 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)76,03.43				
2202-02.109.67- 280 उत्क्रमित +2 विद्यालय का वेतन (राज्य स्कीम)	मूल	61,50.00	55,33.09	55,33.09	0.00	₹6,16.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,16.91				

अनुदान संख्या - 58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-02.109.71- झा.मा.शि.परि. परिषद् को आधारभूत संरचना एवं अन्य सुविधाओं का (गुणवत्ता शिक्षा हेतु अनुदान) (राज्य स्कीम)	मूल	30,00.00	15,00.00	15,00.00	0.00	₹15,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,00.00				
2202-02.109.73- ज्ञानोदय योजना (प्रकाशन एवं शिक्षण सेमिनार, शिक्षक पुरस्कार एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढीकरण सहित) (राज्य स्कीम)	मूल	13,00.00	57.19	57.19	0.00	₹12,42.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,42.81				
2202-02.789.18- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत लोक प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,70.00	37.86	37.86	0.00	₹1,32.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,32.14				
2202-02.789.24- सामान्य वर्ग के छात्रों (वर्ग-8) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	9,35.00	1,55.60	1,55.60	0.00	₹7,79.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,79.40				
2202-02.789.49- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	9,35.00	2,00.00	2,00.00	0.00	₹7,35.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,35.00				

अनुदान संख्या - 58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति
2202-02.789.62- छात्राओं को पोशाक, पाठ्य पुस्तक एवं कॉपी का निःशुल्क वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,20.00	6,78.16	6,78.16	0.00	₹3,41.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,41.84				
2202-02.789.66- उत्क्रमित उच्च विद्यालय का वेतन (राज्य स्कीम)	मूल	1,11,50.00	3,85.28	3,85.28	0.00	₹1,07,64.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,07,64.72				
2202-02.789.67- 280 उत्क्रमित उच्च +2 विद्यालय का वेतन (राज्य स्कीम)	मूल	20,90.00	10,19.18	10,19.18	0.00	₹10,70.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,70.82				
2202-02.789.68- गैर सरकारी प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	14,45.00	59.87	59.87	0.00	₹13,85.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)13,85.13				
2202-02.789.71- ज्ञा.मा.शि.परि. परिषद् को आधारभूत संरचना एवं अन्य सुविधाओं का (गुणवत्ता शिक्षा हेतु अनुदान) (राज्य स्कीम)	मूल	10,20.00	5,00.00	5,00.00	0.00	₹5,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,20.00				

अनुदान संख्या - 58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-02.789.73- ज्ञानोदय योजना ( प्रकाशन एवं शिक्षण सेमिनार, शिक्षक पुरस्कार एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढीकरण सहित ) ( राज्य स्कीम )	मूल	4,40.00	30.46	30.46	0.00	₹4,09.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,09.54				
2202-02.796.18- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत लोक प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण ( राज्य स्कीम )	मूल	3,30.00	76.81	76.81	0.00	₹5,53.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,53.19				
2202-02.796.24- सामान्य वर्ग के छात्राओं ( वर्ग-8 ) के बीच निःशुल्क साईकिल वितरण ( राज्य स्कीम )	मूल	18,15.00	3,29.56	3,29.56	0.00	₹14,85.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,85.44				
2202-02.796.49- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को सहायता ( राज्य स्कीम )	मूल	18,15.00	3,00.00	3,00.00	0.00	₹15,15.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,15.00				
2202-02.796.66- उत्क्रमित उच्च विद्यालय का वेतन ( राज्य स्कीम )	मूल	2,38,50.00	1,84,99.57	1,84,99.57	0.00	₹53,50.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)53,50.43				

अनुदान संख्या - 58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2202-02.796.67- 280 उत्क्रमित उच्च +2 विद्यालय का वेतन (राज्य स्कीम)	मूल	40,60.00	33,41.10	33,41.10	0.00	₹7,18.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,18.90				
2202-02.796.68- गैर सरकारी प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	28,05.00	23,99.18	23,99.18	0.00	₹4,05.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,05.82				
2202-02.796.73- ज्ञानोदय योजना (प्रकाशन एवं शिक्षण सेमिनार, शिक्षक पुरस्कार एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढीकरण सहित) (राज्य स्कीम)	मूल	8,60.00	78.42	78.42	0.00	₹7,81.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,81.58				
2202-02.103.04- राजकीय संस्कृत विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	2,09.03	88.74	88.74	0.00	₹1,20.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,20.29				
2202-05.103.05- गैर-सरकारी संस्कृत विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	4,72.91	3,28.42	3,28.42	0.00	₹1,44.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,44.49				

**अनुदान संख्या - 58 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-05.200.04- गैर-सरकारी मदरसा (राज्य स्कीम)	मूल	56,58.75	16,69.00	16,69.00	0.00	₹39,89.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)39,89.75				
2202-05.200.05- एस.पी.क्यू.ई.एम योजना के तहत मदरसों को प्राप्त अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	7,50.00	26.64	26.64	0.00	₹7,23.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,23.36				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-02.109.28- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर तक की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	4,50.00	0.00	0.00	0.00	₹4,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,50.00				
2202-02.109.74- मुख्यमंत्री उच्च माध्यमिक शिक्षा उन्नयन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	₹10,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,00.00				

**अनुदान संख्या - 58 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-02.109.76- मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2202-02.109.77- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	22,40.00	0.00	0.00	0.00	₹22,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)22,40.00				
2202-02.789.04- सैनिक स्कूल, तिलैया (राज्य स्कीम)	मूल	1,36.00	0.00	0.00	0.00	₹1,36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,36.00				
2202-02.789.44- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत प्रवेशिका स्तर तक की छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	1,50.00	0.00	0.00	0.00	₹1,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,50.00				
2202-02.789.51- राष्ट्रीय विद्यालय समिति को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,50.00	0.00	0.00	0.00	₹2,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.00				



**अनुदान संख्या - 58 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-02.789.74- मुख्यमंत्री उच्च माध्यमिक शिक्षा उन्नयन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,40.00	0.00	0.00	0.00	₹3,40.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,40.00				
2202-02.789.76- मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,02.00	0.00	0.00	0.00	₹1,02.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,02.00				
2202-02.789.77- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,61.00	0.00	0.00	0.00	₹7,61.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,61.00				
2202-02.796.03- नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट (राज्य स्कीम)	मूल	7,50.00	0.00	0.00	0.00	₹7,50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)7,50.00				
2202-02.796.04- सैनिक स्कूल, तिलैया (राज्य स्कीम)	मूल	2,64.00	0.00	0.00	0.00	₹2,64.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,64.00				

अनुदान संख्या - 58 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-02.796.44- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत प्रवेशिका स्तर तक की छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
2202-02.796.71- झा.मा.शि.परि. परिषद् को आधारभूत संरचना एवं अन्य सुविधाओं का (गुणवत्ता शिक्षा हेतु अनुदान) (राज्य स्कीम)	मूल	19,80.00	0.00	0.00	0.00	₹19,80.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,80.00				
2202-02.796.74- मुख्यमंत्री उच्च माध्यमिक शिक्षा उन्नयन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,60.00	0.00	0.00	0.00	₹6,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,60.00				
2202-02.796.76- मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,98.00	0.00	0.00	0.00	₹1,98.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,98.00				
2202-02.796.77- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	14,79.00	0.00	0.00	0.00	₹14,79.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,79.00				

अनुदान संख्या - 58 क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2202-02.800.04- सैनिक स्कूल, तिलैया (राज्य स्कीम)	मूल	4,00.00	0.00	0.00	0.00	₹4,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,00.00				
2202-03.103.04- शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	4,11.81	0.00	0.00	0.00	₹4,11.81 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,11.81				
2202-05.200.05- एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना के तहत मदरसों को प्राप्त अनुदान (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	₹50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.00				
2202-05.789.05- एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना के तहत मदरसों को प्राप्त अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,55.00	0.00	0.00	0.00	₹2,55.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,55.00				
2202-05.796.05- एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना के तहत मदरसों को प्राप्त अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,95.00	0.00	0.00	0.00	₹4,95.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,95.00				

**अनुदान संख्या - 58 क्रमांत**

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
2202-05.796.05- एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना के तहत मदरसों को प्राप्त अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	33.00	0.00	0.00	0.00	₹33.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)33.00				

**पूँजी :**

(5) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष		कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति	
4202-02.202.78- नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर स्थापित किये गये तीन आवासीय विद्यालय एवं इन्दिरा गांधी आवासीय विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	16,00.00	0.00	0.00	0.00	₹16,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)16,00.00				
4202-02.796.78- नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर स्थापित किये गये तीन आवासीय विद्यालय एवं इन्दिरा गांधी आवासीय विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	40,00.00	0.00	0.00	0.00	₹40,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)40,00.00				

**अनुदान संख्या 59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग  
( प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग )**

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	72,22,33,87	76,37,19,43	64,00,53,97	(-)12,36,65,46
अनुपूरक	4,14,85,56			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

12,36,45,24

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹12,36,65.46 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹3,20,62.21 लाख), जनवरी 2020 (₹71,25.00 लाख) एवं मार्च 2020 (₹22,98.35 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,14,85.56 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹12,36,45.24 लाख), अंतिम बचत (₹12,36,65.46 लाख) से ₹20.22 लाख कम था।
- (3) शीर्ष 2202-01.102.02- गैरसरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (स्थापना व्यय), 2202-01.111.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश), 2202-01.112.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश), 2202-01.112.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश) 2202-01.789.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश), 2202-01.789.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश), 2202-01.796.03- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश) एवं 2202-01.796.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश) के अंतर्गत ₹7,88.67 लाख, ₹45,30.09 लाख, ₹7,34.63 लाख, ₹6,19.93 लाख, ₹1,72.91 लाख, ₹2,51.18 लाख, ₹3,66.07 लाख एवं ₹21,73.29 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹2,27,13.60 लाख, ₹5,71,30.00 लाख, ₹1,98,24.11 लाख, ₹2,81,70.17 लाख, ₹51,07.84 लाख, ₹72,58.95 लाख, ₹97,68.05 लाख एवं ₹2,81,50.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

अनुदान संख्या - 59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-01.001.01- प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (स्थापना व्यय)	मूल	2,53.58	2,29.71	2,29.71	0.00	₹31.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	7.50				
	पुनर्वि.	(-)31.37				
2202-01.101.01- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (स्थापना व्यय)	मूल	38,02,01.77	31,48,85.23	31,48,65.21	(-)20.02	₹6,53,36.56 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,53,16.54				
2202-01.101.14- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय हेतु मेधा छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ (राज्य स्कीम)	मूल	86.40	19.60	19.60	0.00	₹66.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)66.80				
2202-01.101.46- उर्दू शिक्षकों को वेतन (राज्य स्कीम)	मूल	36,00.00	38,06.82	38,06.82	0.00	₹6,21.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	8,28.00				
	पुनर्वि.	(-)6,21.18				
2202-01.101.52- झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,02,98.62	60,16.40	60,16.40	0.00	₹42,82.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)42,82.22				
2202-01.101.55- बच्चों को निःशुल्क विद्यालय किट (राज्य स्कीम)	मूल	84,10.30	37,21.43	37,21.43	0.00	₹46,88.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46,88.87				

अनुदान संख्या - 59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-01.101.59- ज्ञानोदय योजना ( प्राथमिक शिक्षा ) ( राज्य स्कीम )	मूल	16,20.00	8,16.37	8,16.37	0.00	₹8,03.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)8,03.63				
2202-01.104.01- निरीक्षण ( स्थापना व्यय )	मूल	79,48.84	56,83.26	56,83.20	(-)0.06	₹22,85.64 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-)22,85.58				
2202-01.107.01- प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ( स्थापना व्यय )	मूल	20,26.00	16,12.03	16,12.03	0.00	₹4,13.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,13.97				
2202-01.111.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान ( के.प्रा. स्कीम-राज्यांश )	मूल	4,55,00.59	5,54,97.29	5,54,97.29	0.00	₹1,16,06.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	2,16,03.00				
	पुनर्वि.	(-)1,16,06.30				
2202-01.789.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान ( के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	1,47,20.00	1,28,50.12	1,28,50.12	0.00	₹18,69.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,69.88				
2202-01.789.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान ( के.प्रा. स्कीम-राज्यांश )	मूल	1,15,83.78	1,39,59.50	1.39.59.50	0.00	₹33,09.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( सितम्बर 2020 )।
	अनुपूरक	56,85.00				
	पुनर्वि.	(-)33,09.28				

अनुदान संख्या - 59 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-01.789.52- झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय योजना (राज्य स्कीम)	मूल	24,64.01	14,48.39	14,48.39	0.00	₹10,15.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,15.62				
2202-01.789.55- बच्चों को निःशुल्क विद्यालय किट (राज्य स्कीम)	मूल	20,08.80	8,95.90	8,95.90	0.00	₹11,12.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)11,12.90				
2202-01.789.59- ज्ञानोदय योजना (प्राथमिक शिक्षा) (राज्य स्कीम)	मूल	3,90.00	1,70.55	1,70.55	0.00	₹2,19.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,19.45				
2202-01.796.14- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय हेतु मेधा छात्रवर्तियाँ और वृत्तियाँ (राज्य स्कीम)	मूल	52.80	16.78	16.78	0.00	₹36.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.02				
2202-01.796.25- सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहाय्य अनुदान (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,32,45.71	2,73,39.14	2,73.39.14	0.00	₹65,18.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,06,12.00				
	पुनर्वि.	(-)65,18.57				
2202-01.796.46- उर्दू शिक्षको का वेतन (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,00.00	2,50.44	2,50.32	(-)0.12	₹49.68 लाख की कुल बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.56				



**अनुदान संख्या - 59 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-01.796.52- झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय योजना ( राज्य स्कीम )	मूल	62,37.37	36,76.69	36,76.69	0.00	₹25,60.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)25,60.68				
2202-01.796.55- बच्चों को निःशुल्क विद्यालय किट ( राज्य स्कीम )	मूल	50,80.90	22,74.20	22,74.20	0.00	₹28,06.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28,06.70				
2202-01.796.59- ज्ञानोदय योजना ( प्राथमिक शिक्षा ) ( राज्य स्कीम )	मूल	9,90.00	4,29.71	4,29.71	0.00	₹25,60.29 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,60.29				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2202-01.101.57- प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के सुदृढीकरण ( राज्य स्कीम )	मूल	9,76.68	0.00	0.00	0.00	₹9,76.68 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,76.68				
2202-01.101.60- साक्षर झारखण्ड अभियान ( राज्य स्कीम )	मूल	10,85.20	0.00	0.00	0.00	₹10,85.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,85.20				

**अनुदान संख्या - 59 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में)	अभ्युक्ति
2202-01.789.57- प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	2,33.28	0.00	0.00	0.00	₹2,33.28 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,33.28				
2202-01.789.60- साक्षर झारखण्ड अभियान (राज्य स्कीम)	मूल	2,59.20	0.00	0.00	0.00	₹2,59.20 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,59.20				
2202-01.796.57- प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के सुदृढीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	5,90.04	0.00	0.00	0.00	₹5,90.04 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,90.04				
2202-01.796.60- साक्षर झारखण्ड अभियान (राज्य स्कीम)	मूल	6,55.60	0.00	0.00	0.00	₹6,55.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,55.60				

## अनुदान संख्या 60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

(मुख्य शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	42,91,59,37	49,26,46,49	39,11,59,85	(-)10,14,86,64
अनुपूरक	6,34,87,12			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

10,07,83,15

पूंजी :

दत्तमत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक व्यय (+) / बचत(-) (₹ हजार में)
मूल	25,57,00	35,46,50	86,39	(-)34,60,11
अनुपूरक	9,89,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2020)

24,70,61

टीका एवं टिप्पणियाँ :

राजस्व :

- (1) ₹10,14,86.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2019 (₹9,57.50 लाख) एवं मार्च 2020 (₹6,25,29.62 लाख) में प्राप्त किया गया ₹6,34,87.12 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (2) अभ्यर्पित प्रावधान (₹10,07,83.15 लाख), अंतिम बचत (₹10,14,86.64 लाख) से ₹7,03.49 लाख कम था।

**अनुदान संख्या - 60 क्रमशः**

- (3) शीर्ष 2235-02.103.28- आंगनबाड़ी सेविकाओं/ सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (राज्य योजना), 2235-02.103.AT- मुख्यमंत्री सुकन्या योजना (राज्य योजना), 2235-02.796.18- स्वामी विवेकानंद निःशुल्क स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (राज्य योजना), 2235-02.796.28- आंगनबाड़ी सेविकाओं/ सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय (राज्य योजना) 2235-02.796.AT- मुख्यमंत्री सुकन्या योजना (राज्य योजना), 2235-03.101.11- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश), 2235-03.101.13- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश) 2235-03.101.13- राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य योजना), 2235-02.101.15- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश), 2235-02.101.20- राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (राज्य योजना), 2235-03.789.11- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश), 2235-03.789.11- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश) 2235-03.789.13- राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य योजना), 2235-03.789.14- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश), 2235-03.789.20- राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (राज्य योजना), 2235-03.796.11- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश), 2235-03.796.11- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश) 2235-03.796.13- राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य योजना), 2235-03.796.14- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश) एवं 2235-03.796.20- राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (राज्य योजना) के अंतर्गत ₹3,93.66 लाख, ₹5,94.61 लाख, ₹6,10.01 लाख, ₹4,01.15 लाख, ₹3,54.18 लाख, ₹6,56.15 लाख, ₹15,50.66 लाख, ₹5,00.70 लाख, ₹1,07.86 लाख, ₹3,31.76 लाख, ₹2,89.18 लाख, ₹7,83.09 लाख, ₹2,33.46 लाख, ₹1,24.31 लाख, ₹2,29.00 लाख, ₹5,66.40 लाख, ₹17,77.31 लाख, ₹7,90.84 लाख, ₹4,37.98 लाख एवं ₹6,65.34 लाख की बचत, जो क्रमशः ₹50,44.71 लाख, ₹62,68.00 लाख, ₹82,44.00 लाख, ₹53,82.74 लाख, ₹73,82.00 लाख, ₹1,19,76.00 लाख, ₹4,44,05.00 लाख, ₹1,79,59.00 लाख, ₹12,19.70 लाख, ₹87,08.00 लाख, ₹36,74.00 लाख, ₹1,36,23.00 लाख, ₹60,55.00 लाख, ₹16,05.00 लाख, ₹31,05.00 लाख, ₹1,17,20.00 लाख, ₹4,34,55.00 लाख, ₹2,03.40.00 लाख, ₹49,78.00 लाख एवं ₹1,02,60.00 लाख के प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम है, के अलावे बचत (₹30.00 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.001.01- निदेशन और प्रशासन (स्थापना व्यय)	मूल	2,03.22	1,69.25	1,69.25	0.00	₹37.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4.00				
	पुनर्वि.	(-)37.97				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-02.101.03- मूक एवं बधिर विद्यालय तथा कर्मशाला (स्थापना व्यय)	मूल	95.33	65.33	65.33	0.00	₹30.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)30.00				
2235-02.101.18- स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (राज्य योजना)	मूल	1,02,96.00	88,10.45	88,10.45	0.00	₹14,85.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)14,85.55				
2235-02.101.A5- निःशक्त कल्याणार्थ योजना (राज्य योजना)	मूल	2,63.00	1,37.87	1,37.87	0.00	₹1,25.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,25.13				
2235-02.102.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,32,78.39	1,09,26.39	1,09,26.39	0.00	₹24,41.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	89.64				
	पुनर्वि.	(-)24,41.64				
2235-02.102.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,09,15.47	88,15.95	88,15.95	0.00	₹23,68.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,68.93				
	पुनर्वि.	(-)23,68.45				

**अनुदान संख्या - 60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-02.102.A8- आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढीकरण (राज्य योजना)	मूल	1,00.00	2,42.09	2,42.09	0.00	₹1,11.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,54.00				
	पुनर्वि.	(-)1,11.91				
2235-02.102.AR- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के कर्मियों की स्थापना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	11,81.21	8,68.69	8,68.69	0.00	₹3,12.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,12.52				
2235-02.102.AS- पोषण अभियान योजना (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	42,14.00	12,67.07	12,67.07	0.00	₹33,78.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,32.00				
	पुनर्वि.	(-)33,78.93				
2235-02.102.AS- पोषण अभियान योजना (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	10,53.00	3,05.29	3,05.29	0.00	₹8,55.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,08.00				
	पुनर्वि.	(-)8,55.71				
2235-02.103.36- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (राज्य योजना)	मूल	20.00.00	10,15.20	10,15.20	0.00	₹9,84.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)9,84.80				
2235-02.103.75- आंगनबाड़ी सेवा/का/ सहायिका को पोशाक (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,95.00	1,44.39	1,44.39	0.00	₹50.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)50.61				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-02.103.75- आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को पोशाक ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	1,30.00	98.98	98.98	0.00	₹31.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)31.02				
2235-02.103.85- समेकित बाल संरक्षण योजना ( आई.सी.पी.एस. ) ( 75:25 ) ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	9,14.00	7,20.25	7,20.25	0.00	₹1,93.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,93.75				
2235-02.103.85- समेकित बाल संरक्षण योजना ( आई.सी.पी.एस. ) ( 75:25 ) ( के.प्रा.स्कीम-राज्यांश )	मूल	5,93.00	5,56.27	5,56.27	0.00	₹36.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.73				
2235-02.103.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ( के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश )	मूल	1,84.00	2,19.84	68.89	(-)1,50.95	₹2,69.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,54.80				
	पुनर्वि.	(-)1,18.96				
2235-02.103.AO- कुरीतियों का समापन तथा अच्छी प्रथाओं की प्रोत्साहन हेतु योजना ( राज्य योजना )	मूल	94.00	29.23	29.23	0.00	₹64.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)64.77				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-02.103.AQ- क्षमता निर्माण, अनुश्रवण, प्रदर्शनी-सेमिनार इत्यादि (राज्य योजना)	मूल	74.00	32.26	32.26	0.00	₹49.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	8.00				
	पुनर्वि.	(-)49.74				
2235-02.106.39- प्रतिप्रेक्षण गृह (स्थापना व्यय)	मूल	76.57	40.08	40.08	0.00	₹36.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)36.49				
2235-02.106.A4- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का जीर्णोद्धार एवं उपस्कर की आपूर्ति (राज्य योजना)	मूल	2,00.00	24.86	24.86	0.00	₹1,75.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,75.14				
2235-02.106.A6- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का संचालन (राज्य योजना)	मूल	6,80.46	1,47.52	1,47.52	0.00	₹5,32.94 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,32.94				
2235-02.789.18- स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (राज्य योजना)	मूल	18,33.00	14,31.59	14,31.59	0.00	₹4,01.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,01.41				



अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
2235-02.789.36- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (राज्य योजना)	मूल	6,00.00	2,71.80	2,71.80	0.00	₹3,28.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,28.20				
2235-02.789.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (राज्य योजना)	मूल	2,20.00	2,20.00	2,20.00	0.00	₹72.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	72.00				
	पुनर्वि.	(-)72.00				
2235-02.789.AT- प्रधानमंत्री सुकन्या योजना (राज्य योजना)	मूल	15,00.00	9,00.92	9,00.92	0.00	₹5,99.08 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,99.08				
2235-02.796.36- प्रधानमंत्री कन्यादान योजना (राज्य योजना)	मूल	24,00.00	17,59.50	17,59.50	0.00	₹6,40.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,40.50				
2235-02.796.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	6,00.00	64.15	64.15	0.00	₹5,35.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,35.85				
2235-02.796.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,00.00	38.84	38.84	0.00	₹3,61.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,61.16				

**अनुदान संख्या - 60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-02.796.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,35,06.55	1,06,80.51	1,06,80.51	0.00	₹28,26.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)28,26.04				
2235-02.796.51- समेकित बाल विकास योजना (224 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,26,35.96	99,42.75	99,42.75	0.00	₹26,93.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)26,93.21				
2235-02.796.75- आंगनवाड़ी सेविका/ सहायिका को पोशक (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,12.00	1,33.21	1,33.21	0.00	₹78.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)78.79				
2235-02.796.85- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (75:25) (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	11,79.00	8,96.14	8,96.14	0.00	₹2,82.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,82.86				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-02.796.A4- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का जीर्णोद्धार एवं उपस्कर की आपूर्ति (राज्य योजना)	मूल	2,00.00	12.51	12.51	0.00	₹1,87.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,87.49				
2235-02.796.A5- निःशक्त कल्याणार्थ योजना (राज्य योजना)	मूल	3,17.00	1,77.90	1,77.90	0.00	₹1,39.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,39.10				
2235-02.796.A6- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/ गृहों इत्यादि का संचालन (राज्य योजना)	मूल	7,96.54	1,70.85	1,70.85	0.00	₹6,25.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)6,25.69				
2235-02.796.A8- आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढीकरण (राज्य योजना)	मूल	1,00.00	0.28	0.28	0.00	₹5,61.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	4,62.00				
	पुनर्वि.	(-)5,61.72				
2235-02.796.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,50.00	3,01.66	1,05.81	(-)1,95.85	₹3,49.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,05.20				
	पुनर्वि.	(-)1,53.54				
2235-02.796.AH- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	11,27.00	11,40.76	10,03.96	(-)1,36.80	₹4,99.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3,76.80				
	पुनर्वि.	(-)3,63.04				

**अनुदान संख्या - 60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-02.796.AL- महिला शक्ति केन्द्र योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	19,12.00	17.51	17.51	0.00	₹18,94.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,94.49				
2235-02.796.AL- महिला शक्ति केन्द्र योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	12,75.00	11.67	11.67	0.00	₹12,63.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,63.33				
2235-02.796.AO- कुरीतियों का समापन तथा अच्छी प्रथाओं की प्रोत्साहन हेतु योजना (राज्य योजना)	मूल	1,11.00	61.20	61.20	0.00	₹49.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)49.80				
2235-02.796.AP- विभिन्न आयोग, बोर्ड इत्यादि की स्थापना (राज्य योजना)	मूल	3,80.00	1,80.31	1,80.31	0.00	₹1,99.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,99.69				
2235-02.796.AR- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के कर्मियों की स्थापना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	27,14.04	14,32.50	14,32.50	0.00	₹12,81.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,81.54				
2235-02.796.AS- पोषण अभियान योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	52,00.00	17,17.00	17,17.00	0.00	₹40,11.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	5,28.00				
	पुनर्वि.	(-)40,11.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-02.796.AS- पोषण अभियान योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	13,00.00	3,44.00	3,44.00	0.00	₹10,88.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,32.00				
	पुनर्वि.	(-)10,88.00				
2235-03.101.12- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	15,79.00	16,35.89	16,35.89	0.00	₹2,01.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,58.00				
	पुनर्वि.	(-)2,01.11				
2235-03.101.12- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	13,82.50	15,83.97	15,83.97	0.00	₹1,85.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3,87.00				
	पुनर्वि.	(-)1,85.53				
2235-03.101.14- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	36,03.00	41,34.00	41,34.00	0.00	₹4,78.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	10,09.00				
	पुनर्वि.	(-)4,78.00				
2235-03.101.14- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	84,04.50	93,26.06	93,26.06	0.00	₹14,33.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	23,55.00				
	पुनर्वि.	(-)14,33.44				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-03.102.19- राष्ट्रीय परिवार हित-लाभ योजना (कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.से. स्कीम)	मूल	8,00.00	2,14.20	2,14.20	0.00	₹5,85.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,85.80				
2235-03.789.12- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,84.00	4,93.46	4,93.46	0.00	₹69.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	79.00				
	पुनर्वि.	(-)69.54				
2235-03.789.12- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,23.75	4,71.93	4,71.93	0.00	₹70.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,19.00				
	पुनर्वि.	(-)70.82				
2235-03.789.14- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	29,24.50	33,28.01	33,28.01	0.00	₹4,15.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	8,19.00				
	पुनर्वि.	(-)4,15.49				
2235-03.789.15- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	2,78.00	3,00.96	3,00.96	0.00	₹54.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	77.70				
	पुनर्वि.	(-)54.74				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-03.789.19- राष्ट्रीय परिवार हित-लाभ योजना (कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.से.स्कीम)	मूल	3,00.00	1,22.00	1,22.00	0.00	₹1,78.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,78.00				
2235-03.796.12- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	12,31.00	12,85.93	12,85.93	0.00	₹1,46.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,01.00				
	पुनर्वि.	(-)1,46.07				
2235-03.796.14- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	90,71.50	1,04,83.88	1,04,83.88	0.00	₹11,28.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	25,41.00				
	पुनर्वि.	(-)11,28.62				
2235-03.796.19- राष्ट्रीय परिवार हित-लाभ योजना (कार्यान्वित करने वाले अभिकरण को वित्त सहायता) (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (के.से. स्कीम)	मूल	9,00.00	4,27.40	4,27.40	0.00	₹4,72.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,72.60				
2235-60.102.10- वृद्धावस्था पेंशन (स्थापना व्यय)	मूल	9,01.04	6,50.08	6,50.08	0.00	₹2,50.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,50.96				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2236-02.101.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,93,43.00	1,00,67.31	1,00,67.31	0.00	₹92,75.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)92,75.69				
2236-02.101.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,93,43.00	1,04,37.99	1,04,37.99	0.00	₹89,05.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)89,05.01				
2236-02.789.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	44,54.00	25,99.09	25,99.09	0.00	₹18,54.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)18,54.91				
2236-02.789.02- परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	45,54.00	25,00.14	25,00.14	0.00	₹19,53.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)19,53.86				



**अनुदान संख्या - 60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2236-02.796.02-परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,73,03.00	89,62.88	89,62.88	0.00	₹83,40.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)83,40.12				
2236-02.796.02-परिवार एवं बाल कल्याण हेतु पोषक भोजन तथा सुपेय वितरण की विशेष योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,73,03.00	90,47.41	90,47.41	0.00	₹82,55.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)82,55.59				
2251-00.090.09-समाज कल्याण (स्थापना व्यय)	मूल	3,58.83	2,92.49	2,92.49	0.00	₹77.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	11.00				
	पुनर्वि.	(-)77.34				

(4) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-02.102.47-दवा किट्स (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,60.00	0.00	0.00	0.00	₹1,60.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,60.00				

**अनुदान संख्या - 60 क्रमशः**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2235-02.102.47- दवा किट्स (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,07.00	0.00	0.00	0.00	₹1,07.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,07.00				
2235-02.102.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,53.00	0.00	0.00	0.00	₹5,53.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,53.00				
2235-02.102.48- स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	3,69.00	0.00	0.00	0.00	₹3,69.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,69.00				
2235-02.102.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,54.00	0.00	0.00	0.00	₹1,54.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,54.00				
2235-02.102.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,03.00	0.00	0.00	0.00	₹1,03.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,03.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-02.102.AI- नेशनल क्रेच योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,28.00	0.00	0.00	0.00	₹1,28.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,28.00				
2235-02.102.AI- नेशनल क्रेच योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	85.00	0.00	0.00	0.00	₹85.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)85.00				
2235-02.103.AB- उज्जवला योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	34.00	0.00	0.00	0.00	₹34.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.00				
2235-02.103.AD- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण / रखरखाव/ उन्नयन (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,36.00	0.00	0.00	0.00	₹5,36.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,36.00				
2235-02.103.AD- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण / रखरखाव/ उन्नयन (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,39.00	0.00	0.00	0.00	₹4,39.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,39.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-02.103.AL- महिला शक्ति केन्द्र योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	15,98.00	0.00	0.00	0.00	₹15,98.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)15,98.00				
2235-02.103.AL- महिला शक्ति केन्द्र योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	10,65.00	0.00	0.00	0.00	₹10,65.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)10,65.00				
2235-02.106.AN- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	68.00	0.00	0.00	0.00	₹68.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)68.00				
2235-02.103.AN- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	46.00	32.50	0.00	(-)32.50	₹46.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)46.00				
2235-02.106.AV- नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु योजना (के.से. स्कीम)	मूल	0.00	32.50	0.00	(-)32.50	₹32.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	32.50				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-02.796.47- मेडिसिन किट्स (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,74.00	0.00	0.00	0.00	₹1,74.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	32.50				
	पुनर्वि.	(-)1,74.00				
2235-02.796.47- मेडिसिन किट्स (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,16.00	0.00	0.00	0.00	₹1,16.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	32.50				
	पुनर्वि.	(-)1,16.00				
2235-02.796.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,68.00	0.00	0.00	0.00	₹1,68.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,68.00				
2235-02.796.53- प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,12.00	0.00	0.00	0.00	₹1,12.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,12.00				
2235-02.796.93- राज्य पोषण मिशन (राज्य योजना)	मूल	2,00.00	0.00	0.00	0.00	₹2,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,00.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2235-02.796.AB- उज्ज्वला योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	51.00	0.00	0.00	0.00	₹51.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)51.00				
2235-02.796.AB- उज्ज्वला योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	34.00	0.00	0.00	0.00	₹34.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)34.00				
2235-02.796.AD- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण/ रखरखाव/ उन्नयन (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,79.00	0.00	0.00	0.00	₹5,79.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,79.00				
2235-02.796.AD- समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण/ रखरखाव/ उन्नयन (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,72.00	0.00	0.00	0.00	₹4,72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,72.00				
2235-02.796.AI- नेशनल क्रेच योजना (के.से. स्कीम)	मूल	1,53.00	0.00	0.00	0.00	₹1,53.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,53.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
2235-02.796.AI- नेशनल क्रेच योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,26.00	0.00	0.00	0.00	₹1,26.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,26.00				
2235-02.796.AN- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	81.00	0.00	0.00	0.00	₹81.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)81.00				
2235-02.796.AN- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	54.00	0.00	0.00	0.00	₹54.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)54.00				
2235-02.796.AV- नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु योजना (के.से. स्कीम)	मूल	0.00	35.00	0.00	(-)35.00	₹35.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	35.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2236-02.101.06- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	4,38.00	0.00	0.00	0.00	₹4,38.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,38.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
2236-02.101.06- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	4,38.00	0.00	0.00	0.00	₹4,38.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)4,38.00				
2236-02.789.06- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,18.00	0.00	0.00	0.00	₹1,18.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,18.00				
2236-02.789.06- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,18.00	0.00	0.00	0.00	₹1,18.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,18.00				
2236-02.796.06- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	5,13.00	0.00	0.00	0.00	₹5,13.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,13.00				
2236-02.796.06- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	5,13.00	0.00	0.00	0.00	₹5,13.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)5,13.00				



**अनुदान संख्या - 60 क्रमशः**

**पूँजी :**

- (5) ₹34,60.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जनवरी 2020 में प्राप्त किया गया ₹9,89.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (6) अभ्यर्पित प्रावधान (₹24,70.61 लाख), अंतिम बचत (₹34,60.11 लाख) से ₹9,89.50 लाख कम था।
- (7) बचत (₹15.00 लाख अथवा प्रवधान का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4235-02.796.74- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/गृहों इत्यादि का निर्माण (राज्य योजना)	मूल	3,00.00	86.39	86.39	0.00	₹2,13.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,13.61				

- (8) निम्नलिखित मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय(+)/ बचत (-) ( ₹ लाख में )	अभ्युक्ति
4235-02.103.73- समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, रखरखाव, उन्नयन (पूँजी) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	2,67.00	0.00	(-)2,67.00	₹2,67.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,67.00				
	पुनर्वि.	0.00				

अनुदान संख्या - 60 क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹लाख में )	वास्तविक व्यय ( ₹लाख में )	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹लाख में )	अभ्युक्ति
4235-02.103.73- समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, रखरखाव, उन्नयन (पूँजी) (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	0.00	1,78.00	0.00	(-)1,78.00	₹1,78.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	1,78.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4235-02.103.77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	1,58.00	0.00	0.00	0.00	₹1,58.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,58.00				
4235-02.103.77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,06.00	0.00	0.00	0.00	₹1,06.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,06.00				
4235-02.106.74- विभिन्न स्कूलों/ पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों /गृहों इत्यादि का निर्माण (राज्य योजना)	मूल	3,00.00	0.00	0.00	0.00	₹3,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)3,00.00				
4235-02.796.73- समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, रखरखाव, उन्नयन (पूँजी) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	00.00	3,26.50	0.00	(-)3,26.50	₹3,26.50 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	3,26.50				
	पुनर्वि.	0.00				

**अनुदान संख्या - 60 क्रमांत**

शीर्ष			कुल अनुदान ( ₹ लाख में)	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	अधिक व्यय(+) बचत (-) ( ₹ लाख में)	अभ्युक्ति
4235-02.103.73- समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, रखरखाव, उन्नयन ( पूंजी) (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	0.00	2,18.00	0.00	(-)2,18.00	₹2,18.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	2,18.00				
	पुनर्वि.	0.00				
4235-02.796.77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना (के.प्रा. स्कीम-केन्द्रांश)	मूल	2,38.00	0.00	0.00	0.00	₹2,38.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)2,38.00				
4235-02.796.77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना (के.प्रा. स्कीम-राज्यांश)	मूल	1,58.00	0.00	0.00	0.00	₹1,58.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)1,58.00				
4235-02.796.78- निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (के.प्रा.स्कीम)	मूल	12,97.00	0.00	0.00	0.00	₹12,97.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2020)।
	अनुपूरक	0.00				
	पुनर्वि.	(-)12,97.00				

## परिशिष्ट

लेखे में समायोजित व्यय में कमी के रूप में वसूली से संबंधित प्राक्कलन/वास्तविकी का अनुदानवार विवरण  
(पृष्ठ संख्या xvi पर विनियोग लेखे का सारांश में संदर्भित)

अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम		बजट प्राक्कलन	वास्तविकी	बजट प्राक्कलन के साथ वास्तविकी की तुलना अधिक(+)/कमी (-)
1		2	3	4
			(₹ हजार में)	
12. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	पूंजी दत्तमत	62,00,00	0,00	(-) 62,00,00
19. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व दत्तमत	0,00	1,46,98,64	+1,46,98,64
39. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	राजस्व दत्तमत	4,42,00,00	2,14,09,96	(-)2,27,90,04
41. पथ निर्माण विभाग	राजस्व दत्तमत	90,00,00	0,00	(-)90,00,00
56. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	पूंजी दत्तमत	1,50,00	0,00	(-) 1,50,00
	जोड़ : राजस्व दत्तमत	5,32,00,00	3,61,08,60	(-)1,70,91,40
	पूंजी दत्तमत	63,50,00	0,00	(-) 63,50,00
	<b>कुल जोड़ : राजस्व</b>	<b>5,32,00,00</b>	<b>3,61,08,60</b>	<b>(-) 1,70,91,40</b>
	<b>पूंजी</b>	<b>63,50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(-) 63,50,00</b>



© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

2020

[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ae/jharkhand/en>